Index:

Topic	Page
Polity	2-13
Schemes	13-20
Economics	21-33
Environment	34-41
Science and Technology	42-53
International Relation	54-72
National Issues	73-83
Social Issue & Agromony	84-91
Disaster Management	92-93
Internal Security	93-97
Miscellaneous	98-100

GShindi.com

1. राष्ट्रपति शासन

★ संवैधानिक प्रावधान :-

- राष्ट्रपति शासन से जुड़े प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 और 365 में हैं
- आर्टिकल 356 के मुताबिक राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि वे इस बात से संतुष्ट हों कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के मुताबिक काम नहीं कर रही है. ऐसा जरूरी नहीं है कि वे राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही करे.
- राष्ट्रपति शासन लगाये जाने के दो महीनों के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना जरूरी है. यदि इस बीच लोकसभा भंग हो जाती है तो इसका राज्यसभा द्वारा अनुमोदन किये जाने के बाद नई लोकसभा द्वारा अपने गठन के एक महीने के भीतर अनुमोदन किया जाना जरूरी है.
- अनुच्छेद 365 के मुताबिक यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिये गये संवैधानिक निर्देशों का पालन नहीं करती है तो उस हालत में भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है.

सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या :-

★1994 में बोम्मई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाये जाने संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश दिये थे. इन्हें मोटे तौर पर तीन भागों में बांटा जा सकता है.

इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाना उचित है :-

1- यदि चुनाव के बाद किसी पार्टी को बहुमत न मिला हो.

2- यदि जिस पार्टी को बहुमत मिला हो वह सरकार बनाने से इनकार कर दे और राज्यपाल को दूसरा कोई ऐसा गठबंधन न मिले जो सरकार बनाने की हालत में हो.

3- यदि राज्य सरकार विधानसभा में हार के बाद इस्तीफा दे दे और दूसरे दल सरकार बनाने के इच्छुक या ऐसी हालत में न हों.

4- यदि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के संवैधानिक निर्देशों का पालन न किया हो.

5- यदि कोई राज्य सरकार जान-बूझकर आंतरिक अशांति को बढ़ावा या जन्म दे रही हो.

6- यदि राज्य सरकार अपने संवैधानिक दायित्यों का निर्वाह न कर रही हो.

इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाना अनुचित है :-

1- यदि राज्य सरकार विधानसभा में बहुमत हारने पाने के बाद इस्तीफा दे दे और राज्यपाल बिना किसी अन्य संभावना को तलाशे राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर दे.

2- यदि राज्य सरकार को विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने का मौका दिये बिना राज्यपाल सिर्फ अपने अनुमान के आधार पर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दे.

3- यदि राज्य में सरकार चलाने वाली पार्टी लोकसभा के चुनाव में बुरी तरह हार जाये (जैसा कि जनता पार्टी सरकार ने अपातकाल के बाद 9 राज्य सरकारों को बर्खास्त करके किया था. और इंदिरा सरकार ने उसके बाद इतनी ही सरकारों को बर्खास्त करके किया था).

4- राज्य में आंतरिक अशांति तो हो लेकिन उसमें राज्य सरकार का हाथ न हो और कानून और व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई न हो.

GShindi.com

5- यदि प्रशासन ठीक से काम न कर रहा हो या राज्य सरकार के महत्वपूर्ण घटकों पर भ्रष्टाचार के आरोप हों या वित्त संबंधी आपात स्थिति दरपेश हो.

6- कुछ चरम आपात स्थितियों को छोड़कर यदि राज्य सरकार को खुद में सुधार संबंधी अग्रिम चेतावनी न दी गई हो.

7- यदि किसी किस्म का राजनीतिक हिसाब-किताब निपटाया जा रहा हो.

अदालत की भूमिका :-

★1975 में आपातकाल के दौरान इंदिरा सरकार ने 38वें संविधान संशोधन के जरिये अदालतों से राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीन लिया था. बाद में जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के जरिये उसे फिर से पहले जैसा कर दिया. बाद में बोम्मई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा के लिए कुछ मोटे प्रावधान तय किये.

1- राष्ट्पति शासन लगाये जाने की समीक्षा अदालत द्वारा की जा सकती है.

2- सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट राष्ट्रपति शासन को खारिज कर सकता है यदि उसे लगता है कि इसे सही कारणों से नहीं लगाया गया.

3- राष्ट्रपति शासन लगाने के औचित्य को ठहराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और उसके द्वारा ऐसा न कर पाने की हालत में कोर्ट राष्ट्रपति शासन को असंवैधानिक और अवैध करार दे सकता है.

4- अदालत राष्ट्रपति शासन को असंवैधानिक और अवैध करार देने के साथ-साथ बर्खास्त, निलंबित या भंग की गई राज्य सरकार को बहाल कर सकती है, जैसा उसने उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार के मामले में किया है.

2. न्यायिक सक्रियता और शक्तियों का अतिक्रमण" (सुभाष कश्यप) Judicial Activism and Judicial Overreach

- **-कार्यपालिका और विधायिका के कार्यो में न्यायपालिका के दखल की बात** एक लंबे अर्से से की जाती रही है। हाल के दिनों में वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से न्यायपालिका को अपनी लक्ष्मण रेखा स्वयं तय करने और कार्यपालिका के अधिकार में दखल न देने की बात कहने के बाद यह पुराना सवाल फिर से सतह पर आ गया है।
- भारत का संविधान तीनों अंगों यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्रों की स्पष्ट व्याख्या करता है। चूंकि संविधान में इन तीनों ही अंगों के दायित्वों और सीमाओं को सुस्पष्ट तौर पर परिभाषित किया गया है इसलिए कहीं कोई संदेह की स्थिति नहीं है।
- यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि उपरोक्त तीनों ही अंगों में कोई भी अंग अपने आप में सर्वोच्च नहीं है-यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी सर्वोच्च नहीं है। ये तीनों ही अंग अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में सर्वोच्च हैं न कि एक-दूसरे के अधिकार क्षेत्र में।
- संविधान में सबके अधिकारों और दायरे को परिभाषित किया गया है ताकि सभी अंग निष्पक्ष रहते हुए अपने दायित्वों का स्वतंत्र निर्वहन कर सकें। वर्तमान बहस के संदर्भ में यदि देखा जाए तो संविधान सवरेपरि है और संविधान से ऊपर जनता है। जाहिर है कि जनता के प्रति संविधान के ये तीनों अंग जवाबदेह हैं। जहां तक सरकार की तरफ से न्यायपालिका पर सवाल उठाए जाने की बात है तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पर आपत्ति जताने, सवाल उठाने या उसकी आलोचना करने का अधिकार सरकार के साथ-साथ देश के नागरिकों को भी है और इसमें कुछ गलत नहीं है।
- इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को भी किसी मामले विशेष में सुनवाई करने और पक्ष विशेष के मत को जानने का अधिकार है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सुप्रीम कोर्ट विधि निर्माण का काम कर सकता है। यह काम केवल और केवल संसद के पास है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि न्यायपालिका न तो कार्यपालिका का विकल्प हो सकती है और न ही अथवा विधायिका का। हाल में सुप्रीम कोर्ट में सूखे, मेडिकल प्रवेश परीक्षा आदि मामलों में सुनवाई की गई और कुछ में

सरकार को आदेश एवं दिशानिर्देश भी दिए गए, लेकिन इन पर कुछ भी कहने से पहले हर एक मामले की गहराई में जाना होगा और समग्रता में विचार करना होगा।

- सुप्रीम कोर्ट की कुछ एक सुनवाइयों के आधार किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक मसला आधार संबंधी विधेयक को धन विधेयक के रूप में संसद में पेश किए जाने का भी है। इस विधेयक को धन विधेयक का स्वरूप दिए जाने के लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हालांकि यह विधेयक पारित हो चुका है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट में लोकसभा अध्यक्ष के फैसले पर सवाल उठाते हुए एक याचिका दाखिल की, जिसे सर्वोच्च अदालत में विचार करने हेतु स्वीकार कर लिया गया। इस मामले में भी कोई भी मत बनाने से पूर्व हमें संविधान को देखना होगा और इस बारे में संविधान में जो लिखा गया है वह यही है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेगा न कि कोई अन्य पक्ष।
- संविधान के अनुच्छेद 110 में इस बारे में विस्तार से व्याख्या की गई है जिस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। संविधान में जो कुछ लिखा हुआ है उसके उल्लघंन की स्थिति में लोगों की अलग-अलग राय हो सकती है, लेकिन इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि निर्णायक संविधान की धाराएं ही हैं। संविधान सर्वोच्च है और सुप्रीम कोर्ट भी संविधान से बंधा हुआ है।
- यह कहने में कोई हिचक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में भी गलती हो सकती है और जरूरत होने पर उनमें सुधार भी संभव है। कई बार न्यायपालिका की स्वतंत्रता और दूसरे अन्य मसलों को लेकर संविधान के मूलभूत ढांचे का हवाला दिया जाता है, लेकिन संविधान का छात्र होने के नाते मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि संविधान को मूल ढांचे और शेष हिस्से के रूप में दो भागों में बांटा जाए। स्विधान के मूल ढांचे की धारणा सुप्रीम कोर्ट की अपनी व्याख्या है जिससे मैं कभी सहमत नहीं रहा। ऐसा इसलिए, क्योंकि इससे संविधान का मूल्य और महत्व कमजोर होता है।
- वास्तव में पूरा संविधान ही देश का बेसिक लॉ अर्थात मूलभूत कानून है। संविधान में जो कुछ भी लिखा गया है वह समग्रता में है और इस नाते उससे कोई भी छेड़छाड़ उचित नहीं!
- दुर्भाग्य से आज कुछ ऐसी स्थिति है कि संविधान के तीनों ही अंग अपने-अपने दायित्यों के निर्वहन में हीला-हवाली करते दिख रहे हैं।
- न्यायपालिका के समक्ष तीन करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित हैं, लेकिन उन्हें निपटाने पर अपना पूरा ध्यान लगाने के बजाय वह दूसरे मसलों पर ध्यान अधिक केंद्रित कर रही है। इसी तरह विधायिका कार्यपालिका के कामों में अधिक रुचि ले रही है, न कि नीतियों के निर्माण में। विधायिका कार्यपालिका की शक्तियों को अधिक से अधिक हासिल करने की कोशिश में लगी रहती है। हाल के समय में संसद में जो कुछ देखने को मिल रहा है वह किसी से छिपा नहीं।
- संसद सत्र के दौरान आए दिन गतिरोध और सदस्यों का हंगामा आम बात हो गई है। इससे सदन की मर्यादा तो तार-तार होती ही है, लोकतंत्र पर भी सवाल खड़े होते हैं। 1970 के बाद आज करीब 46 साल बीत चुके हैं, लेकिन संसद में एक भी प्राइवेट मेंबर्स अर्थात किसी सांसद की ओर से तैयार किया गया विधेयक पारित नहीं हो सका है। आखिर यह

किस बात का संकेत है और ऐसा क्यों है? हमें इन सवालों के जवाब तलाशने होंगे।

- संसद में जितने भी कानून बनते हैं उनमें 99 फीसद विधेयक ज्यों के त्यों पारित कर दिए जाते हैं। मुश्किल से ही उनमें कोई संशोधन किया जाता है। संसद में कई एक विधेयकों को तो बिना बहस के ही पारित कर दिया जाता है। बीते सत्र में भी ऐसा ही हुआ। पता नहीं क्यों विधेयकों पर व्यापक चर्चा जरूरी नहीं समझी जाती? क्या ऐसा इसलिए है कि सरकार की तरफ से पेश किए जाने वाले विधेयकों पर संसद सदस्य गहन अध्ययन करना जरूरी नहीं समझते?

Gshindi.com

- यदि संविधान के सभी अंग अपने-अपने दायित्यों का सही निर्वहन करें और अपनी जवाबदेही स्वयं तय करें तो परस्पर टकराव की स्थिति से बचा जा सकता है। संविधान के तीनों अंगों का एक-दूसरे के अधिकार क्षेत्रों में दखल देते दिखना स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं माना जा सकता।
- ऐसे में बेहतर यही होगा कि सभी संवैधानिक संस्थाएं संविधान को मूल स्रोत्र स्वीकार करें और अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करें।

---

3. **दिवालियापन से जुड़े कानून पर राष्ट्रपति की मुहर:**

- राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कंपनियों अथवा व्यक्तियों के दिवालापन की स्थिति से जुड़े एक नए कानून को अपनी संस्तुति दी है।
- इस नए कानून के तहत कंपनियों अथवा व्यक्तियों के दिवालापन की स्थिति से जुड़े मामलों का सेटलमेंट 180 दिन के भीतर करने का प्रावधान है। अधिसूचना के मुताबिक दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 को राष्ट्रप्रति प्रणब मुखर्जी ने अपनी संस्तुति दे दी है
- दिवालापन ऐसी स्थिति से जुड़ा है जहां कोई इकाई या व्यक्ति बकाए का भुगतान नहीं कर पाता है। इस कानून के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति अपने दिवालिया होने की प्रक्रिया अथवा परिसमापन की प्रक्रिया को धोखाधड़ी अथवा दुर्भावनापूर्ण मंशा से शुरू करता है तो उसके खिलाफ उचित प्राधिकरण द्वारा न्यूनतम एक लाख रुपए और अधिकतम एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- इस संबंध में राज्यसभा ने 11 मई को एक विधेयक पारित किया था जिसे लोकसभा 5 मार्च को ही मंजूरी दे चुकी थी।
- वित्त मंत्रालय ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता कानून को आर्थिक सुधारों की कड़ी में एक बड़ा कदम बताया है। इस कानून के जरिए रोजगार को बढ़ावा मिलने का साथ-साथ ऋण उपलब्धता में भी सुधार आएगा। इसके अलावा इस कानून से कंपनियों की वित्तीय समस्याओं का समय पर समाधान किया जा सकेगा।
- इस कानून के मुताबिक उधार लेने वाली कंपनियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सूचना एजेंसियां बनाई जाएंगी। ये एजेंसियां बताएंगी कि कर्ज लेने वाली कंपनी अथवा व्यक्ति ने कितना कर्ज लिया है।
- सरकार को उम्मीद है कि इस नए कानून के अमल में आने से विश्व बैंक की कारोबार सुगमता सूची में भारत की स्थिति और बेहतर होगी। कानून में संपत्तियों को छुपाने और कॉर्पोरेट दिवालियापन के तहत किए जाने वाले अपराधों के मामले में जुर्माने का प्रावधान स्पष्ट किया गया है।

4. मानव तस्करी विरोधी विधेयक : ख़ास बातें

- ✓ केंद्रीय सरकार ने माना है कि मानव तस्करी भारत में तीसरा सब से बड़ा और गंभीर अपराध है. मानव तस्करी और इस तरह के दूसरे अपराधों की रोक थाम के लिए भारत सरकार ने मानव तस्करी (सुरक्षा, बचाव और पुनर्वास) बिल 2016 का मसौदा जारी किया है.
- ✓ ये बिल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तैयार किया गया है लंबे समय से इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी.
- ✓ दरअसल मौजूदा क़ानून इम्मोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के अंतर्गत देह व्यापर तक सीमित था लेकिन इस बिल में इसके दायरे को बढ़ाया गया है और इसमें कई ऐसे अपराधों को शामिल किया गया है जो मौजूदा क़ानून में शामिल नहीं थे:

1. बंधुआ मज़दूरी और बाल मज़दूरी से लेकर वेतन कम देने जैसे अपराध इस बिल में शामिल हैं. उदाहरण के तौर पर वो परिवार जो छोटी बच्चियों को नौकरानी की तरह रखते हैं और उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं देते, उनका शोषण करते हैं तो ऐसे परिवार के ख़िलाफ कार्रवाई की जा सकती है

2. पीड़ितों और गवाहों की पहचान बाहर करने पर रोक: मीडिया या कोई व्यक्ति पीड़ितों और गवाहों के नाम या पहचान सार्वजनिक करे तो इनके ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जायेगी

GShindi.com

3. विशेष जांच एजेंसी: बिल में केंद्रीय सरकार को एक विशेष जांच एजेंसी के गठन का सुझाव दिया गया है. इस एजेंसी का काम होगा मानव तस्करी के मामलों की नए क़ानून के अंतर्गत जांच करना

4. विशेष अदालत: पीड़ितों के आघात को कम करने और अधिक से अधिक केसेज़ में सज़ा दिलाने के लिए बिल में जिला स्तर पर विशेष अदालतों के गठन का प्रावधान है. इन में सरकारी वकीलों और जजों की नियुक्ति की कोशिशों का प्रस्ताव भी है

5 . पुनर्वास: बिल के अनुसार तस्करी की शिकार लड़कियों के लिए लम्बे अर्से तक के लिए सरकारी रिहाइश का इंतेज़ाम हो जहाँ उनके पुनर्वास पर ज़ोर दिया जाये. उन्हें नए हुनर सिखाए जाएँ ताकि वो मुलाज़मत कर सकें.

6. अंतर-देश की तस्करी: मानव तस्करी भारत से पडोसी देशों में आम है. इसकी रोक थाम के लिए बिल में पड़ोसी देशों से इस सम्बन्ध ताल मेल बढ़ाने का सुझाव है.

7. इस विधेयक में ज़िला और राज्य स्तर पर अंतर-मंत्रालयी तस्करी विरोधी समितियों के गठन का सुझाव है।

---

5. बैंकरप्सी कानून:- क्या, क्यों और किस लिए आवश्यक (Bankruptcy code Act 2016)

* संसद ने हाल ही में बैंकरप्सी कोड यानी दिवालियेपन को लेकर विधेयक पारित किया है। बैड लोन के संकट से जूझ रहे बैंकों के लिए इसे खासा अहम माना जा रहा है।

उद्देश्य

यह एक कानून है, जिसमें दिवालियेपन के मामलों से निश्चित समय में निपटने की बात कही गई है। यह विधेयक विशेष तौर पर बैंकों को कर्जदाता बैंकों के लिए उपयोगी होगा, जो कर्ज की रिकवरी को लेकर परेशान रहते हैं।

परिप्रेक्ष्य :-

-भारतीय बैंक इन दिनों बैड लोन के संकट से जूझ रहे हैं। कई कॉर्पोरेट कर्जदाताओं ने लाखों करोड़ का लोन नहीं दिया है, कई मामलों में यह लोग विलफुट डिफॉल्टर हैं।

- भारत में कानूनी तरीकों से दिवालियेपन के मामलों से निपटने में एजेंसियों को औसतन 4.3 साल का वक्त लगता था। इसकी तुलना में जापान में छह महीने, सिंगापुर में 8 महीने, मलयेशिया और यूनाइटेड किंगडम में एक साल और अमेरिका में 1.5 साल का वक्त लगता है।

कानून के लाभ :-

- इस कानून के तहत कंपनी को समाप्त करने के बारे में 180 दिनों के भीतर फैसला लेना होगा। इसके अलावा फास्ट ट्रैक अप्लीकेशन को भी 90 दिनों में निपटाना होगा।

- बैंकरप्सी कानून बन जाने से इससे जुड़े मामलों को निपटाने में अदालतों का बोझ कम होगा और समय की बचत होगी।

- इस कानून से कर्ज देने वाली संस्थाओं को अपनी राशि तय समय में हासिल करने में सहायता मिलेगी। इस कानून के तहत दिवालिया घोषित होने के बाद कोई भी कंपनी 180 दिनों में समाप्त हो जाएगी। 180 दिन गुजरने के बाद भी यदि मामला सेटल नहीं होता है तो 90 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। रिकवरी के चांस कम होने पर कोई भी कंपनी खुद ही लिक्विडेटेड हो जाएगी।

- कई संस्थागत विदेशी निवेशकों इन मामलों से खुद को दूर रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इनसॉल्वेंशी से जुड़े मामलों में अधिक समय लगता है। ऐसे में निवेशकों को अब भारत में निवेश करने में कोई हिचक नहीं होगी। **इस बिल के सामने सबसे बड़ी चुनौती लागू होने की ही है।

6.माइनॉरिटी रिपोर्ट: अल्पसंख्यकों की अल्पतम शिक्षा:

केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि भारत में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक लाभ देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की निगरानी में दो दर्जन योजनाएं चल रही हैं.

★इसका मकसद मुसलमानों की धार्मिक-सामाजिक स्थिति में बदलाव लाना था. हालांकि इतनी योजनाओं के बावजूद मुसलिम समुदाय की स्थिति में कोई खास बदलाव अब तक नहीं हुआ है.

उनके बयान के कुछ अंश:

1. 68.5 फीसदी मुसलमानों की साक्षरता दर है. जबकि राष्ट्रीय औसत 74.0 फीसदी है.

2.इसके अतिरिक्त स्कूल जाने वाले कुल भारतीय बच्चों की तुलना में मुसलमान बच्चों की संख्या पूरे देश में सबसे कम है.

3. 25 फीसदी 6 से 14 वर्ष आयुवर्ग के ऐसे मुसलमान बच्चों की हिस्सेदारी जो या तो कभी स्कूल ही नहीं गए या फिर बीच में जाना छोड़ दिया.

★हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के लिये पंजीकरण करवाने वाले मुसलमान बच्चों की संख्या 2012-13 में 13.5% के मुकाबले 2013-14 में बढ़कर 13.7% हो गई.

★एमसीडी के विद्यालयों में हुए कुल पंजीकरण में मुसलमान लड़कियों की संख्या कुल मिलाकर 50.5% है, जो आबादी में उनकी कुल हिस्सेदारी से अधिक है.

★मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के अनुसार विभिन्न बोर्डों में पढ़ने वाली मुसलमान लड़कियों और युवतियों के बीच पढ़ाई को लेकर 'मजबूत इच्छा और उत्साह' देखा जा रहा है.

★4 फीसदी या इससे भी कम है मुसलिम स्नातकों या डिप्लोमाधारी ऐसे युवकों की संख्या जिनकी उम्र 20 वर्ष या उससे अधिक है. इस आयु वर्ग के लिये राष्ट्रीय औसत 7 फीसदी है.

★वजह - अधिकतर मुसलमान या तो मैट्रिक में फेल हो जाते हैं या फिर उससे बहुत पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं.

=> 2 कारणों की पहचान एमएचआरडी ने की है जिसकी वजह से मुसलमानों के बीच कम साक्षरता दर है. 1पहला मुस्लिम क्षेत्रों में स्कूलों (माध्यमिक और उच्च माध्यमिक) की संख्या बहुत कम है जबकि लड़कियों के लिये स्कूलों की संख्या तो और भी कम है.

2 दूसरा लड़कियों के लिये छात्रावास सुविधाओं की कमी.

♂ संसद में नकवी का जवाब था, ''मुसलमान अभिभावक अपने बच्चों को आधुनिक और मुख्यधारा की शिक्षा दिलवाने के प्रति उदासीन होने के अलावा अपने बच्चों को सस्ते सरकारी स्कूलों में भेजने के प्रति भी लापरवाह हैं. वे अपने बच्चों को मदरसों में भेजना भी पसंद नहीं करते हैं. हालांकि मुसलमान बच्चों के लिये सरकारी स्कूलों की पहुंच बेहद सीमित है.''

♂ 12 फीसदी सड़कों पर सामान बेचने के कामों में लगे मुसलमान पुरुषों की संख्या. इस मामले में राष्ट्रीय औसत 7 फीसदी से भी कम है.

♂ उत्पादन से संबंधित कामों और परिवहन उपकरणों में मुसलमानों की हिस्सेदारी देशभर की औसत 21 फीसदी के मुकाबले 34 फीसदी है.

♂ करीब 16 फीसदी मुसलमान बिक्री से संबंधित कामों में लगे हैं जबकि राष्ट्रीय औसत 10 फीसदी है.

♂गौरतलब है कि मुसलमानों के बीच स्वरोजगार को आजीविका के एक मुख्य स्रोत के रूप में देखा जाता है.

मुसलमानों के बीच रोजगार को लेकर निकाले गए मुख्य निष्कर्ष :-

Gshindi.com

1.पहला पेशेवर, तकनीकी, लिपिकीय और प्रबंधकीय कामों में मुसलमानों की हिस्सेदारी बहुत कम है.

2. दूसरा वे अधिकतर असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनके काम करने की स्थितियां बहुत बुरी हैं.

3.तीसरा इसी वजह से बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने वाले मुसलमान परिवारों की संख्या काफी कम है यहां तक कि मुसलमानों की अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में भी.

---

7. ऑपरेशन ब्लूस्टार

=>अलग खालिस्तान **की मांग से बढ़ चरमपंथ**

70 के दशक की शुरुआत के साथ ही पंजाब में खालिस्तान नाम से अलग राज्य की मांग और चरमपंथ बढ़ गया था। अकाली अलग राज्य की मांग कर रहे थे और कहा जाता है कि उन्हें रोकने के लिए तत्कालीन केंद्र सरकार तथा कांग्रेस पार्टी एक ऐसा धड़ा तैयार करना चाहती थी जो अकालियों की राजनीति ख़त्म कर सके।

इसलिए भिंडरावाला को शह दी गई। तारीख को कुछ और ही मंजूर था और 1981 में अलग खालिस्तान का झंडा फहाराया गया।

=>क्यों हुआ ऑपरेशन ब्लूस्टार?

1983 में पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस अटवाल ही हत्या से माहौल गर्मा गया। उसी साल जालंधर के पास बंदूकधारियों ने पंजाब रोडवेज की बस में चुन-चुनकर हिंदुओं की हत्या कर दी। इसके बाद विमान हाईजैक हुए। स्थिति काबू से बाहर हो गई और केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया।

अब तक स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना चुका भिंडरावाला सरकार के निशाने पर आ चुका था और स्वर्ण मंदिर को चरमपंथियों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन ब्लूस्टार प्लान किया गया।

3 जून की रात

केंद्र सरकार ने भारतीय थल सेना को स्वर्ण मंदिर को स्वतंत्र कराने का जिम्मा सौंपा। जनरल बरार को ऑपरेशन ब्लूस्टार की कमान सौंपी। 3 जून को सेना ने अमृतसर में प्रवेश किया। चार जून की सुबह गोलीबारी शुरू हो गई।

सेना को चरमपंथियों की ताकत का अहसास हुआ तो अगले ही दिन टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का उपयोग किया गया। 6 जून की शाम तक स्वर्ण मंदिर में मौजूद भिंडरावाला व अन्य चरमपंथियों को मार गिराया गया। लेकिन तब तक मंदिर और जानमाल का काफी नुकसान हो चुका था।

आक्रोश फैला

ऑपरेशन के बाद सरकार ने **श्वेत** पत्र जारी कर बताया कि ऑपरेशन में भारतीय सेना के 83 सैनिक मारे गए और 248 अन्य सैनिक घायल हुए। इसके अलावा 492 अन्य लोगों की मौत की पुष्टि हुई और 1,592 लोगों को हिरासत में लिया गया। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और दंगे भड़क गए।

कौन था भिंडरावाला

बंटवारे के दौरान पंजाब में कट्टरपंथी विचारधारा जन्म लेने लगी। इस दौरान भिंडरावाला जब आकली अलग सिख राज्य की मांग कर रहे थे तब दमदमी टकसाल में एक लड़का सिख धर्म की पढ़ाई करने आया। इसका नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाला। उसकी धर्म के प्रति कट्टर आस्था ने उसे सबका प्रिय बना दिया और जब टकसाल के गुरु का निधन हुआ तो भिंडरावाला को टकसाल प्रमुख का दर्जा मिल गया। इसके बाद भिंडरावाला का प्रभाव बढ़ने लगा और देश विदेश में उसे समर्थन मिला।

=>क्या हुआ खालिस्तान का

gshindi.com

1990 के दशक में खालिस्तान की मांग कमजोर पड़ती गई। हालांकि ऑपरेशन ब्लू स्टार की तारीख पर आज भी हर साल पंजाब में विरोध प्रदर्शन होता है। ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका में रह रहे सिख समुदायों में अभी भी अलग खलिस्तान को लेकर मांग उठती रही है। समझा जाता है कि भारत से बाहर दो से तीन करोड़ सिख रहे हैं। उनमें से ज्यादातर का भारतीय पंजाब में कोई न कोई जुड़ाव है।

7. विकलांग' की जगह 'दिव्यांग' होगा केंद्र सरकार के विभाग का नाम

- **'द डिपार्टमेंट ऑफ एंपावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसबिलिटीज' अब हिंदी में "दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग"** के नाम से जाना जाएगा।

- इसके पिछले नाम से "विकलांगजन" शब्द हटा लिया गया है। हिंदी में अभी तक इसका नामविकलांगजन सशक्तीकरण विभाग था।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 27 दिसंबर को अपने "मन की बात" कार्यक्रम में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को दिव्य प्रतिभा का धनी बताया था। उन्होंने "विकलांग" की जगह "दिव्यांग" शब्द का उपयोग करने का आह्वान किया था।
- करीब पांच महीने बाद विभाग ने भी उनके इस विचार को अपनाने का फैसला किया है। केंद्र ने भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 में संशोधन के द्वारा विभाग के नाम में परिवर्तन का प्रस्ताव किया था।
- कैबिनेट सचिव की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार, अब "द डिपार्टमेंट ऑफ एंपावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसबिलिटीज" का हिंदी में नाम "दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग" होगा। इसमें कहा गया है कि नए नामकरण को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी अपनी मंजूरी दे दी है।
- दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आता है। यह विभाग दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण में मदद प्रदान करता है।
- साल 2011 में हुई जनगणना के अनुसार, देश की कुल जनसंख्या में 2.21 फीसद संख्या दिव्यांगों की है।

8. कॉमन मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट (NEET) अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी, एक साल के लिए टल गई परीक्षा

- देशभर में कॉमन मेडिकल टेस्ट (NEET) पर अध्यादेश को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंजूरी दे दी। अब राज्यों के बोर्ड को एक साल तक NEET से छूट मिल गई है।

- राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एमबीबीएस एवं दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए इस साल होने वाली संयुक्त मेडिकल प्रवेश परीक्षा से राज्य बोर्डों को बाहर रखने संबंधी अध्यादेश पर कुछ सवाल उठाने के बाद आज हस्ताक्षर कर दिए।

- सभी सवालों के समाधान के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के पहुंचने के बाद राष्ट्रपति ने इस अध्यादेश को लागू कर दिया ।राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (नीट) के संदर्भ में राष्ट्रपति ने स्पष्टीकरण मांगा था जिस पर जवाब देने के लिए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति सचिवालय में मौजूद थे। राष्ट्रपति के पास यह अध्यादेश भेजा गया था।

- गौर हो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अध्यादेश को मंजूरी दी थी। इसका **उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को आंशिक रूप से बदलना है जिसमें कहा गया है कि सभी सरकारी कॉलेज, डीम्ड विश्वविद्यालय और निजी मेडिकल कॉलेज नीट के दायरे में आएंगे।**
- परीक्षा का अगला चरण 24 जुलाई को होना है। गत एक मई को नीट के पहले चरण में करीब 6.5 लाख विद्यार्थी चिकित्सा प्रवेश परीक्षा दे चुके हैं।
- सात राज्य नीट के अनुसार परीक्षा लेंगे वहीं छह अन्य राज्यों में करीब चार लाख विद्यार्थी परीक्षा पहले ही दे चुके हैं।

- यह परीक्षा निजी चिकित्सा कॉलेजों और केंद्र सरकार के लिए आवेदन कर रहे प्रार्थियों के लिए होगी। राज्यों ने हाल में स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में छात्रों की भाषा और पाठ्यक्रम संबंधी कई समस्याएं उठाई थीं। उन्होंने कहा था कि राज्य बोर्डे से संबद्ध छात्रों के लिए इतनी जल्दी (जुलाई में) साझा परीक्षा देना मुश्किल होगा।

9. जियोस्पेशियल इनफॉर्मेशन रेगुलेशन बिल" और इससे जुड़े हुए मुद्दे . (Geospatial Information Regulation Bill)

- भारत के नक्शे को लेकर संसद में पेश नए ड्राफ्ट बिल पर पाकिस्तान ने एतराज जताया है। पाकिस्तान ने नक्शे में जम्मू-कश्मीर को दिखाने को लेकर यूएन में शिकायत की है। वहीं, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसे देश का अंदरूनी मामला बताते हुए पाक से दखल नहीं देने को कहा है। **पाक ने यूएन को भेजे लेटर में लिखा है ...**
- - पाकिस्तान भारत द्वारा संसद में जियोस्पेशियल इनफॉर्मेशन रेगुलेशन बिल लाने की कोशिशों से चिंतित है।
  - उसने लेटर भेजकर यूएन महासचिव और सिक्युरिटी काउंसिल के अध्यक्ष से इस बारे में चिंता जताई है।
  - पाकिस्तान ने ये लेटर न्यूयॉर्क में अपने परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के जरिए यूएन भेजा है।
- - इस्लामाबाद में फॉरेन ऑफिस ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है।
- - बता दें भारत का ये नया बिल ड्राफ्ट अगर कानून बना तो कई कंपनियां और एजेंसियां सरकार की तरफ से बिना लाइंसस लिए कोई मैप ऑनलाइन नहीं दिखा सकेंगी। ऐसा करने पर सजा भी हो सकती है।

क्या कहता है बिल?

- गूगल मैप्स जैसी सर्विसेस सैटेलाइट्स और क्राउड सोर्स्ड डाटा के जरिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती हैं। जल्द ही इन्हें गैरकानूनी करार दिया जा सकता है।

- द जियोस्पैशियल इन्फॉर्मेशन रेगुलेशन बिल 2016 के ड्राफ्ट में कहा गया है, "कोई भी शख्स सैटेलाइट, एयरक्राफ्ट्स, एयरशिप्स, बैलून, ड्रोन या किसी भी तरह के व्हीकल के जरिए एरियल या स्पेस व्यू के साथ भारत के किसी हिस्से की जियोस्पैशियल इमेज हासिल नहीं कर सकेगा।"

- - "मैप्स के लिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन हासिल करने और उसे साइट्स या ऐप्स के जरिए दिखाने के लिए अथॉरिटी से लाइसेंस की जरूरत होगी।"
- **=>कितनी होगी सजा और जुर्माना ?**

  - जो कंपनियां, एजेंसियां, संस्थाएं या लोग अभी मैप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें लाइंसस लेना होगा। ऐसा नहीं किया तो जुर्माना 10 लाख से 100 करोड़ रुपए के बीच लगेगा।
  - सात साल की सजा भी हो सकती है।
  - सिर्फ सरकारी डिपार्टमेंटस को लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं होगी।
- **=>सरकार कैसे रखेगी नजर?**

  - सरकार सिक्युरिटी अथॉरिटी बनाएगी ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन का रेगुलेशन किया जा सके।
  - इस अथॉरिटी में केंद्र सरकार का ज्वाइंट सेक्रेटरी चेयरमैन होगा। एक नेशनल सिक्युरिटी एक्सपर्ट और एक टेक्निकल एक्सपर्ट होगा।

=>पाकिस्तान का क्या कहना है?

- - पाकिस्तान ने कहा कि भारत के ऑफिशियल नक्शे में जम्मू-कश्मीर के विवादित क्षेत्र को भारत का हिस्सा बताया गया है।

Gshindi.com

- - ये एक गलत कदम है और यूएन सिक्युरिटी काउंसिल (UNSC) के रिजोल्युशंस का वॉयलेशन है। - बयान में कहा गया कि अगर ये बिल पास हो जाता है, तो भारत उन लोगों और संगठनों को सजा देगा, जो यूएन रिजोल्युशंस के तहत जम्मू-कश्मीर का विवादित क्षेत्र के रूप में नक्शा दिखाएंगे।
- - फॉरेन ऑफिस ने कहा कि यूएन को भेजा गया लेटर ये अपील करता है कि यूएन सिक्युरिटी काउंसिल के रिजोल्युशंस को बरकरार रखे और भारत को इंटरनेशनल रूल्स के वॉयलेशन से रोके।

=>भारत ने क्या दिया जवाब?

- - फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन विकास स्वरूप ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट (अविभाज्य हिस्सा) है।
- - नक्शे को लेकर तैयार बिल ड्राफ्ट भारत का इन्टर्नल लेजिस्लेटिव मैटर है और पाकिस्तान या किसी को भी इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।

---

10. मानहानि व सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मायने

सन्दर्भ

- आईपीसी की धारा-499 व 500 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने चुनौती दी थी।
- याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि आईपीसी के ये दोनों प्रावधान संविधान से मिले अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।
- इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 2 साल की सजा का प्रावधान है।
- याचिकाकर्ता व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दलील दी गयी थी कि उक्त प्रावधान को खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि यह औपनिवेशिक कानून है और इसका दुरुपयोग हो रहा है। यह कानून बोलने की आजादी के अधिकार का हनन करता है।
- **सरकार की दलील** थी कि मानहानि से संबंधित कानूनी प्रावधान सही हैं। हर व्यक्ति को 'राइट टु लाइफ एंड लिबर्टी' मिली हुई है और यह मूल अधिकार है। इसका मतलब मान-सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। ऐसे में मानहानि से संबंधित कानूनी प्रावधान को बरकरार रखना जरूरी है। अगर यह कानून नहीं रहेगा तो अराजकता फैलेगी।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

GShindi.com

सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि के डेढ़ सौ साल पुराने फौजदारी कानून में परिवर्तन से इनकार करके यह संदेश दे दिया है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर दूसरों की इज्जत पर कीचड़ उछालने की सहज इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि आधुनिक दौर में अभिव्यक्ति के तमाम मंचों के उपलब्ध होने से किसी पर कोई भी आरोप लगाना आसान हो गया है। इसलिए उस पर दंडात्मक विधान भी जरूरी है।

मानहानि क्या है? (What is Defamation)

भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अनुसार-किसी के बारे में बुरी बातें बोलना, लोगों को अपमानजनक पत्र भेजना, किसी की प्रतिष्ठा गिराने वाली अफवाह फैलाना, अपमानजनक टिप्पणी प्रकाशित या प्रसारित करना। पति या पत्नी को छोड़कर किसी भी व्यक्ति से किसी और के बारे में कोई अपमानजनक बात कहना, अफवाह फैलाना या अपमानजनक टिप्पणी प्रकाशित करना मानहानि माना जा सकता है।

जिसकी मानहानि हुई है, उसके पास विकल्प :

- पहला यह कि वह क्रिमिनल या सिविल केस में से कोई एक केस कर सकता है।
- दूसरा यह कि वह क्रिमिनल और सिविल दोनों ही केस कर सकता है।

आपराधिक मानहानि का मामला आईपीसी की धारा-499 व 500 के तहत दर्ज कराया जाता है। इसके लिए शिकायती सीआरपीसी की धारा-200 के तहत अदालत में अर्जी दाखिल करता है और वह आरोपी के खिलाफ तमाम सबूत पेश करते हुए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने की गुहार लगाता है। शिकायती के सबूत व बयान से अगर अदालत संतुष्ट हो जाए तो वह आरोपी के खिलाफ मानहानि के मामले में समन जारी करता है और फिर केस चलता है।

धारा 499 और 500 के औचित्य पर सवाल

इन धाराओं के तहत मानहानि को एक आपराधिक कृत्य माना गया है। यह कानून ब्रिटिश हुकूमत की देन है। आज के समय में इसे प्रासंगिक क्यों माना जाए?

- मौजूदा मानहानि कानून सरकारों, ताकतवर राजनेताओं और भ्रष्ट नौकरशाहों व भ्रष्ट उद्योगपतियों को ही रास आता है, जिन्हें आलोचनाओं और खुलासों से अपने किले दरकने का भय सताता है।
- दूसरी तरफ इस कानून ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले राजनीतिक-सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के काम को अनावश्यक रूप से बहुत जोखिम भरा बना रखा है।
- कई राज्य सरकारों का रवैया इस बात का उदाहरण है कि आलोचकों को सबक सिखाने के लिए मानहानि कानून का किस कदर दुरुपयोग होता रहा है।

11.Transgenders होंगे ओबीसी कैटेगरी में शामिल; मिल सकेगा सरकारी स्कीम्स का फायदा

ट्रांसजेंडर्स को भी अब सरकारी स्कीम्स का फायदा मिलेगा। ऐसा जल्द होने वाला है क्योंकि इन्हें ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया जायेगा। सरकार के इस कदम को थर्ड जेंडर को देश के कानूनों के तहत लाने के बड़े फैसले का हिस्सा माना जा रहा है।

=>सुप्रीम कोर्ट ने दी थी फॉरमली रिक्गनिशन (पहचान)...

- भारत में अभी ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई कानून नहीं है।
- 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को 'थर्ड जेंडर' कहा था जो न तो मेल हैं और न ही फीमेल।
- सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि वह यह तय करे कि थर्ड जेंडर भी वोटर कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस समेत बाकी सरकारी फैसिलिटीज हासिल कर सकें।
- साथ ही सरकार से ट्रांसजेंडर्स को 'सोशियली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड' मानने को कहा गया था।
- ताकि ऐसे लोगों को जॉब्स और एजुकेशन में कोटा दिया जा सके।

=>क्या है नए कानून का मकसद?

- प्रपोज्ड नया लॉ जॉब्स, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस और वेलफेयर स्कीम्स में ट्रांसजेंडर के साथ जारी भेदभाव पर रोक लगाएगा।
- ट्रांसजेंडर्स के पास प्रॉपर्टी खरीदने का राइट होगा।

- ऐसे लोगों को परिवार अपने से अलग नहीं कर सकेंगे।
- कानून तोड़ने वालों पर क्रिमिनल चार्जेज लगाए जाएंगे।

=>सरकार ने कब किया था वादा?

- डीएमके सांसद तिरुछी सिवा ने ट्रांसजेंडर्स को मान्यता दिलाने के लिए राज्य सभा में बिल पेश किया था जो पास हो गया था।
- इसके बाद सरकार ने पिछले साल इसे कानून बनाने का वादा किया था।
- 2013 में इलेक्शन कमीशन ने पहली बार ट्रांसजेंडर्स को वोटर्स कार्ड जारी किए थे।

=>अभी क्या है स्थिति?

- एक अनुमान के मुताबिक भारत में ट्रांसजेंडर्स की संख्या करीब पांच लाख है।
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले (2004) से पहली बार थर्ड जेंडर को देश में फॉरमली रिक्गनिशन मिली।
- हालांकि ऐसे लोगों को अभी भी देश में ज्यादातर जगहों पर अपना जेंडर बताते वक्त मजबूरी में मेल या फीमेल लिखना पड़ता है।
- ऐसा करने के दौरान ये अपनी पहचान साबित नहीं कर पाते हैं।
- फॉर्म में थर्ड जेंडर का कोई ऑप्शन नहीं होने की वजह से ये लोग केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से मिलने वाले बेनिफिट्स से भी दूर हैं

Schemes

1. जानिए क्या है सुकन्या समृद्धि योजना" (Sukanya Samriddhi Yojana)

- भारत में गिरता लिंगानुपात हर वर्ग के लिए चिंता का विषय बन चुका है। महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की है।

=>सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य :-

- सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी पर आने वाले खर्च को आसानी से पूरा करना है।
- योजना के अंतर्गत बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग के पास 'सुकन्या समृद्धि योजना' का अकाउंट खुलवाया जा सकता है। डाक विभाग के किसी भी पोस्ट ऑफिस के साथ अकाउंट खोलने के लिए सुविधा सेंटर में भी अलग काउंटर खुलेगा। यहां जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा कराने के बाद अकाउंट खुलया जा सकेगा।

=>यह है योजना:

* सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में बेटी के नाम से एक साल में 1 हजार से लेकर 1 लाख पचास हजार रुपए जमा कर सकता है।
* यह पैसा अकाउंट खुलने के 14 साल तक ही जमा करवाना होगा और यह खाता बेटी के 21 साल की होने पर ही मैच्योर होगा।
* योजना के नियमों के अंतर्गत बेटी के 18 साल के होने पर आधा पैसा निकलवा सकते हैं।
* 21 साल के बाद खाता बंद हो जाएगा और पैसा पालक को मिल जाएगा।

* अगर बेटी की 18 से 21 साल के बीच शादी हो जाती है तो अकांउट उसी वक्त बंद हो जाएगा।

* अकाउंट में अगर पेमेंट लेट हुई तो सिर्फ 50 रुपए की पैनल्टी लगाई जाएगी।

* पोस्ट ऑफिस के अलावा कई सरकारी व निजी बैंक भी इस योजना के तहत खाता खोल रही हैं।

* सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खातों पर आयकर कानून की धारा 80-जी के तहत छूट दी जाएगी।

* पालक अपनी दो बेटियों के लिए दो अकाउंट भी खोल सकते हैं।

* जुड़वां होने पर उसका प्रूफ देकर ही पालक तीसरा खाता खोल सकेंगे। पालक खाते को कहीं भी ट्रांसफर करा सकेंगे।

---

2. सरकार द्वारा बीते दो सालों में लाई गई 10 बड़ी योजनाएं

=>स्वच्छ भारत योजना :-

- पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा बिते वर्ष 2 अक्टूबर को दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में झाड़ू लगा कर 'स्वच्छ भारत योजना' की शुरुआत हुई थी।
- पीएम ने इस योजना के जरिए खुले में शौच की प्रथा को खत्म करने का आगाज किया था। जिसके तहत सरकार ने हर घर में शौचालय निर्माण कराने पर जोर दिया।
- आंकड़ों के मुताबिक देशभर से शौचालय निर्माण के लिए करीब 60 लाख आवेदन आए हैं। 24 लाख आवेदन पर काम किया जा रहा है
- अब तक देशभर में 13 लाख से ज्यादा शौचालय निर्माण कराए जा चुके हैं। इसके अलावा सरकार एक लाख से ज्यादा सामुदायिक शौचालयों का भी निर्माण करवा रही है।

=>जनधन योजना :-

- इस योजना का मकसद सामान्य से सामान्य व्यक्ति को बैकिंग सुविधा से जोडऩा और सरकारी लाभ सीधे उनके खाते में मुहैया कराना है।
- 2014 में गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री ने इस योजना की घोषणा की थी।
- अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि देशभर में 22 करोड़ से भी ज्यादा बैंक अकाऊंट प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले जा चुके थे।
- एक हफ्ते में एक करोड़ 80 लाख से ज्यादा बैंक खातें खोले जाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत सरकार के नाम दर्ज है।

=>मेक इन इंडिया योजना :-

- इस योजना का मकसद देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह अति महत्वाकांक्षी योजना है।
- अपने हर विदेश दौरे में प्रधानमंत्री इस योजना के तहत निवेश आकर्षित करने की पहल करते हैं। लेकिन अब तक कारोबारी और औद्योगिक माहौल नहीं बन पाने और भूमि अधिग्रहण तथा जी.एस.टी. जैसे विधेयक अटकने से यह योजना अपना सही रूप नहीं ले पा रही है
- हालांकि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में संसद को बताया कि मेक इन इंडिया के तहत पिछले दो साल के भीतर विदेशी निवेश में 44 फीसदी का इजाफा हुआ है जो करीब 63 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है।

=>स्किल इंडिया योजना :-

- मिशन मोड में शुरू की गई इस योजना का मुख्य काम युवाओं को प्रशिक्षण देना है।

Gshindi.com

- सरकार इस योजना के तहत 2022 तक देश में 40.2 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार योग्य बनाना चाहती है।
- जिसके लिए उद्यमियों से आगे आने की अपील की गई है। ताकि बाजार और उद्योग के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए।

=>डिजिटल इंडिया योजना :-

- 1 जुलाई 2015 को लांच हुई इस योजना का मकसद लोगों को तकनीकि सुविधाएं और गांवों तक इंटरनैट की सुविधा मुहैया कराना है।
- इसके अलावा सरकार गवर्नैंस को भी डिजिटल तकनीकी से जोडऩे की कोशिश में है, ताकि ग्रामीण स्तर तक योजनाओं की ठीक से मॉनीटरिंग और क्रियान्वयन हो सके
- ब्लाक को तहसील से तहसील को, जिलों से और जिलों को, प्रदेश तथा प्रदेश को केंद्र से जोडऩे की इस योजना के लिए अभी बुनियादी संचरना भी नहीं तैयार की जा सकी हैं।

=>स्मार्ट सिटी योजना :-

- स्मार्ट सिटी का कांसैप्ट सर्वसुविधायुक्त शहर बनाने का है, जिसमें एक ही परिसर में आवासीय सुविधा के साथ ही दफ्तर, स्कूल, चिकित्सालय समेत बाकी सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हों। परिवहन की विशेष व्यवस्था के साथ ही हर वक्त बिजली मुहैया रहे।

=>उदय योजना

- इस योजना के तहत देश के हर गांव तक बिजली मुहैया कराने सरकार का लक्ष्य है। योजना के तहत केंद्र सरकार हर रोज 10 से 15 गांवों का विद्युतीकरण कर रही है।

=>उज्ज्वला योजना :-

- इस योजना की शुरूआत 1 मई 2016 में हुई है।
- गरीबी रेखा के नीचे वाले (बी.पी.एल.) परिवारों को सरकार सिंगल सिलैंडर एल.पी.जी. कनैक्शन मुफ्त मुहैया करा रही है।
- यह योजना पेड़ों का कटान रोकने और वायुमंडल को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में एक बेहतर पहल मानी जा रही है।
- इस योजना को महिलाओं की मदद को ध्यान में रखते हुए भी बनाया गया है। इसके तहत ग्रामीण महिलाओं को आसानी से एलपीजी उपलब्ध होती है। खासकर वो महिलाएं जो सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पा रही है।

=>प्रधानमंत्री आवास योजना :-

- इस योजना को शुरू हुए लगभग एक साल हो गया है। सरकार ने वर्ष 2022 तक देशभर में दो करोड़ सस्ते आवास बनाने का लक्ष्य रखा है।
- इसके लिए हर शहर में अफोर्डेबल हाऊसिंग प्रोजैक्ट लाने की कोशिश की जा रही है। ताकि आवास विहीन परिवारों को सस्ते और हर तरह की सुविधायुक्त आवास मुहैया कराए जा सकें।

=>मुद्रा योजना :-

- सरकार ने मुद्रा योजना की नई पहल ही जिसमे छोटे उद्यमियों को अपना कारोबार शुरु करने के लिए 50,000 से 10 लाख तक का लोन देने की सुविधा उपलब्ध है।

Gshindi.com

- महिलाओं का एक बड़ा वर्ग मोदी सरकार की इस योजना का काफी हद तक लाभ उठा रहा है।
- मुद्रा बैंक योजना से अब तक करीब एक करोड़ से ज्यादा महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं।
- मुद्रा स्कीम का लाभ उठाने वाले तीन करोड़ लाभार्थियों का एक तिहाई हिस्सा महिलाओँ का हैं।
- मुद्रा योजना से ई-रिक्शा चलाना, सिलाई इकाइयों, ब्यूटी पार्लर, डेयरी फार्मिंग,हैंडलूम जैसे असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में इजाफा देखा गया है।

3.सागरमाला परियोजना: देश की आर्थिक तस्वीर बदलने में सक्षम परियोजना (सागरमाला परियोजना का समालोचनात्मक मूल्याङ्कन)

♂ केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सागरमाला जल परिवहन के मोर्चे पर उससे भी बड़ा काम कर सकती है जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ने सड़क परिवहन के मामले में किया.

★ केंद्र सरकार अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना सागरमाला पर 70 हजार करोड़ रु खर्च कर रही है।

=>उद्देश्य :-

- सागरमाला का मकसद भारत के शिपिंग क्षेत्र की तस्वीर बदलना है. इसके तहत बंदरगाहों को आधुनिक बनाया जाएगा और उनके इर्द-गिर्द विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे.

★सागरमाला पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना है. इसका ऐलान उन्होंने 15 अगस्त 2003 को किया था. जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ने भारत में सड़क परिवहन का स्वरूप बदला उसी तरह वाजपेयी सागरमाला के जरिये जल परिवहन क्षेत्र का कायाकल्प करना चाहते थे.

★विदेशों से होने वाले भारत के व्यापार का 90 फीसदी बंदरगाहों के जरिये होता है. देश की करीब साढ़े सात हजार लंबी तटीय सीमा पर 13 बड़े बंदरगाह हैं.

★सरकार की योजना है कि इनका कायाकल्प किया जाए और कुछ नए बंदरगाह भी विकसित किए जाएं.

=>वर्तमान समस्याएं :-

★ मौजूदा बंदरगाहों में कारगो की ढुलाई से लेकर तमाम दूसरी प्रक्रियाओं पर काम के पुराने ढर्रे और लालफीताशाही के चलते काफी गैरजरूरी खर्च होता है.

=>कैसे होगा लाभ :-

बंदरगाहों में जरूरी अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाएं विकसित करने के बाद इससे बचा जा सकेगा. अनुमान लगाया जा रहा है कि सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो सागरमाला से सरकार को सालाना औसतन 40 हजार करोड़ रु तक की बचत होगी.

★इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है. सागरमाला के तहत देश के भीतरी भागों में जलमार्ग विकसित करने की भी योजना है.

★ नदियों और नहरों से बने ये जलमार्ग सीधे बंदरगाहों से जुड़े होंगे और इनके जरिये समुद्र से दूर स्थित इलाकों से भी माल ढोया जा सकेगा.

* एक लीटर डीजल से सड़क पर 24 टन के कारगो को एक किलोमीटर तक ढोया जा सकता है. रेल के मामले में यही आंकड़ा 85 टन का हो जाता है और जल परिवहन के मामले में 105 टन तक पहुंच जाता है. यानी इससे माल ढुलाई की लागत असाधारण रूप से कम हो सकती है.

GShindi.com

★बंदरगाहों तक रेल के जरिये कारगो के आवागमन को सरल बनाने के लिए खास तौर पर इंडियन पोर्ट रेल कॉरपोरेशन नाम की संस्था भी बनाई गई है. यानी सागरमाला से सड़क और रेल मार्ग पर पड़ रहा बोझ घटेगा और समय और पैसे की बचत होगी.

★कारोबार को आसान बनाने पर जोर दे रही सरकार का मानना है कि उद्योग बंदरगाहों के नजदीक होंगे तो उनके लिए निर्यात आसान होगा.

★सागरमाला का एक अहम हिस्सा बंदरगाहों के इर्द-गिर्द तटीय आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण भी है. कारोबार को आसान बनाने पर जोर दे रही सरकार का मानना है कि उद्योग बंदरगाहों के नजदीक होंगे तो उनके लिए निर्यात आसान होगा.

★नए आर्थिक क्षेत्र पनपने से स्थानीय लोगों के लिए बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होंगे. इन लोगों के लिए सस्ती आवासीय परियोजनाएं भी विकसित करने की भी योजना है. इस तरह देखा जाए सागरमाला बड़े शहरों की तरफ हो रहे पलायन को रोकने की अहम कवायद भी है.

★इन बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार के पास रहेगा. यही वजह है कि केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ते टकराव को देखते हुए कुछ इस योजना की सफलता पर संदेह जता रहे हैं.

★ इसमें राज्यों को भी कम फायदा नहीं है. बंदरगाहों पर केंद्र का नियंत्रण होगा तो विशेष आर्थिक क्षेत्रों से जुड़ी अलग-अलग गतिविधियां राज्य सरकारों के अधीन होंगी. इस मसले पर सबको साथ लेकर चलने के लिए केंद्र ने राष्ट्रीय सागरमाला समिति भी बनाई है जिसमें सभी तटीय राज्यों के प्रतिनिधि हैं.

★सागरमाला को सरकार की दूसरी महत्वाकांक्षी योजना भारतमाला से भी जोड़ा जाएगा.

♂ भारतमाला के तहत पूरब से पश्चिम यानी मिजोरम से गुजरात तक लगभग पांच हजार किमी लंबाई की सड़कें बननी है। अगर सब ठीक रहा तो ये दोनों परियोजनाएं मिलकर अगले 10 साल के दौरान देश की आर्थिक तस्वीर में एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं.

♂पश्चिमी देशों में अत्याधुनिक बंदरगाह आर्थिक तरक्की की प्रक्रिया का अहम हिस्सा साबित हुए हैं. यही वजह है कि अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने की कवायद में लगी सरकार को सागरमाला से बहुत उम्मीदें हैं.

4. प्रधानमंत्री आवास योजना : 26 राज्यों में 2508 शहरों को सस्ते घर उपलब्ध कराने के लिए चुना गया

- 26 राज्यों में 2508 शहरों को 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के अंतर्गत शहरी गरीबों के लिए सस्ते घर उपलब्ध कराने के लिए चुना गया है।

- लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा '25 अप्रैल, 2016 तक 26 राज्यों के कुल 2508 शहरों की प्रधानमंत्री आवाज योजना-हाउसिंग फोर ऑल (अर्बन)मिशन के लिए चुना गया है।'

- इस योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों को बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, भूकंप से बचाव के लिए संरचनात्मक सुरक्षा के अनुरूप निर्माण किया गया है।

- यह नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप और अन्य प्रासंगिक भारतीय मानक संहिताओं के अनुरूप है।

=>उद्देश्य :-

- यह स्कीम सात सालों के अंतराल में देश भर में दो करोड़ घरों से ज्यादा निर्माण का उद्देश्य लिए है। 2015 में शुरु हुई यह स्कीम 2022 में पूरी होगी।

=>लक्षित समूह:-

- स्कीम का टारगेट देश के शहरी प्रतिष्ठानों में हरने वाले गरीब, आर्थिक रूप से कमजोग वर्ग और निम्न आय वर्ग है।

- सरकार की मुख्य जिम्मेदारी शहरी बेघर लोगों को आश्रय प्रदान करना है। आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय 'शहरी बेघर के लिए आश्रय' नाम की स्कीम लागू कर रहा है जो कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के एक घटक के रूप में है।

- राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यों द्वारा 38770 लागों की क्षमता वाले कुल 700 घरों को मंजूद किया गया है। इसमें से 11900 लोगों की क्षमता वाले 270 घर ऑपरेशनल है।

---

5. ग्रामोदय से भारत उदय

भारत गांवों में बसता है। भारत की प्राण-प्रतिष्ठा और आत्मा उसके छह लाख गांवों में स्थापित है। दस में से हर सात भारतीय गांवों में अपनी आजीविका चलाता है।

- आजीविका के साधन के रूप में प्रमुख रूप से खेती है। जो साल दर साल घाटे का सौदा बनती जा रही है।
- गांव का जीवन दुरुह है। सुविधाएं नहीं हैं।
- आय के साधन नहीं है।
- लिहाजा शहरों की तरफ पलायन बढ़ रहा है।
- इससे पहले तक सरकारों के एजेंडे में औद्योगीकरण, शहरीकरण जैसे तमाम विषय शामिल रहे, लेकिन ग्रामीणीकरण अब तक कमोबेश उपेक्षित ही रहा।

- गांव के लोग आज भी उन बुनियादी सुविधाओं के लिए महरूम हैं जिसे आज के कुछ दशक पहले ही उन्हें मिल जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि चीजें सुधरी नहीं है लेकिन ये सुधार जरूरत के बनिस्बत अपर्याप्त साबित हो रहा है।

- बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर आय के स्नोत बढ़ाने पर जोर देने की जरूरत है। ऐसे में सरकार का ग्रामोदय के रास्ते भारत उदय लाने का खाका उम्मीद का प्रकाश पुंज साबित हो सकता है।

- बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती से शुरू, इसके अंतर्गत....

ग्रामीण विकास को लेकर चलाई जा रही केंद्र सरकार की नीतियो से लोगों को जागरूक किया जाएगा। गांवों की जरूरतों को ज्यादा से ज्यादा जानने-समझने की कोशिश होगी ताकि नीतियों-योजनाओं के माध्यम से प्रभावी रूप से उन्हें दूर किया जा सके।

- सरकार शायद गांवों में बसने वाले भारत की मजबूती में ही देश की मजबूती देख रही है। हमारे शहरों का तो स्तरीय विकास हो चुका है। अब बारी गांव की है। अगर हमारे गांव विकास करते हैं। वहां के हर बाशिंदे का अगर जीवन स्तर और कल्याण स्तर ऊपर उठता है तो निश्चिततौर पर भारत उदय होना तय होगा।

हालांकि चुनौतियां बड़ी हैं लेकिन सरकार की जिजीविषा इन चुनौतियों से ज्यादा सख्त दिख रही है। ऐसे में गांव के रास्ते भारत उदय करने के मोदी सरकार के सपने की पड़ताल आज हम सबके लिए बड़ा मुद्दा है।

---

5. स्मार्ट सिटी: सरकार ने जारी की नई लिस्ट, 13 शहरों में लखनऊ, रायपुर और रांची भी शामिल

- सरकार ने देश के नए 13 फास्ट ट्रैक स्मार्ट सिटी का ऐलान किया। इसमें बिहार, यूपी और झारखंड के एक-एक शहर को मौका मिला है। सभी शहरों का चयन फास्ट ट्रैक कंपटीशन के आधार पर किया गया है।

- केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने फास्ट ट्रैक स्मार्ट सिटी के लिए चुने जाने वालों शहरों की घोषणा की। लिस्ट में लखनऊ सबसे टॉप पर है।

- 23 शहरों ने फास्ट ट्रैक स्मार्ट सिटी की दावेदारी पेश की थी जिसमें अभी 13 शहर ही क्वालिफाई कर पाए। ये शहर है- लखनऊ, वारंगल, चंडीगढ़ रायपुर, भागलपुर, इंफाल, पोर्ट ब्लेयर, पणजी, रांची, अगरतला, धर्मशाला, न्यू टाउन कोलकाता और फरीदाबाद।

gshindi.com

- उच्च रैंकिंग वाले 23 राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों के 23 शहरों ने 'फास्ट ट्रैक कम्प्टीशन' में हिस्सा लिया जिन्हें गत जनवरी में पहले दौर की प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था। 28 जनवरी को घोषित 'स्मार्ट सिटी चैलेंज कम्प्टीशन' में 20 स्मार्ट सिटी मिशन शहरों की सूची में मात्र 12 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व मिल पाया था।
- गौर हो कि केंद्र सरकार ने देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत दूसरे चरण में 23 शहरों की दावेदारी में से 13 के नामों का ऐलान कर दिया गया। अगले दो सालों में इस योजना के तहत 40-40 शहरों का चयन रैंकिंग के आधार पर होगा। फास्ट ट्रैक कंपटीशन के जरिए सभी शहरों को अपनी रैंकिंग सुधारने का मौका दिया जा रहा है।
- स्मार्ट सिटी के लिए चुने गए हर शहर को पहले साल 200 और उसके बाद चार साल के लिए हर साल 100 करोड़ रुपये मिलेंगे।
- केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट पर अगले पांच साल में 48 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी और इतनी ही रकम राज्य मिलकर खर्च करेंगे।

6. क्या है नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)

किसान वह व्यक्ति है जो खेती का काम करता है। 70 प्रतिशत भारतीय लोग किसान हैं। वह किसान ही है जो खेतों में मेहनत करके देशभर की जनता का पेट भरता है। अफसोस की बात है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी देश का किसान आत्महत्या को मजबूर हो जाता है। किसानों की समस्या को समझते हुए2016 में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफा किसानों को दिया है- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।

- किसान का एक सबसे बड़ा संकट है प्राकृतिक आपदा, जिसमें खेतों में की गई उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। किसानों को फसल की सुरक्षा देने का एक ही उपाय है फसल बीमा योजना।

=>क्या है यह योजना:

- योजना के अन्तर्गत किसानों को बीमा कम्पनियों द्वारा निश्चित, खरीफ की फसल के लिए 2 प्रतिशत प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

* योजना में सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। अर्थात बचा हुआ प्रीमियम 90 प्रतिशत होता है, तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

* शेष प्रीमियम बीमा कंपनियों को सरकार द्वारा दिया जाएगा। ये राज्य तथा केंद्रीय सरकार में बराबर- बराबर बाँटा जाएगा।

* योजना की प्रीमियम दर बेहद कम रखी गई है ताकि किसान इसकी किस्तें आसानी से वहन कर सकें।

* योजना किसानों के हित के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से भी काम करेगी।

* प्रधानमंत्री फसल योजना के अंतर्गत किसान मोबाइल के माध्यम से भी अपनी फसल के नुकसान के बारे में आंकलन कर सकता है।

Note:- ध्यान रहे कि मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि इस योजना में शामिल नहीं है।

---

7. सरकार करेगी ऑनलाइन मॉनेटरिंग: नहीं हो पायेगी मिड-डे मील में गड़बड़ी

देश के किस इलाके के किस स्कूल में कितने बच्चों ने मिड-डे मील खाया या नहीं खाया और क्या खाया, कितने बजे खाया इसकी पूरी रिपोर्ट स्कूल की छुट्टी होने से पहले केंद्र सरकार को मिल जाया करेगी।

★मानव संसाधन विकास मंत्रालय देशभर के सभी बच्चों को समय से मिड-डे मील मुहैया करवाने के लिए प्रतिदिन ऑनलाइन मॉनेटरिंग करेगा।

★ सरकार जुलाई से इस योजना को शुरू करेगी।

उद्देश्यश। :-

★मानव संसाधन विकास मंत्रालय चाहता है कि देशभर के सभी बच्चों को समय से मिड-डे मील मिले। हालांकि स्कूल राज्य सरकारों के अधीन आते हैं, जिसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को तीन या छह महीने के आधार पर मिलती है। लेकिन उस रिपोर्ट में भी स्कूल वाइज जानकारी नहीं होती है।

- यानी किन स्कूलों में बच्चों को मिड-डे मील नहीं मिल पा रहा है, उसकी कोई जानकारी न मिलने के चलते मंत्रालय मिड-डे मील को प्रतिदिन ऑनलाइन मॉनेटरिंग करने जा रहा है।

बता दें कि देशभर में 11.51 शिक्षण संस्थानों में 10.13 करोड़ छात्र मिड-डे मील का लाभ उठाते हैं। इसमें से 60 से 100 सौ फीसदी तक का खर्च केंद्र सरकार उठाती है।

=>इंटीग्रेडिट वाइस रिस्पॉस सिस्टम से होगी मॉनेटरिंग :-

★सरकार ऑनलाइन मॉनेटरिंग के लिए इंटीग्रेडिट वाइस रिस्पांस सिस्टम बना रहा है। यह सिस्टम एनआईसी (नेशनल इंफोरमेटिकस सेंटर) के सर्वर से जुड़ा होगा। इसमें देशभर के शैक्षणिक संस्थानों के प्रभारियों (हेडमास्टर, प्रिंसिपल या सीनियर टीचर) के मोबाइल नंबर भी जोड़े गए होंगे।

★इंटीग्रेडिट वाइस रिस्पांस सिस्टम से ऑटोमेटिक कॉल जनरेट होगी और सीधे स्कूल प्रभारी के मोबाइल पर जाएगी।

† इस कॉल में करीब चार या पांच स्तर के सवाल होंगे। पहला कितने बच्चों ने खाना खाया या नहीं खाया? खाना बना, लेट बना या फिर क्यों नहीं बना? खाना बनाने के लिए सामान था या नहीं, खाना बनाने वाली आयी थी या नहीं।

† साथ ही बच्चों ने क्या खाना खाया के बारे में भी जानकारी देनी होगी। इस ऑटोमेटिक कॉल जनरेट में स्कूल प्रभारी को मोबाइल एसएमस की तर्ज पर जानकारी देनी होगी।

† यह जानकारी इंटीग्रेटिड वाइस रिस्पांस सिस्टम पर अपलोड हो जाएगी। हालांकि सरकार यह भी ध्यान रखेगी कि कोई स्कूल या प्रभारी मिड-डे मील से संबंधित कोई भी जानकारी गलत न दें।

★इसके लिए विशेषज्ञों की टीम क्रॉस चैक भी करेगी। अक्सर मिड-डे मील में धांधली की शिकायतें सामने आती रहती हैं। लेकिन इस नई योजना के बाद कोई धांधली नहीं कर सकेगा। क्योंकि सरकार प्रतिदिन यह जांच करवाएगी कि बच्चों को खाना मिल रहा है या नहीं? जब बच्चों तक खाना नहीं पहुंचेगा तो सरकार संबंधित राज्य सरकारों से सवाल कर सकती है कि आखिर बच्चों को खाना क्यों नहीं मिल रहा है।

GShindi.com

Economics

1. टैक्स चोरी रोकने के लिए भारत सरकार का मॉरीशस के साथ DTAA संधि में संसोधन का समझौता, अब सिंगापुर के साथ वार्ता:

★टैक्स चोरी और DTAA संधि में संसोधन का मामला भारत और मॉरीशस के संबंधों में एक बड़ी रुकावट रहा है। DTAA संधि के कुछ उपबंधों के कारण ही मॉरीशस के रस्ते से होकर राउंड ट्रिपिंग और टैक्स चोरी के मामले सामने आते रहे हैं।

★ अब टैक्स चोरी को रोकने के लिए मॉरीशस के साथ दोहरी कराधान संधि में संशोधन को लेकर भारत का समझौता संपन्न हुआ है। मॉरीशस से समझौते में सफल रही भारत सरकार यही काम सिंगापुर के साथ करने की तैयारी में है.

♂ ज्ञातव्य हो कि मॉरीशस के बाद सिंगापुर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है।

=>विस्तार से :-

★कुछ् दिन पहले ही भारत और मॉरीशस ने दोहरे कराधान से बचने के दो दशक पुराने समझौते में संशोधन पर दस्तखत किए हैं. इसके तहत अगर मॉरीशस की कंपनियां एक अप्रैल 2017 के बाद भारतीय कंपनियों में अपने शेयर बेचती हैं तो उन्हें इससे होने वाले पूंजीगत लाभ पर भारत सरकार को कर देना होगा.

★पहले ऐसा नहीं था. हालांकि शुरुआती दो वर्षों के लिए कर की दर घरेलू कर दरों के 50 प्रतिशत तक ही सीमित रहेगी. यानी वित्तीय वर्ष 2019-20 से मॉरीशस की कंपनियों को भारत के घरेलू करदाताओं की तरह ही पूरा कर देना होगा.

★संशोधित संधि के मुताबिक रियायती दर पर पूंजीगत लाभकर उसी कंपनी पर लागू होगा जो यह साबित कर देगी कि उसने मॉरीशस में कम से कम 27 लाख रुपए का खर्च किया है और वह वहां सिर्फ एक शेल यानी मुखौटा कंपनी के तौर पर सक्रिय नहीं है.

★मॉरीशस 2014-15 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत था. इस दौरान 24.7 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में मॉरीशस का 24 फीसदी योगदान रहा. सिंगापुर के लिए यह आंकड़ा 21 फीसदी था.

★भारत व मॉरीशस के बीच दोहरी कराधान संधि 1983 में हुई थी. लेकिन लंबे समय से इस संधि को लेकर सवाल उठते रहे. आरोप लगते रहे हैं कि मॉरीशस से आने वाला ज्यादातर निवेश असली नहीं नहीं बल्कि भारतीयों का ही पैसा है जो वे मॉरीशस के माध्यम से देश में वापस लाकर निवेश कर रहे हैं.

★संधि में बदलाव के बाद अब कंपनियां मॉरीशस के नाम पर कर देने से नहीं बच सकेंगी. अब तक यह प्रावधान था कि मॉरीशस में पंजीकृत किसी कंपनी की अगर भारत में परिसंपत्तियां हैं तो उन पर सिर्फ मॉरीशस में ही टैक्स लग सकता था.

★भारत में अल्पावधि पूंजीगत लाभ यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20 फीसदी टैक्स लगता है लेकिन मॉरीशस में ऐसा नहीं है. इसलिए ये कंपनियां न तो भारत में टैक्स का भुगतान करती थीं और न ही मॉरीशस में.

★13 लाख की आबादी वाला मॉरीशस 2014-15 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत था. इस दौरान 24.7 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में मॉरीशस का 24 फीसदी योगदान रहा. सिंगापुर के लिए यह आंकड़ा 21 फीसदी था.

★इस फैसले को लेकर विशेषज्ञों की अलग-अलग राय है. कुछ के मुताबिक मॉरीशस और सिंगापुर के साथ संधि में सुधार से भारत में विदेशी निवेश की लागत बढ़ जाएगी जिससे आने वाले दिनों में शेयर बाजार पर इसका बुरा असर दिख सकता है. बहुत से जानकार यह भी मानते हैं कि टैक्स हैवेन कहे जाने वाले देशों के साथ अगर इस तरह के समझौते होते हैं तो यह सही दिशा में उठाया गया कदम है.

Gshindi.com

2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) और पांच सहयोगी बैंकों तथा नवगठित भारतीय महिला बैंक का विलय : पक्ष – vipaksh

- लंबे समय तक चले मंथन के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने अपने पांच सहयोगी बैंकों और नवगठित भारतीय महिला बैंक (बीएमबी) के खुद में विलय के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है.

- एसबीआई के पांच सहयोगी बैंक में स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद, स्टेट बैंक आफ मैसूर, स्टेट बैंक आफ पटियाला और स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर शामिल हैं.

** हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब एसबीआई खुद में छोटे बैंकों का विलय कर रही है. एसबीआई ने सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को 2008 में खुद में मिलाया था. उसके बाद 2010 में उसने स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय किया था.

* विशेषज्ञों ने एसबीआई के इस कदम पर अपनी आशंकाएं जाहिर की हैं. वहीं एसबीआई के पांच सहयोगी बैंकों के कर्मचारियों का एक समूह अपने मूल बैंक के साथ प्रस्तावित विलय के खिलाफ शुक्रवार को एक दिन की हड़ताल पर रहा .कर्मचारियों ने सात जून और 20 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है.

* बैंकिंग क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले संकट के समय बैंकों का विलय संकट से निपटने के लिए आसान विचार माना जाता है. भारतीय बैंकिंग सेक्टर अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है.

* उद्योग संगठन एसोचैम की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर 2015 के अंत तक जोखिम वाली परिसंपत्ति का आंकड़ा दस लाख करोड़ रुपए के पार जा सकता है. इसमें गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) और पुनर्गठित ऋण (सीडीआर) भी शामिल हैं.

विलय के पक्ष में तर्क (In favors):

1. प्रस्तावित विलय से एसबीआई दुनिया के 50 बड़े बैंकों में शामिल हो जाएगा. फिलहाल बैंक 52 वें स्थान पर है. बैंक का बैलेंसशीट बढ़कर 37 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगा, जो अभी 28 लाख करोड़ रुपये है.
2. भारतीय बैंकिंग प्रणाली बहुत ज्यादा खंडित है और छोटे बैंक अर्थव्यवस्था के पैमाने पर लक्ष्य हासिल करने में विफल रहे हैं. एक बड़ी ईकाई के रूप में एसबीआई खर्चों में कटौती और मुनाफे में सुधार कर सकती है.
3. आगे बढ़ रहे भारत को बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भारी धन की जरूरत है. इसके लिए अच्छे बैलैंसशीट वाले बैंक ही धन का इंतजाम कर सकते हैं. वास्तव में जिन छह बैंकों का विलय एसबीआई में प्रस्तावित हैं, उनके पास किसी बड़े बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए फंड नहीं है.
4. अपने पैरेंट्स संगठन एसबीआई से जुड़ने से सहयोगी बैंक बेहतर बैंकिंग सुविधाओं के साथ अधिक ग्राहकों को लुभाने में सक्षम हो जाएगा.
5. 21वीं सदी में बैंकों को बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने के लिए नवीनतम टेक्नोलॉजी से लैस होना पड़ेगा. छोटे बैंकों को डिजिलट बैंकिंग की ओर बढ़ने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है.

=>विलय के विपक्ष में तर्क (In Against) :-

1. विलय के बाद एसबीआई अपने 37 लाख करोड़ रुपये के बैलेंसशीट के साथ दुनिया के शीर्ष 50 बैंकों में शामिल हो जाएगा. विलय से एसबीआई भारत के दूसरे सबसे बड़े बैंक आईसीआईसीआई से पांच गुणा बड़ा हो जाएगा. आईसीआईसीआई का बैलेंसशीट 7.11 करोड़ रुपये है.
2. निजी बैंकों के लिए विलय का रास्ता ज्यादा आसान है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में के लिए विलय मुश्किल होता है क्योंकि विलय के बाद बैंक के कर्मचारियों की संख्या बढ़ जाती है और उनकी छंटनी आसान नहीं होती. बैंक यूनियन

GShindi.com

पहले ही विलय के खिलाफ हड़ताल की घोषणा कर चुके हैं. एसबीआई को कर्मचारियों के विरोध का सामना करना पड़ेगा.

3. इसमें कोई संदेह नहीं है कि बड़े बैंक बड़ी परियोजनाओं के लिए धन जुटा सकते हैं. लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि इससे एसबीआई जैसे बड़े बैंक का जोखिम भी उतना ही बढ़ेगा. हाल में ही आरबीआई के गर्वनर रघुराम राजन ने यह भरोसा जताया था कि बैंक अब सोच-समझकर ऋण देंगे.
4. ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का ऋण देने के मामले में प्रोफाइल एक ही जैसा है. इसलिए एक ही तरह बैंकों का आपस में विलय व्यापार में सुधार की संभावनाओं में बढ़ोत्तरी नहीं करता है. सार्वजनिक बैंक अपना ज्यादातर ऋण थोक बाजार में देते हैं और विलय के बाद उनके पोर्टफोलियो में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है.
5. नए टेक्नोलॉजी के साथ करने के लिए नई प्रतिभाओं की भर्ती की आवश्यकता होगी. विशेष रूप से नए कारोबार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बैंकों के लिए यह जरूरी होगा. लेकिन विलय के बाद भी एसबीआई में बड़ी संख्या में पुराने कर्मचारी होंगे जो एक ही तरह के प्रोफाइल में काम करते रहे हैं. इससे एसबीआई को नए कारोबार में दिक्कत पेश आ सकती है.

* एसबीआई के पांचों सहयोगी बैंकों के निदेशक मंडलों ने मंगलवार को हुई बैठक में अपने मातृ संगठन एसबीआई के साथ विलय का प्रस्ताव कर चुकी है. विलय फायदेमंद का सौदा तभी साबित हो सकता है जब एसबीआई ऊपर दिए चुनौतियों का सामना करने सफल हो.

---

3. एसबीआई के सहयोगी बैंकों के विलय का काम शुरू:

:- भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने पांच सहयोगी बैंकों के उसमें विलय के प्रस्ताव की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए एक विशेष टीम का गठन किया है जो इस एकीकरण के तौर तरीकों पर काम करेगी।

- एक ‘‘15-20 सदस्यों की टीम बनाई गई है जिसने विलय की रूपरेखा पर काम शुरू किया है। इस टीम के प्रमुख एक महाप्रबंधक हैं।

- टीम में कई उप महाप्रबंधक शामिल हैं।’’ इस टीम का गठन सहायक एवं अनुषंगी विभाग के निरीक्षण में किया गया है, जिसके प्रमुख प्रबंध निदेश वीजी कन्नन हैं।

- यदि सबकुछ ठीक रहा तो तीन-चार माह में यह प्रक्रि या शुरू हो जाएगी।

=>परिप्रेक्ष्य :-

- एसबीआई के निदेशक मंडल ने पिछले महीने सरकार को अपने पांच अनुषंगी बैंकों तथा भारतीय महिला बैंक के खुद में विलय का प्रस्ताव सौंपा था।

- एसबीआई ने पिछले महीने अपनी बोर्ड की बैठक के बाद कहा था, ‘‘विलय पर विचार विमर्श सिर्फ संभावना के स्तर पर है। सहयोगी बैंकों के साथ बातचीत शुरू करने के लिए सैद्धान्तिक मंजूरी लेने को एक प्रस्ताव सरकार को सौंपा गया है।’

- देश के सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक के पांच सहयोगी बैंकों में स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक आफ पटियाला, स्टेट बैंक आफ मैसूर तथा स्टेट बैंक आफ हैदराबाद शामिल हैं।

- सरकार विलय प्रस्ताव का आकलन कर रही है और जल्द इस पर प्रतिक्रिया देगी। सरकार की नीति कुल मिला कर विलय-अधिग्रहण के जरिए मजबूती के पक्ष में है।

---

4. भारत में इस्लामिक बैंकिंग की होने जा रही है शुरुआत" (क्या कहलाती है इस्लामिक बैंकिंग)

GShindi.com

★ इस्लामी बैंकिग व्यवस्था की शुरुआत गुजरात से होने जा रही है. जेद्दाह स्थित इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक (आईडीबी) अहमदाबाद में अपना कार्यालय खोलने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है.

★माना जा रहा है कि इससे देश में कई नए उद्यमों (स्टार्टअप्स) को फंड मिल सकेगा. इसका फायदा अफ्रीका या एशिया के कई मुस्लिम देशों को निर्यात करने वाली कंपनियों को भी होगा.

★अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब यात्रा के दौरान इसके लिए समझौता हुआ था. इस समझौते पर आईडीबी की एक इकाई 'इस्लामिक कॉर्पोरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर' (आईसीडी) और भारत के एक्जिम बैंक ने हस्ताक्षर किए थे.

★गुजरात के चर्चित मुस्लिम व्यवसायी जफर सरेशवाला को आडीबी की भारतीय इकाई का निदेशक बनाया गया है. उन्हें मोदी सरकार ने केंद्र में सत्ता संभालने के कुछ समय बाद ही हैदराबाद स्थित मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का चांसलर भी बनाया था.

=> इस्लामिक बैंक्स कैसे कार्य करते हैं :-

★इस्लामिक बैंकिंग में कर्जदाता से ब्याज नहीं वसूला जाता, बल्कि कर्ज लेने वाले को होने वाले लाभ या घाटे को साझा किया जाता है. इसे भागीदारी बैंकिंग भी कहा जाता है.

★किसी भी धर्म का व्यक्ति इसका फायदा उठा सकता है. इस्लामिक बैंकिंग का दुनिया में तेजी से प्रसार हो रहा है.

★ एक अनुमान है कि 2020 तक वैश्विक इस्लामिक बैंकिंग उद्योग का लाभ 30.3 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर जाएगा.

★माना जा रहा है कि आडीबी के भारत में आने से छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ घरेलू स्टार्टअप्स को ब्याज मुक्त पूंजी मिल सकेगी. संस्था ने भारत में अत्याधुनिक ग्रामीण मोबाइल मेडिकल नेटवर्क बनाने के लिए भी 380 करोड़ रुपये देने का वादा किया है.

★ इसकी शुरुआत गुजरात से होगी. लेकिन इसका सबसे बड़ा योगदान होगा 670 करोड़ रुपए की ऋण पूंजी. इसका लक्ष्य आईसीडी के सदस्य देशों को सेवाओं और वस्तुओं के निर्यात के लिए सुविधाएं देना है.

★आईडीबी समूह की अधिकृत पूंजी 100 अरब डॉलर है और 56 मुस्लिम देश इसके सदस्य हैं.

5.ग्रोथ ने पकड़ी रफ्तार, 7.9 फीसदी रही चौथी तिमाही की वृद्धि रही:

★देश की आर्थिक वृद्धि दर पटरी पर लौट आई है. पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ अनुमान बेहतर रही है. चौथी तिमाही में देश की जीडीपी 7.9 फीसदी रही. बाजार को पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में जीडीपी के करीब 7.5 फीसदी रहने की उम्मीद थी.

★ बेहतर आंकड़ों के बाद वित्त वर्ष 2015-16 में जीडीपी दर 7.6 फीसदी रही जो कि आधिकारिक अनुमान के मुताबिक ही है. 2014-15 में देश की जीडीपी 7.2 फीसदी रही थी.

=>2016 की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था की दर कम होकर 6.7 फीसदी हो गई थी

★खराब वैश्विक हालत के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने में सफल रही है. 2016 की तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.3 फीसदी रही थी जो चौथी तिमाही में बढ़कर 7.6 फीसदी हो गई.

★देश का आधा हिस्सा फिलहाल सूखे की चपेट में है और दूसरी तरफ वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के हालात है. ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज गति वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है.

=>उम्मीद बना भारत :-

★भारत चीन के मुकाबले अपनी आर्थिक रफ्तार बनाए रखने में सफल रहा है. चीन की जीडीपी लगातार नीचे जा रही है. चीन की विकास दर कम होकर 6.7 फीसदी रह गई है.

★कमजोर होती चीन की अर्थव्यवस्था के मुकाबले भारत की तेज आर्थिक गति वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए राहत की खबर लेकर आई है.

★वित्त वर्ष 2016 की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था की दर कम होकर 6.7 फीसदी हो गई थी. यह पिछले सात सालों का निचला स्तर था. जनवरी-मार्च तिमाही में खराब जीडीपी आंकड़े सामने आने के बाद भारत की वृद्धि दर को लेकर चिंता बढ़ने लगी थी.

★मौजूदा आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक ही है. इन आंकड़ों के बाद मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ के मजबूत रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने इस बार सामान्य से अधिक मानसून रहने की भविष्यवाणी की है. वित्त वर्ष 2016-17 की जीडीपी ग्रोथ के लिए यह बेहतर खबर है.

=>अप्रैल में कोर सेक्टर के आंकड़े भी अच्छे :-

★वहीं दूसरी तरफ कोर सेक्टर के आंकड़े भी अच्छे रहे हैं. औद्योगिक उत्पादन में करीब 38 फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाले कोर सेक्टर की ग्रोथ में वृद्धि का सिलसिला जारी है.

★अप्रैल महीने में 8 कोर इंडस्ट्री की वृद्धि दर बढ़कर 8.5 फीसदी हो गई. मार्च महीने में यह 6.4 फीसदी थी. बिजली के उत्पादन में भी तेजी आई है. अप्रैल में बिजली उत्पादन 11.3 फीसदी से बढ़कर 14.7 फीसदी हो गई. वहीं स्टील का उत्पादन अप्रैल महीने में 3.4 फीसदी से बढ़कर 6.1 फीसदी हो गया. हालांकि सीमेंट और कोयले के उत्पादन में गिरावट आई है.

★सीमेंट का उत्पादन अप्रैल महीने में 11.9 फीसदी से घटकर 4.4 फीसदी रहा. वहीं कोयले का उत्पादन 1.7 फीसदी से कम होकर -0.9 फीसदी हो गया.

★अप्रैल में फर्टिलाइजर्स का उत्पादन भी 22.9 फीसदी से घटकर 7.8 फीसदी हो गया.

★अप्रैल में कच्चे तेल का उत्पादन -5.1 फीसदी के मुकाबले -2.3 फीसदी रहा जबकि नैचुरल गैस का उत्पादन -10.5 फीसदी के मुकाबले -6.8 फीसदी हो गया. मासिक आधार पर अप्रैल में रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का उत्पादन 10.8 फीसदी से बढ़कर 17.9 फीसदी हो गया.

6.भारत अब विकासशील नहीं लोअर मिडल इनकम देश: विश्व बैंक

- भारत लोअर मिडल इनकम देशों की श्रेणी में
- पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत की श्रेणी में
- मेक्सिको, चीन और ब्राजील अब 'अपर मिडल इनकम' देश
- विश्व बैंक की रिपोर्ट में नया नामकरण, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश 'लोअर मिडल इनकम' श्रेणी में

★दशकों से देशों को उनकी आर्थिक हालत और उनके जीवन स्तर के आधार पर 'विकसित' और 'विकासशील' देश के श्रेणियों में बांटा गया है।

★विश्व बैंक अब सटीक तरीके से देशों को उनकी अर्थव्यवस्थाओं के आधार पर बांटने वाला है। भारत, जो सालों से विकासशील देशों की श्रेणी में ही रहा है अब 'लोअर मिडल इनकम (निम्न-मध्यम आय) देश' के नाम से जाना जाएगा।

★कुछ दिन पूर्व जारी हुए वार्षिक विश्व विकास सूचकों में विश्व बैंक ने विकासशील और विकसित श्रेणी देश की श्रेणी को खत्म कर दिया है।

★अब तक कम और मध्यम आय वाले देश विकासशील और ज्यादा आय वाले देश विकसित देश कहलाते थे।

★मेक्सिको, चीन और ब्राजील अब 'अपर मिडल इनकम' श्रेणी में हैं और भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश 'लोअर मिडल इनकम' श्रेणी में हैं। वहीं मलावी देश सबसे नीचे 'लो इनकम' देश है।

★विश्व बैंक के डेटा के अनुसार भारत बिजली उत्पादन, स्वच्छता और मजदूरों के सहभागिता के मामले में पीछे है।

★भारत ने शिशु मृत्यु दर और प्रसव कालीन मृत्यु दर के मामले में सुधार किया है।

★ भारत में बिजनस शुरू करना वैश्विक औसत 20 दिन से 9 दिन ज्यादा है।

★विश्व बैंक के नए नामकरणों से प्रभावित हो कर संयुक्त राष्ट्र भी ऐसा कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र की विकासशील देशों की कोई अपनी परिभाषा नहीं है।

★संयुक्त राष्ट्र भारत समेत 159 देशों को विकासशील देश मानता है। जबकि जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप, उत्तरी अमेरिका के सभी भागों को संयुक्त राष्ट्र विकसित देश मानता है।

7.कालेधन की घोषणा के लिए 4 महीने की सुविधा एक जून से: वित्त मंत्रालय

★ घरेलू कालेधन की घोषणा के लिए चार महीने की सुविधा अवधि एक जून से शुरू होगी और इसके तहत 45 प्रतिशत कर व जुर्माने का भुगतान कर 'पाक साफ' होने वालों के खिलाफ आयकर विभाग कोई जांच पड़ताल नहीं करेगा।

★इसके अनुसार आय घोषणा योजना 2016 इस साल 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत करों, अधिभार व जुर्माने का भुगतान 30 नवंबर तक करना होगा।

★ इसमें कहा गया है, 'इस तरह की घोषणाओं के संबंध कोई पड़ताल या जांच आयकर कानून या संपत्ति कर कानून के तहत नहीं की जाएगी।' इसके अनुसार, 'आयकर कानून व संपत्ति कर कानून के तहत अभियोजन से छूट के साथ साथ बेनामी सौदे (प्रतिबंध) कानून 1988 से भी छूट दी जाएगी जो कि सशर्त होगी।'

★उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री ने आम बजट में इस योजना की घोषणा की थी।

★इस योजना का उद्देश्य घरेलू अर्थव्यवस्था से कालेधन को निकालना है। इससे पहले सरकार ने विदेशों की अघोषित संपत्ति रखने वाले भारतीयों के लिए भी इसी तरह की योजना पेश की थी।'

★ मंत्रालय का कहना है कि उक्त योजना वित्त वर्ष 2015-16 व इससे पहले की अवधि में आस्तियों या अन्य में निवेश के रूप में अघोषित आय पर लागू होगी।

★इस योजना के तहत लागू होने वाला कुल कर 45 प्रतिशत होगा। इसमें घोषित आय पर संबंधित व्यक्ति को 30 प्रतिशत की दर से आयकर देना होगा।

★ इसके अलावा देय कर पर 25 प्रतिशत की दर से कृषि कलयाण उपकर और इतनी दर पर देयकर पर 25 प्रतिशत जुर्माना देना होगा। कुल मिलाकर यह घोषित राशि का 45 प्रतिशत होगी।

---

8. 2020 तक दुनिया में 50 लाख नौकरियाँ आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के कारण कम हो जायेगी

☆वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (डब्लूईएफ) की रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ साल के दौरान जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और रोबोटिक्स का चलन बढ़ा है उसे देखें तो जल्द ही कारोबार के तमाम क्षेत्रों में रोबोट का चलन व्यापक हो जाएगा.

★ आने वाले समय में इंसान की प्रतिस्पर्धा इंसान के साथ-साथ रोबोट से भी होने वाली है.

★वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (डब्लूईएफ) के द्वारा जारी की गयी नई रिपोर्ट कुछ ऐसे ही संकेत दे रही है. फ्यूचर ऑफ़ जॉब्स (नौकरियों का भविष्य) शीर्षक के साथ जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले पांच साल में रोबोट दुनिया भर में 50 लाख से ज्यादा नौकरियों पर अपना कब्जा जमा लेंगे. इस दौरान रिटेल स्टोर, फैक्ट्रियों, रेलवे स्टेशनों और होटलों में रोबोट का चलन काफी आम हो जाएगा.

★इस रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2020 तक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलोजी चौथी औद्योगिक क्रांति के तहत इंसानों से करीब 50 लाख नौकरियां छीन लेगी.

★ डब्लूईएफ के अनुसार उसने दुनिया की अर्थव्यवस्था में सबसे अच्छे माने जाने वाले 15 देशों की अर्थव्यवस्थाओं के अध्ययन के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है. उसने इन देशों की सबसे बेहतर 371 कंपनियों और इनके एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों (दुनिया के करीब 65 प्रतिशत कर्मचारी) के बीच एक सर्वेक्षण के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया है.

★इस सर्वेक्षण से पता लगता है कि बीते कुछ साल के दौरान जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और रोबोटिक्स का चलन बढ़ा है वह काफी ज्यादा चिंताजनक है. रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 तक दुनिया भर में 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी, लेकिन 70 लाख से ज्यादा लोग अपनी नौकरी स्वचालन (ऑटोमेशन) के कारण खो देंगे.

★रिपोर्ट में स्वचालन से प्रभावित अलग-अलग क्षेत्रों की भी बात कही गयी है. इसके अनुसार ऑफिस, प्रशासनिक कार्यों और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित नौकरियों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा. इस क्षेत्र में 40 लाख से ज्यादा नौकरियां स्वचालन नीति से प्रभावित होंगी

★ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के क्षेत्र में करीब 20 लाख जबकि भवन निर्माण और दूसरे क्षेत्रों में करीब पांच लाख नौकरियां प्रभावित होंगी.

★इस रिपोर्ट में पुरुषों और महिलाओं के हिसाब से भी गणना की गयी है. इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो 2020 में एक आदमी के नौकरी पाने पर तीन आदमी अपनी नौकरी खो देंगे जबकि महिलाओं के मामले में नौकरी खोने की यह दर काफी बढ़ जाएगी.

★ रिपोर्ट के अनुसार जब एक महिला नौकरी पाएगी तो पांच महिलाओं की नौकरी उनके हाथ से चली जायेगी.

† रिपोर्ट में इसका कारण बताते हुए कहा गया है कि आदमी कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, गणित और आर्किटेक्चर से जुड़े क्षेत्रों को ज्यादा तरजीह देते हैं और ये क्षेत्र स्वचालन नीति से सबसे कम प्रभावित होंगे.

† जबकि औरतें कला, रख-रखाव, स्वास्थ्य और ऑफिस वर्क जैसे क्षेत्रों को ज्यादा तरजीह देती हैं और यही क्षेत्र स्वचालन की सबसे ज्यादा मार झेलेंगे. इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस चौथी औद्योगिक क्रांति में मोबाइल इन्टरनेट और स्मार्ट फोन ऐप भी बड़ी संख्या में नौकरियों पर असर डालेंगे.

=>कंपनियों के द्वारा रोबोट और स्वचालन नीति को तरजीह देने के पीछे कारण :-

- डब्लूईएफ ने कंपनियों के द्वारा रोबोट और स्वचालन नीति को तरजीह देने के पीछे के कई कारण बताये हैं जिनमें सबसे प्रमुख कारण पुराने ढर्रे पर चल रही शिक्षा नीति को बताया गया है.

Gshindi.com

★रिपोर्ट में बताया गया है कि 40 प्रतिशत से ज्यादा कंपनी मालिकों का कहना है कि उन्हें बदलती तकनीक के हिसाब से हुनरमंद और काबिल कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं.

★ इन लोगों का कहना है कि शिक्षण संस्थानों में नई तकनीक के हिसाब से शिक्षा पद्धति में बदलाव नहीं किये जा रहे हैं जिस वजह से उन्हें कर्मचारियों को तकनीक और काम सिखाने में काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है. इसलिए अब वे स्वचालन नीति को तरजीह दे रहे हैं.

★डब्लूईएफ ने इस मसले पर सभी देशों की सरकारों और कम्पनियों से गंभीरतापूर्वक विचार करने को कहा है. उसने कंपनियों से अपील की है कि वे शिक्षण संस्थानों और सरकार के साथ मिलकर पुरानी शिक्षा पद्धति को वक्त के साथ बदलने पर जोर दें.

★साथ ही स्कूलों में पढ़ाये जाने वाले पाठ्क्रम को बदलने में भी सहयोग करें.

♂ चौंकाने वाली बात यह है कि कोई भी सरकार इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रही है, इनके मुताबिक चीन की साम्यवादी सरकार तो अपने यहां की कंपनियों को स्वचालित कार्यप्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है.

♂यहां तक कि वहां की सरकार की बहुप्रतीक्षित परियोजना "मेड इन चाइना 2025" का सबसे बड़ा लक्ष्य ही ज्यादा से ज्यादा उत्पादन को स्वचालित करना है.

♂ रोबोटों से काम लेना कम जनसंख्या वाले देशों जैसे जापान और फिनलैंड में तो सही है लेकिन, भारत, चीन और अमेरिका जैसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों में यह दोमुंही छुरी की तरह काम करेगा. यह लोगों से रोजगार तो छीनेगा ही साथ में अर्थव्यवस्था पर भी असर डालेगा.

---

9. नीति आयोग का presantation: अगले 16 साल में 10 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत, खत्म होगी गरीबी

- देश की आर्थिक विकास दर अगर 10 प्रतिशत रहे तो अगले 16 साल में गरीबी खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की डबल डिजिट ग्रोथ से 17.5 करोड़ नई नौकरियां भी पैदा होंगी।

★ इससे बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है।

- साथ ही 2032 तक भारत 10 ट्रिलियन डॉलर यानी 100 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था 20 खरब डॉलर से कुछ ज्यादा की है।

- देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में यह अनुमान नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने एक प्रजेंटेशन में व्यक्त किया। इसमें कहा गया है कि दस फीसद की रफ्तार अर्थव्यवस्था की कायापलट देगी। वित्त वर्ष 2015-16 में देश की विकास दर 7.6 फीसद रही।

#नीति_आयोग का प्रजेंटेशन

- यह प्रजेंटेशन केंद्र सरकार के अलग-अलग सचिवों की अध्यक्षता वाले आठ समूहों की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया है। इनका गठन प्रधानमंत्री ने 23 दिसंबर, 2015 को किया था।

- इन सभी समूहों को आठ अलग-अलग विषय सौंपे गए थे। सभी समूहों ने इन पर अपने-अपने विचार प्रधानमंत्री और संबंधित मंत्रियों के समक्ष पेश कर कार्रवाई के लिए कुछ बिंदु तय किए।

=>रफ्तार बढ़ाने की रणनीति:-

- विकास दर को तेज करने की रणनीति बताते हुए नीति आयोग ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2016-17 में सड़क और रेलवे में दो लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा।

Gshindi.com

- दस हजार किलोमीटर सड़क परियोजनाएं पूरी की जाएंगी। उन्होंने चालू वित्त वर्ष 2016-17 में कॉरपोरेट टैक्स की दरें ग्लोबल औसत के बराबर लाने और अतिरिक्त कर छूटों को वापस लेने की दिशा में कदम बढ़ाने का सुझाव भी दिया है।
- रोजगार सृजन : मार्च 2017 तक सभी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को ई-प्लेटफॉर्म नेशनल कैरियर सर्विस से जोड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि देश के सभी जिलों में कौशल विकास का कितना गैप है।

=>यह होगी भारत की तस्वीर :-

★जीडीपी 10 ट्रिलियन डॉलर

★विकास दर 10 प्रतिशत

★नई नौकरियां 17.5 करोड़ गरीबी

प्रश्न : भारत में निर्यात को बढ़ावा देने और बड़ी मात्रा में रोजगार सृजन हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गयी। पर देखने में आया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सके हैं। देश के यह विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) घाटे में क्यों हैं? वे कौन से तत्व हैं जो विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास में बाधक हैं?

★ भारत के ज्यादातर विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) मंदी का शिकार नजर आते हैं.

† समस्याएं जो भारत के ज्यादातर एसईजेड के सामने पेश आती हैं...

1. निरंतर गिरता निर्यात
2. डी-नोटिफिकेशंस के बढ़ते आवेदन
3. नए एसईजेड के लिए बेहद कम आवेदन

=>एसईजेड के क्षेत्र में आई मंदी के कारण...

1. निर्यात की वैश्विक उद्घोषणा.
2. एसईजेड के लिए अस्पष्ट वित्तीय कानून.
3. न्यूनतम वैकल्पिक कर से कोई राहत नहीं, यह वो रकम होती है जिन्हें कंपनियों को तब भी चुकाना पड़ता है जब उन्हें अन्य करों से राहत मिली होती है.
4. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में कोई राहत नहीं. निवेशकों को दिए जाने वाले लाभ की रकम पर यह कर लगाया जाता है.

=> सरकार एसईजेड में छायी मंदी से निपटने के लिए क्या कोशिश कर रही है...

1. एसईजेड के विकास आयुक्तों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें.
2. एसईजेड के हिस्सेदारों के साथ बैठकें और देशभर में प्रचार के लिए रोड शो.

#अपनी बात को पुष्ट करने के लिए कुछ आंकड़े :-

★6.1 फीसदी की गिरावट 2013-14 और 2014-15 के बीच निर्यात में आई.

★2013-14 में भारत के एसईजेड से 4,94,077 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था. जबकि 2014-15 में यह गिरकर 4,63,770 करोड़ रुपये पहुंच गया.

★विशेषकर एसईजेड निर्यात 2012-13 में 31 फीसदी से 2013-14 में 4 फीसदी पहुंच गया.

★दिसंबर 2015 तक 3,41,685 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ. जो इससे पिछले साल की तुलना में 1.8 फीसदी की कमी दर्शाता है.

10.भारत और चीन में आर्थिक असमानता सर्वाधिक : अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष रिपोर्ट

- अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) का कहना है कि एशिया प्रशांत देशों में भारत व चीन में वित्तीय असमानता सबसे अधिक है भले ही ये दोनों देश सबसे तेजी से बढ़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हों।

* आईएमएफ के अनुसार चीन व भारत ने तेजी से वृद्धि की है और इनकी गरीबी में तीव्र गिरावट आई है हालांकि आर्थिक मोर्चे पर इस प्रभावी प्रदर्शन के साथ साथ असमानता का स्तर भी बढा है।

- आईएमएफ ने कहा है, 'इससे पहले एशिया में तीव्र वृद्धि. फायदों के समान वितरण के साथ हुई।

-- लेकिन हाल ही में तेजी से बढ़ती एशियाई अर्थव्यवस्थाओं ने लाखों लोगों को गरीबी के दायरे से निकाला है लेकिन 'समानता के साथ वृद्धि' नजर नहीं आती।'

रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन शहरी इलाकों में मध्यम वर्ग में वृद्धि करने में सफल रहा है वहीं भारत व इंडोनेशिया अपनी अच्छी खासी जनसंख्या को उंचे आय स्तर की ओर ले जाने में सघंर्ष कर रहा है।

- इसके अनुसार,'भारत में, गांवों व शहरी क्षेत्रों के बीच का अंतर बढा है और इसके साथ ही शहरों के बीच भी असमानता बढी है।'

11.देश के इतिहास में पहली बार इनकम टैक्स के आंकड़े जारी : स्याह तस्वीर आयी सामने

★ देश के इतिहास में पहली बार जारी किए गए इनकम टैक्स के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2011 में आयकर के दायरे में आने वालों की संख्या चार करोड़ थी, जो 2014 में बढ़कर पांच करोड़ से कुछ अधिक हो गई है।

★ इनमें एक बड़ी तादाद उन लोगों की है, जिनके लिए टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी नहीं है। इनसे ऊपर के आय वर्ग में आने वाले कुल 2.9 करोड़ लोग आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं लेकिन इनमें भी 1 करोड़ 60 लाख लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता।

★ कुल मिलाकर एक करोड़ से कुछ ज्यादा लोग टैक्स देते हैं, जो कौन हैं, इस बारे में गंभीरता से बातचीत होनी चाहिए।

★ हालत यह है कि आज इकॉनमी में डायरेक्ट टैक्स की हिस्सेदारी पिछले वित्त वर्ष में एक दशक के निचले स्तर 5.47 फीसद पर आ गई है।

★ सरकार का दावा है कि आयकर के आंकड़े जारी करना पारदर्शिता लाने और नीति निर्धारण में एक बड़ा कदम साबित होगा।

★करदाताओं के सबसे बड़े समूह की औसत सालाना आमदनी 6,94,000 रुपये यानी 58 हजार रुपया महीने के आसपास है। इस आमदनी से अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि यह कौन सा तबका है।

★ निश्चित रूप से यह नौकरीपेशा लोगों का वर्ग है, जिनमें एक बड़ी तादाद सरकारी कर्मचारियों की है, जिससे टैक्स वसूल करना सबसे आसान है।

★ देश का व्यापारी वर्ग आयकर के दायरे से आम तौर पर बाहर है क्योंकि उससे टैक्स वसूलने का कोई कारगर तरीका सरकार नहीं ढूंढ पाई है। या फिर यूं कहें कि सरकारी मशीनरी में इसके लिए जरूरी इच्छाशक्ति नहीं है। यह वर्ग अक्सर कागजी कसरत के जरिये टैक्स देने से साफ बच निकलता है।

★ टैक्स न देने वाले सुपर अमीरों में सबसे बड़ी तादाद उन लोगों की है, जो अपनी आमदनी का मुख्य जरिया खेती-किसानी को बताकर टैक्स का कोई झंझट ही अपने सामने नहीं आने देते। खेती से आय पर आयकर लगाने की बात कई बार चली पर किसान विरोधी मान लिए जाने के डर से सरकारें इन करोड़पतियों पर हाथ डालने से बचती हैं।

Gshindi.com

★ एक राय है कि किसानों को नाराज किए बगैर भी कृषि से जुड़ी आमदनी को कर के दायरे में लाया जा सकता है। अगर ऐसा किया जाता है तो छोटे और सीमांत किसान कर के दायरे से बाहर रहेंगे क्योंकि उनकी आमदनी ढाई लाख रुपये सालाना की बुनियादी छूट सीमा से नीचे ही रहेगी।

★ जो कंपनियां कृषि क्षेत्र में निवेश कर रही हैं उन्हें भी कर छूट मिलती है, जिसका कोई औचित्य नहीं है।

★वैसे अपने यहां सबसे कमाऊ पेशा पॉलिटिक्स का है। लेकिन इस चतुर और ताकतवर बिल्ली के गले में घंटी बांधने से पहले सरकार को इनकम टैक्स के आंकड़ों में और ज्यादा पारदर्शिता बरतनी होगी। *:)*

12.हेल्प नीति : कोयले के बाद अब होगी तेल ब्लॉक की नीलामी:

- कोल ब्लॉक सफलतापूर्वक नीलाम करने के बाद सरकार अब तेल और गैस ब्लॉकों की नीलामी शुरू करने जा रही है। राजग के इस कार्यकाल में पहली बार तेल व गैस ब्लॉकों की नीलामी होगी। पिछली बार 2012 में तेल व गैस ब्लॉकों की नीलामी हुई थी।

- इस बार 46 ब्लॉकों की नीलामी होगी, लेकिन इसके लिए पुराने सारे मानदंडों व नियमों को बदल दिया गया है। नीलामी के नए तरीके पहले से ज्यादा पारदर्शी हैं। इस बार कंपनियों को भारतीय ब्लॉकों से तेल या गैस निकालने पर उसकी कीमत तय करने या उसकी मार्केटिंग करने की ज्यादा आजादी मिलेगी।
- निविदाएं 15 जुलाई को खोली जाएगी। यह 31 अक्टूबर, 2016 को बंद की जाएगी।
- इस बार की खासियत यह है कि ये सारे ब्लॉक पहले सरकारी तेल कंपनियों ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआइएल) को आवंटित हुए थे। लेकिन इनके आकार काफी छोटे हैं। लिहाजा अब सरकार ने इन 67 छोटे-छोटे ब्लॉकों को आपस में मिला कर 46 का एक समूह बनाया है।

- ज्यादा देशी और विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए ब्लॉक के लिए सबसे ज्यादा बोली लगाने वाली कंपनियों को बाजार के मुताबिक कीमत तय करने और अपनी मर्जी से ग्राहक चुनने का अधिकार दिया जा रहा है।
- इन ब्लॉकों में 62.5 करोड़ बैरल तेल या इसी मात्रा के बराबर गैस होने के आसार हैं। बाजार में इनकी कीमत 77 हजार करोड़ रुपये हो सकती है।
- सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अगर इन ब्लॉकों में उत्पादन शुरू हो जाता है तो आयातित पेट्रो उत्पादों पर देश की निर्भरता कम होगी।
- साथ ही कंपनियों को एक ही लाइसेंस के जरिये इन ब्लाकों से किसी भी उत्पाद को निकालने की इजाजत होगी।
- कंपनियां जितना उत्पाद निकालेंगी, उसी के मुताबिक उन्हें शुल्क देना होगा। अलग से कोई शुल्क नहीं देना होगा।
- पूरे 20 वर्ष तक इन ब्लॉकों से तेल या गैस निकालने की इजाजत होगी। इसे बाद में 10 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

13.भारत को हो सकता है खाद्य मूल्य में वृद्धि से 49 अरब डॉलर का नुकसान : संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट

- भविष्य में वैश्विक खाद्य मूल्य बढ़े तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद को 49 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है।
- यह बात संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में कही गई है जिसमें कहा गया है कि बढ़ती आबादी के कारण विश्व को खाद्य मूल्यों में ज्यादा उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है।

Gshindi.com

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम-ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क रिपोर्ट, 'एरिस्क द्वितीय चरण : खाद्य मूल्य पर्यावरण संबंधी बाध्यताओं को सॉवरिन क्रेडिट के जोखिम से कैसे जोड़ता है' में विभिन्न देशों पर वैश्विक खाद्य जिंस मूल्य दोगुना होने की स्थिति में पडऩे वाले प्रभाव का जिक्र किया गया है।
- रिपोर्ट में कहा गया कि यदि वैश्विक खाद्य मूल्य दोगुना होता है तो चीन के जीडीपी में 161 अरब डॉलर की कमी आएगी और भारत को 49 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा। 'खाद्य की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते असंतुलन के कारण भविष्य में विश्व को ज्यादा और उतार-चढ़ाव भरे खाद्य मूल्य से जूझना पड़ेगा।
- बढ़ती आबादी
- आय के कारण खाद्य पदार्थों की मांग और बढ़ेगी
- जबकि जलवायु परिवर्तन और संसाधन की कमी खाद्य उत्पादन में बाधा पहुंचेगी।'

14.राष्ट्रीय पूँजीगत वस्तु नीति को मंजूरी राष्ट्रीय पूँजीगत वस्तु नीति को मंजूरी:

सरकार ने पूँजीगत वस्तु क्षेत्र में उत्पादन एवं रोजगार के अवसर बढाने के साथ ही इस क्षेत्र के उत्पादों के निर्यात में भारी बढोतरी के लक्ष्य पर आधारित राष्ट्रीय पूँजीगत वस्तु नीति को मंजूरी प्रदान की। यह देश की पूंजीगत वस्तुओं के लिए बनी सबसे पहली निति है।

=>नीति का लक्ष्य

1. इस नीति के तहत पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन को वर्ष 2014-15 के 2.30 लाख करोड रुपये से बढाकर वर्ष 2025 तक 7.50 लाख करोड रुपये पर पहुँचाने के साथ ही प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र में रोजगार की संख्या वर्ष 2025 तक बढाकर तीन करोड़ करना है।

2. नीति के अनुसार, निर्यात उत्पादन के 27 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का लक्ष्य है।

=>और क्या है इस नीति में :-

- इस क्षेत्र में अभी 84 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इसमें पूँजीगत वस्तु क्षेत्र से जुडे सह उत्पादों के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी उन्नयन, रोजगार और कौशल विकास पर ध्यान दिया गया है।

- देश को पूँजीगत वस्तुओं के लिए विश्व स्तरीय केंद्र बनाने पर इस नीति में जोर दिया गया है।

- इसमें भारी उद्योग मंत्रालय को विभिन्न कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से भी लागू करने पर जोर दिया गया है। भारी उद्योग विभाग ने दिसंबर 2014 में मेक इन इंडिया कार्यशाला के दौरान राष्ट्रीय नीति बनाने का विचार रखा था और सभी संबद्ध पक्षों से विचार-विमर्श के बाद यह नीति बनायी गई है।

- नीति के तहत भारत में पूंजीगत वस्तुओं की मांग में घरेलू उत्पादन का हिस्सा 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। इसी दौरान घरेलू क्षमता के उपयोग को बढ़ाकर 80-90 प्रतिशत करने की तैयारी है।

- इस नीति के जरिए सरकार भारत को **एक वैश्विक उत्पादक पावरहाउस** बनाना चाहती है।

- नीति में एकसमान वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाने की सिफारिश की गई है।

15.स्टार्टअप्स को पेटेंट के लिए 'तत्काल' ऑप्शन

- पेटेंट नियमों में हालिया संशोधन से दुनिया भर की स्टार्टअप्स अब भारत में ज्यादा तेजी से और काफी कम कॉस्ट पर 'तत्काल' ऑप्शन के तहत पेटेंट का रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं
- फायदा उन इकाइयों को भी मिलेगा, जो भारत में अपना पहला आवेदन दायर करेंगी।
- सरकार स्टार्टअप की परिभाषा को पेटेंट नियमों का हिस्सा बनाना चाहती है, ताकि नई रिजीम के तहत स्पेशल बेनेफिट्स को पहुंचाया जा सके।

- नए नियम में पेटेंट मुहैया कराने के पीरियड को 5-7 साल से घटाकर तुरंत ढाई साल और मार्च 2018 तक डेढ़ साल करने की है।
- नए नियमों में स्टार्टअप्स को कंपनियों के बजाय 'किसी शख्स' की तरह बताया गया है, जिससे पेटेंट फीस में कटौती होगी और स्टार्टअप एक्शन प्लान के मुताबिक स्टार्टअप्स 80 फीसदी छूट के योग्य हो सकेंगी।
- पेटेंट रजिस्ट्रेशन जल्दी हासिल करने के लिए स्टार्टअप्स को डबल फीस देनी होगी, जबकि कंपनियों को इस तीन गुना ज्यादा रकम देनी होगी।

---

16 पंचवर्षीय योजनाएं जल्द ही इतिहास बन सकती हैं

- केंद्र सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करने का फैसला किया है।
- सरकार ने पंचवर्षीय योजना के बाद, इस नीति को 15 साल के अधिक विस्तृत समय के विजन से बदलने का फैसला लिया है। फिलहाल चल रही 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि अगले साल (2017) मार्च में पूरी हो रही है।

क्या होगा इसमें

- सरकार के इस विजन को एक पॉलिसी में बदलने के लिए अगले वित्त वर्ष से एनडीए, नैशनल डिवेलपमेंट अजेंडा के तहत 7 साल की रणनीति तैयार करेगी।
- पंचवर्षीय योजनाओं के क्षेत्रों में इजाफा करते हुए यह अजेंडा सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों के साथ-साथ रक्षा और आंतरिक सुरक्षा को भी शामिल करेगा।
- नैशनल डिवेलपमेंटअजेंडा की हर 3 साल में समीक्षा की जाएगी। इसका पहला मध्यावधि मूल्यांकन 2019-20 में होगा। इस दौरान ही अगले फाइनैंस कमिशन अवॉर्ड लागू किया जाएगा और नई लोकसभा भी चुनी जाएगी।
- इस अजेंडे को फाइनैंस कमिशन के साथ जोड़कर, सरकार फाइनैंशल संसाधनों की उपलब्धता आशवस्त करना चाहती है

Gshindi.com

1.ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुग्ध उत्पादन में होगी कमी, इस खतरे से देसी गाय भारत को ही नहीं, सारी दुनिया को बचा सकती है

- करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाले भारतीय डेयरी उद्योग के ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित होने का खतरा है. वैज्ञानिकों का आकलन है कि इसके चलते आने वाले वर्षों में दूध के उत्पादन में कमी आ सकती है. भारतीय वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन से 2020 तक दूध उत्पादन में 30 लाख टन से ज्यादा की सालाना गिरावट की चेतावनी दी है.
- द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) ने अपना यह आकलन कृषि मंत्रालय से भी साझा किया है.

★भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है. डेयरी उद्योग देश की करीब छह करोड़ ग्रामीण आबादी की आजीविका का आधार है. अब तक देश में दूध उत्पादन लगातार बढ़ता रहा है.

★2015-16 में कुल दुग्ध उत्पादन 16 करोड़ टन रहा है. आकलन है कि दूध की घरेलू मांग 2021-22 तक 20 करोड़ टन हो जाएगी. इस लिहाज से यह खबर चिंताजनक है.

=>खतरा क्या है?

★दूध उत्पादन में कमी आने से घरेलू मांग पूरी होने में समस्या आएगी जिससे प्रति व्यक्ति दूध की खपत घट जाएगी. बताया जा रहा है कि तापमान में बढ़ोतरी से सबसे ज्यादा असर गायों की संकर प्रजातियों पर पड़ेगा. यही वजह है कि भारत सरकार समय रहते इस समस्या पर काबू पाने की कोशिश कर रही है.

★'तापमान बढ़ने से दूध के उत्पादन और प्रजनन क्षमता में गिरावट से सबसे ज्यादा गायों की विदेशी और संकर प्रजातियां प्रभावित होंगी. भैंसों पर भी इसका असर पड़ेगा. ग्लोबल वॉर्मिंग से देसी नस्लें सबसे कम प्रभावित होंगी'.

★तापमान में बढ़ोतरी की समस्या का सामना पूरी दुनिया कर रही है. देसी नस्लें सिर्फ भारत के लिए ही उम्मीद की किरण नहीं हैं. दुनिया के बड़े दूध उत्पादक देश जैसे अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया भी तापमान सहने वाली नस्लों के विकास के लिए भारतीय दुधारू मवेशियों का आयात कर रहे हैं.

=>"नेशनल गोकुल ग्राम मिशन"

- केंद्र सरकार 'गोकुल ग्राम' स्थापित करने में राज्यों की मदद कर रही है. ये गायों और भैंसों की देसी नस्लों के वैज्ञानिक संरक्षण में स्थानीय किसानों की मदद करने वाले केंद्र होंगे.
- इसके अलावा इनमें देसी नस्लों का विकास भी किया जाएगा और किसानों को उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले पशुओं की आपूर्ति की जाएगी.

★नेशनल गोकुल मिशन के तहत केंद्र ने अब तक अलग-अलग राज्यों में कुल 14 गोकुल ग्रामों को मंजूरी दी है. पूरी तरह से आत्मनिर्भर ये केंद्र दूध, जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट और गोमूत्र की बिक्री से अपने संसाधन जुटाएंगे.

★इसके अलावा घरेलू इस्तेमाल के लिए वे बायो-गैस से बिजली उत्पादन करेंगे और पशुओं से जुड़े उत्पादों की बिक्री भी करेंगे. एक गोकुल ग्राम में एक हजार पशुओं की देखभाल का इंतजाम होगा. इनमें दुधारू और अनुत्पादक पशुओं को 60:40 के अनुपात में रखा जाएगा.

Gshindi.com

★देसी नस्लों का फायदा सिर्फ यही नहीं है कि वे ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करने के लिए ज्यादा उपयुक्त हैं. ये नस्लें प्रोटीन (ए2 टाइप) की अधिकता वाला दूध देने के लिए पहचानी जाती हैं, जो कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बचाता है.

★सरकार ने देशी पशुओं की संख्या बढ़ाने और इनके संरक्षण के लिए दो 'राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र' बनाने की भी योजना बनाई है. इनमें से एक केंद्र आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है, जबकि दूसरा मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा.

2.भारत में "राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्य-योजना" अत्यावश्यक : WHO

★ विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ने जारी अपनी रिपोर्ट में एक बार फिर इस बात पर जोर दिया है कि दिल्ली के साथ-साथ ग्वालियर, इलाहाबाद, पटना और रायपुर के अलावा दूसरे कई भारतीय शहरों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और इससे निपटने की तत्काल जरूरत है।

★ज्ञातव्य है कि ग्रीनपीस इंडिया राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना नीति को लागू करने की मांग करता रहा है और अपने रिपोर्ट्स में दिल्ली और देश के दूसरे शहरों में प्रदूषण के खतरों की तरफ इशारा किया है।

★ डब्लूएचओ द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के अलावा कई अन्य भारतीय शहरों में खतरनाक होते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए तत्काल राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर कार्य-योजना बनाने की जरूरत है.

★ग्रीनपीस इंडिया द्वारा उठाए गए मुद्दों को समय-समय पर दूसरी एजेंसियों और संस्थाओं – जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर, डब्ल्यूएचओ और सरकार के अपने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) द्वारा जारी शोध में भी दोहराया जाता रहा है.

"इस प्रक्रिया में सभी राज्यों और सभी संबंधित पक्षों को शामिल करना होगा. वायु प्रदूषण आज एक राष्ट्रीय समस्या है और इससे निपटने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना वक्त की जरूरत है."

★दूसरे कारणों के साथ-साथ भारत में जीवाश्म ईंधन की बढ़ती खपत भी वायु प्रदूषण की एक बड़ी वजह है. वायु प्रदूषण में माध्यमिक कणों SO_2 और NO_x की उल्लेखनीय वृद्धि के लिए तापीय बिजली संयंत्रों से उत्सर्जन को प्रमुख रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है.

† हालांकि सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए हैं- जैसे तापीय बिजली संयंत्रों से उत्सर्जन के नए मानकों को लागू करना.

† अब सबसे जरूरी यह है कि इन नीतियों और मानदंडों को लागू किया जाए, जिससे आम लोगों पर वायु प्रदूषण का मंडरा रहा खतरा कम हो.

† साथ ही, पर्यावरण पर कई सकारात्मक परिणाम के लिए सरकार को स्वच्छ व अक्षय ऊर्जा की तरफ बढ़ना चाहिए. यह एकमात्र रास्ता है, जिससे हम आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और स्वस्थ्य भविष्य दे सकते हैं."

3. प्रदूषण के मामले में बेहतर हुई दिल्ली की आबोहवा : WHO

♂ दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर की छवि को सुधारते हुए देश की राजधानी दिल्ली वायु प्रदूषण के मामले में अब चौथे स्थान पर उतर गई है.

★ विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से विश्व के 67 देशों के 795 शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति पर आज जारी ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि हवा में पार्टिक्युलेट मैटर अर्थात मानव स्वास्थ्य के लिए घातक धूल के बेहद बारीक कणों के मामले में दिल्ली की आबो हवा में पहले से काफी सुधार हुआ है और इसके लिए सरकार की ओर से किए गए प्रयास प्रभावी साबित हुए हैं.

=>और कठोर उपायों की जरुरत :-

★ऑड-ईवन योजना का इसमें अच्छा योगदान रहा है लेकिन यह उपाय स्थायी साबित नहीं होंगे इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को दुरूस्त करने,साइकिल के लिए अलग लेन बनाने तथा वाहनों की संख्या में भारी कमी करने जैसे दीर्घकालिक उपायों की दरकार है.

★रिपोर्ट के अनुसार ईरान का जाबुल शहर दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बताया गया है, इसके बाद भारत के ग्वालियर ,इलाहबाद और दिल्ली का नंबर है.

★रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में कम और मध्यम आय वर्ग की एक लाख से ज्यादा की आबादी वाले 98 प्रतिशत शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर डब्ल्यू एचओ की ओर से निर्धारित मानकों से काफी अधिक पाया गया है.

★पिछले पांच वर्षों के दौरान इन शहरों की आबो-हवा में प्रदूषण का स्तर पांच गुना बढ़ा है.

---

4. अरुणाचल प्रदेश में आदि वानर (प्राइमेट) की नई प्रजाति खोजी गयी

- पूर्वोत्तर के वन्यजीव छायाकारों और जीवविज्ञानियों के एक समूह ने अरूणाचल प्रदेश में आदि वानर (प्राइमेट) की एक नयी प्रजाति देखी है।

- वन्य जीव संरक्षण संगठन आरण्यक की जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि प्राइमेट परिवार के व्हाइट चीक्ड मकाक (मकाका ल्यूकोजिनाइस) को सबसे पहले अरूणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अंजा जिले में देखा गया।

★वन्यजीव छायाकारों और जीवविज्ञानियों के जिस समूह ने प्राइमेट की नयी प्रजाति को देखा उनमें डॉ रंजन कुमार दास, उदयन बोर्थाकुर और डॉ दिलीप क्षेत्री तथा पेशेवर पक्षी गाइड बिनान्दा हातिबारूआ भी थे। मार्च 2016 में यह दल 'बर्डवाचिंग' के लिए देश के बिल्कुल पूर्वी हिस्से में स्थित इस जिले में गया था जहां उसे व्हाइट चीक्ड मकाक नजर आया।

- दौरे के समय मकाक के समूह की तस्वीरें ली गईं और उनके आधार पर पुष्टि हुई कि यह प्रजाति व्हाइट चीक्ड मकाक है। जीवविज्ञान के लिए व्हाइट चीक्ड मकाक एक नयी प्रजाति है और इसे सबसे पहले चीन में दक्षिण पूर्वी तिब्बत के मोदोग में साल 2015 में डॉ ली चेंग और उनके समूह ने देखा था।

- प्राइमेटोलॉजिस्ट के आकलनों, तस्वीरों और विशेषज्ञों की टिप्पणी के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जिन मकाक को हमने अरूणाचल प्रदेश के अंजा जिले में देखा और तस्वीरें लीं वह व्हाइट चीक्ड मकाक हैं।'

Gshindi.com

5. ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव

- धरती के वायुमंडल के गर्म होने के खामियाजे के रूप में अति मौसमी दशा का सामना पूरी दुनिया कर रही है। धनी और समर्थ देश इस चपत की भरपाई कर लेते हैं या फिर तकनीकी उन्नयन से असर कम कर लेते हैं लेकिन गरीब और अक्षम देशों में ग्लोबल वार्मिंग कहर ढा रही है।

1. बीमारियों से लेकर प्राकृतिक आपदाओं के रूप में
2. अति मौसमी दशाएं बढ़ रही हैं

- स्विट्जरलैंड के मौसम वैज्ञानिकों के एक हालिया शोध में बताया गया है कि पिछली सदी में ग्लोबल वार्मिंग के चलते अत्यधिक गर्मी का सामना हजार दिनों में एक बार ही करना पड़ना था। अब इसमें चार से पांच गुना तेजी आई है।
- वैज्ञानिकों के मुताबिक दुनिया में होने वाली बाढ़ की पांच आपदाओं में एक की वजह ग्लोबल वार्मिंग ही है।

- दरअसल **औद्योगिक क्रांति के बाद विभिन्न संयंत्रों, पावर प्लांट, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन से पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों का जमावड़ा बढ़ा** हैं। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक तापमान में तब से लेकर अब तक 0.85 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है।
- विभिन्न देशों की सरकारें इसी कोशिश में हैं कि तापमान में हो रही बढ़ोतरी को **2 डिग्री के अंदर ही रखा** जाए। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद वैज्ञानिकों की मानें तो भविष्य में अति मौसमी दशाओं का स्वरूप बेहद भयावह और अप्रत्याशित होगा।
- इससे दुनिया भी किसी कोने में होने वाली बारिशों में 60 फीसद इजाफा होगा। दूसरी ओर यहां के लोगों को 1000 दिनों में कम से कम 27 अत्यधिक गर्म दिनों का सामना करना होगा।

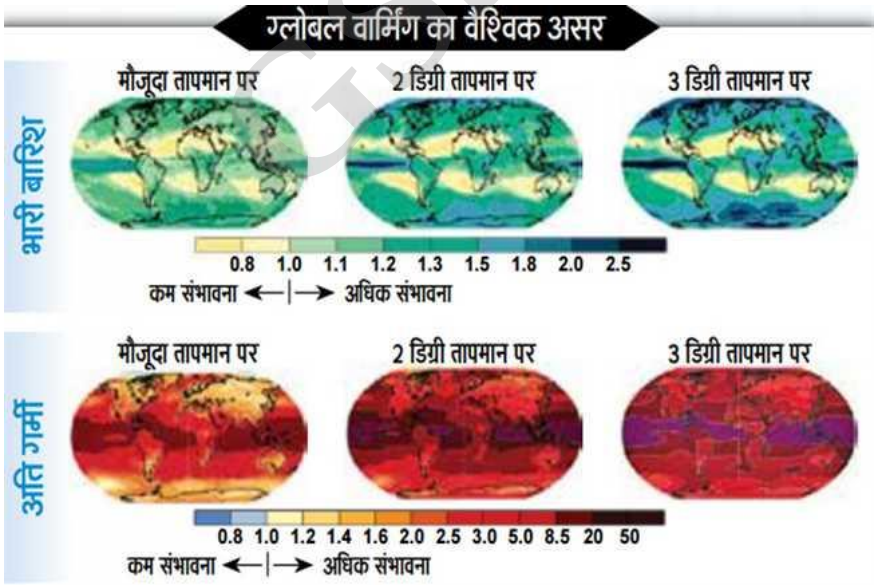

...तो होगी भयावह स्थिति

- ग्रीन हाउस गैसों के चलते यदि ग्लोबल वार्मिंग में और इजाफा होता है और तापमान कहीं 3 डिग्री तक पहुंच जाता है तो स्थिति और भयावह होगी। तब स्थिति नियंत्रण से बाहर निकल जाएगी।
- **<u>लू और तेज बारिश</u>:** वैज्ञानिकों के मुताबिक यदि ग्लोबल वॉर्मिंग में इजाफा होता रहा तो दुनिया भर के लोगों को लू के थपेड़ों और तेज बारिश की घटनाओं से ज्यादा जूझना पड़ेगा।
- तापमान में 2 डिग्री के इजाफे के साथ भूमध्य रेखा के पास रह रहे लोगों को अति मौसमी दशाओं से सबसे अधिक खतरा रहेगा।
- **यानी जो देश पहले से ही गरीबी, दयनीय ढ़ांचागत सुविधाओं से पीड़ित हैं उन्हें 50 गुना अधिक गर्मी और 2.5 गुना अधिक बारिश का प्रकोप झेलना पड़ेगा।**

Gshindi.com

10.संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट : जलवायु परिवर्तन से होगा जलप्रलय, खतरे में करोड़ों भारतीय (UN Report)

- **संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि समुद्र तल में इजाफा होने से 2050 तक तकरीबन 4 करोड़ भारतीयों को खतरा पैदा हो सकता है जबकि तेज शहरीकरण एवं आर्थिक वृद्धि के चलते तटीय बाढ़ से मुंबई और कोलकाता के लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है।**
- वैश्विक पर्यावरणीय पूर्वानुमान (जीईओ-6) क्षेत्रीय आकलन के अनुसार जलवायु परिवर्तन का सबसे खराब प्रभाव प्रशांत और दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व एशिया में होने का अंदेशा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक समुद्र की सतह में इजाफा होने से दुनियाभर में जिन 10 देशों की आबादी सबसे ज्यादा प्रभावित होगी उनमें से 7 देश एशिया-प्रशांत क्षेत्र के हैं।

- सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों की फेहरिस्त में भारत सबसे ऊपर है। समुद्र की सतह में इजाफा होने के चलते भारत के तकरीबन 4 करोड़ लोग जोखिम में हैं जबकि बांग्लादेश के ढाई करोड़, चीन के 2 करोड़ और फिलीपीन्स के तकरीबन डेढ़ करोड़ लोगों को खतरा है।

- रिपोर्ट में बताया गया है कि एशिया में बसावट के तरीकों में परिवर्तन, शहरीकरण और सामाजिक-आर्थिक दर्जा ने जलवायु की चरम स्थितियों के खतरे और उससे दो-चार होने की आशंकाओं के अवलोकित रुझानों को प्रभावित किया है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि अनेक तटीय इलाके, विस्तार से गुजर रहीं शहरी बसावटों ने भी जलवायु की चरम स्थितियों से होने वाली घटनाओं से निबटने की प्राकृतिक तटीय प्रणालियों की क्षमता प्रभावित की है और वहां खतरा बढ़ाया है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्वानुमान जताया जा रहा है कि तेज शहरीकरण और आर्थिक वृद्धि के चलते चीन, भारत और थाईलैंड जैसे कुछ देशों को, खास कर उनके अत्यंत शहरीकृत इलाकों को भविष्य में चरम स्थितियों से ज्यादा रूबरू होने के हालात से जूझना होगा।

- रिपोर्ट में भारत में मुंबई और कोलकाता को, चीन में गुआंगझो और शंघाई को, बांग्लादेश में ढाका को, म्यांमा में यंगून को, थाईलैंड में बैंकाक को और वियतनाम में हो ची मिन्ह सिटी तथा हाइ फोंग को चिह्नित किया गया है जहां 2070 में तटीय बाढ़ों से सर्वाधिक बड़ी आबादी को जूझना पड़ सकता है।

- इसमें कहा गया है कि इन शहरों में से अनेक पहले ही तटीय बाढ़ों से रूबरू हैं, लेकिन निश्चित अवस्थिति के चलते अनुकूलन की सीमित क्षमता है।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण असेंबली की बैठक नैरोबी में होने जा रही है। यह रिपोर्ट उससे पहले प्रकाशित की गई है जिसमें पूर्वानुमान जताया गया है कि जलवायु परिवर्तन का सबसे खराब प्रभाव प्रशांत और दक्षिण एवं दक्षिणपूर्व एशिया में हो सकता है।
- ये पूर्वानुमान इसलिए अहम हैं कि 2011 में जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक खतरे में रहने वाले दुनिया के दस देशों में से छह एशिया और प्रशांत में माने जाते थे।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राकृतिक आपदाओं, आर्थिक संकट और जलवायु परिवर्तन से लोगों की आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तटीय इलाकों में चक्रवात और तूफान आने का सबसे ज्यादा अंदेशा होता है और चूंकि गरीब खतरनाक जगहों पर रहते हैं प्राकृतिक आपदाओं से उनके प्रभावित होने की आशंका सबसे ज्यादा होती है।

GShindi.com

- रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि 2050 तक बांग्लादेश, चीन, भारत, इंडोनेशिया और फिलीपीन में 'स्टॉर्म सर्ज जोन' होंगे और इसके चलते पांच करोड़ 80 लाख लोगों की जान जोखिम में होगी।

---

11. दुनिया का सबसे बड़ा रूफ टॉप सोलर पावर प्लान्ट पंजाब में शुरू:

- दुनिया का सबसे बड़ा रूफ टॉप सोलर पावर प्लान्ट शुरू हो गया। इसे 139 करोड़ की लागत से ब्यास के डेरा बाबा जैमल सिंह में पंजाब एनर्जी एजेंसी और डेरा ब्यास ने बनाया है। इससे तैयार बिजली पावरकॉम को बेची जाएगी।

=> **क्या होगा फायदा...**

- 82 एकड़ में बने 8 शेड्स की छतों पर 78102 मॉड्यूल लगाकर इसे तैयार किया गया है।

- इससे हर साल 27 लाख यूनिट बिजली पैदा होगी।

- सोलर प्लान्ट से अगले 25 साल में चार लाख टन कार्बन डाई ऑक्साइड कम पैदा होगी।

- केंद्र सरकार की ओर से 2022 तक 40 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन करने का टारगेट बनाया गया है।

=>फायदा क्या

- पावरकॉम के एक्सईएन एसपी सौंधी ने बताया कि डेरे में लगे कुल 19.5 मेगावाट के दो अलग-अलग सोलर प्लान्ट से बिजली खरीदी जाएगी।

- इनमें 8 मेगावाट के सोलर प्लान्ट से 7.67 रुपए प्रति यूनिट और 11.5 मेगावाट के सोलर प्लान्ट से 7.72 रुपए प्रति यूनिट की दर पर पावरकॉम डेरे से बिजली खरीदेगा।

=>यूएस का तोड़ा रिकॉर्ड

- पंजाब से पहले सबसे बड़े रूफ टॉप सोलर प्लान्ट का रिकॉर्ड अमेरिका की एमजीएम रिजॉर्ट्स के मेंडले बे रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन सेंटर के नाम था।

- यह 20 एकड़ में बना हुआ है और 6.4 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था। इसे 2014 में एनआरजी एनर्जी ने तैयार किया था।

=>सत्संग हाल पर लगे 46164 मॉड्यूल

- डेरा ब्यास के 42 एकड़ में बने करीब 4 लाख लोगों की क्षमता वाले सत्संग हाल के शेड पर 46164 मॉड्यूल लगाकर सोलर प्लान्ट तैयार किया गया है।

- 80.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए अकेले इस प्लान्ट से सालाना 16 लाख यूनिट बिजली पैदा होगी।

- बिजली की सप्लाई करने के लिए 14 इनवर्टर वाला सब-स्टेशन बनाया गया है।

- इस सत्संग हाल में करीब 15 हजार पंखे और 12 बड़े डिजिटल स्क्रीन टीवी लगे हुए हैं।

- पावरकॉम के एक्सईएन एसपी सौंधी ने बताया कि डेरे ब्यास में लगाए गए दो अलग-अलग सोलर पावर प्लान्ट्स से बिजली खरीदी जा रही है।

- इन सोलर प्लान्ट्स से बनने वाली बिजली डेरा परिसर के अलावा कस्बा ब्यास के सात हजार घरों और फैक्टरियों में सप्लाई की जाती है।

=>दुनिया के टॉप टेन में सात यूएस के

- दुनिया के 10 सबसे बड़े रूफ टॉप सोलर पावर प्लान्ट में सात अमेरिका में हैं।

- चीन के सबसे बसे बड़े रूफ टॉप सोलर पावर प्लान्ट से 2 मेगावाट बिजली पैदा होती है।

GShindi.com

- अमेरिका के न्यू जर्सी में बना कॉन्स्टेलेशन ग्रुप का पावर प्लान्ट इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है।
- यहां 5.38 मेगावाट बिजली पैदा होती है

---

12. वैश्विक तापन : 2070 तक कोलकाता और मुंबई होंगे सबसे असुरक्षित तटीय शहर

जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण के कारण कोलकाता और मुंबई 2070 तक दुनिया के सबसे ज्यादा असुरक्षित महानगर बन सकते हैं. समुद्र तल के बढ़ते स्तर के कारण दुनिया के विभिन्न शहरों को खतरे के हालिया अध्ययन में इन दोनों शहरों को सबसे ज्यादा ख़तरा है.

★समुद्र तल का स्तर ग्लोबल वार्मिंग (वैश्विक तापमान में वृद्धि) के कारण बढ़ रहा है. ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक महासागर और अंटार्टिका में बर्फ पिघल रही है.

★विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार बचाव की चाहे जितनी भी कोशिश की जाए सुमुद्र तल का स्तर जरूर बढ़ेगा. हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर हुए पेरिस समझौते के अनुसार साल 2100 तक अगर वैश्विक तापमान में वृद्धि को दो डिग्री सेल्सियस तक नियंत्रित कर लिया जाए तो भी समुद्र तल के स्तर में 79 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाएगी.

★समुद्र तल के स्तर में वृद्धि का सीधा परिणाम बाढ़ के रूप में सामने आ सकता है. वहीं समुद्र तट के किनारे बसे शहरों में हाइयान जैसे तूफान का खतरा बढ़ सकता है. हाइयान तूफान 2013 में फिलीपिंस में आया था.

★रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से तटीय शहरों में आने वाली संभावित बाढ़ से करीब एक अरब लोगों की जिंदगी प्रभावित हो सकती है. रिपोर्ट के अनुसार 2070 तक कोलकाता की आबादी 1.4 करोड़ बढ़ सकती है. जिसकी वजह से वो दुनिया का सबसे असुरक्षित तटीय शहर होगा.

★इस रिपोर्ट के अनुसार 2070 तक मुंबई दुनिया का दूसरा सबसे असुरक्षित तटीय शहर होगा. अनुमान के मुताबिक मुंबई की आबादी 1.14 करोड़ बढ़ सकती है.

★कोलकाता और मुंबई के बाद इस सूची में बांग्लादेश की राजधानी ढाका, चीन का गुआनझाऊ, वियतनाम का हो ची मिन शहरों का स्थान है. उसके बाद शंघाई और बैंकॉक का नाम है. अमेरिकी शहर मियामी सूची में नौवें स्थान पर है. वहीं न्यूयॉर्क 17वां सबसे असुरक्षित शहर होगा.

★रिपोर्ट के अनुसार, "जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा पीड़ित होने वाले तीन देश दुनिया के ग्रीनहाउस गैसों के तीन सबसे बडे उत्पादक देश हैं. ग्रीनहाउस गैसों के दो सबसे बड़े उत्पादक देश चीन और अमेरिका की अर्थव्यस्था को बड़ा झटका लग सकता है. ग्रीनहाउस गैसों के उत्पादन के मामले में भारत का दुनिया में चौथा स्थान है. भारत को भी इस कार्बन प्रदूषण की कीमत चुकानी होगी."

★तटीय बाढ़ से सबसे अधिक आर्थिक नुकसान मियामी को होगा. आशंका है कि 2070 तक मियामी को 3.5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है. आर्थिक क्षति के मामले में कोलकाता चौथे स्थान पर है. कोलकाता को दो ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है. वहीं मुंबई इस मामले में छठे स्थान पर है. उसे 1.7 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है.

★ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवीय बर्फ पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है. इस साल रिकॉर्ड उच्च तापमान के कारण आर्कटिक पर बर्फ में रिकॉर्ड कमी आई है. पिछले साल गर्मी में बर्फ की परत बहुत पतली थी और सर्दी में कम बर्फ जमी. कुछ अध्ययनों में आशंका जताई गई है कि इस साल गर्मी में आर्कटिक की बर्फ पूरी तरह गायब हो सकती है.

† जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान का सर्वाधिक असर गरीबों और महिलाओं पर पड़ सकता है

Gshindi.com

★नवंबर 2015 के एक अध्ययन में भी आशंका जताई गई थी कि अगर वैश्विक तापमान में केवल दो प्रतिशत वृद्धि होती है तो भी कोलकाता, मुंबई, हॉन्गकॉन्ग, शंघाई, ढाका पर समुद्र तटीय बाढ़ से प्रभावित होने का खतरा है.

★समुद्र तल का स्तर बढ़ने से ज्यादा आर्थिक नुकसान पश्चिमी देशों को होगा लेकिन इसका सबसे असर गरीबों और महिलाओं पर पड़ेगा. रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन पर रोकथाम के उपायों पर अमल के साथ ही बुरी से बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा.

★संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून ने हाल ही में कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए मदद का फंड कम से कम एक अरब करने के लिए कहा. 2014 में इस फंड में इसकी करीब आधी राशि ही थी.

★संयुक्त राष्ट्र एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य तरीका भी विकसित कर रहा है जिससे जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान का अनुमान लगाया जा सकेगा. इसपर मोरक्को में होने वाले अगले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में चर्चा होगी. इसके बाज प्रदूषण के लिए जिम्मेदार देशों पर हर्जाना वसूलना आसान हो जाएगा.

GShindi.com

1.भारत में बनी इंटरसेप्टर मिसाइल का कामयाब टेस्ट, 2000 KM तक करेगी अटैक

- पूरी तरह से भारत में बनी इंटरसेप्टर मिसाइल का टेस्ट कामयाब रहा है। ओडिशा के अब्दुल कलाम आईलैंड से मिसाइल को फायर किया गया। यह एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 2000 किलोमीटर की रेंज में आने वाली दुश्मन की मिसाइलों को मार गिराने की ताकत रखती है। डीआरडीओ अफसरों ने बताया कि मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी में अपने टारगेट को हिट किया।

=> इंटरसेप्टर की विशेषताएं...

- ये मिसाइल पूरी तरह से भारत में बनी है। इसे DRDO ने बनाया है।
- इसकी लंबाई 7.5 मीटर है, जिसमें एडवांस नेविगेशन सिस्टम लगा है।
- एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सुपरसोनिक (ध्वनि की रफ्तार से भी तेज) है।
- फिलहाल मिसाइल 2000 KM तक हवा में मार कर सकती है, जिसे अपग्रेड किया जा रहा है।

=>कैसे मजबूत होगा डिफेंस सिस्टम?

- इंटरसेप्टर से भारत का दो लेयर वाला एयर डिफेंस सिस्टम (AAD) मजबूत होगा।
- इंटरसेप्टर के पास खुद अपना मोबाइल लॉन्चर है।
- हवा के रास्ते देश में अगर दुश्मन का प्लेन या मिसाइल घुसने की कोशिश करता है तो यह उसे पहचान कर मार गिराने के काबिल है।
- इसका वजन 1.2 टन बताया जा रहा है।

=>दो बार फेल हो चुके हैं टेस्ट :-

- अप्रैल, 2015 में भी मिसाइल का टेस्ट हुआ था, जो कामयाब नहीं हो सका था।
- लॉन्चिंग के कुछ सेकंड बाद ही मिसाइल समंदर में जा गिरी थी।
- इंटरसेप्टर का आखिरी टेस्ट नबंवर, 2015 में किया गया था, जो कामयाब रहा था।
- डीआरडीओ अब तक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के 12 टेस्ट कर चुका है, जिनमें सिर्फ दो ही फेल हुए हैं।

2.इस उपलब्धि के साथ इसरो हुआ और स्वदेशी : केरल में टाइटेनियम स्पॉन्ज प्लांट चालू

★केरल में टाइटेनियम स्पॉन्ज प्लांट चालू होने के बाद अब इसरो को रॉकेट बनाने के लिए जरूरी टाइटेनियम के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

=>परिप्रेक्ष्य :-

★ यह दिसंबर, 2010 की बात है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) क्रिसमस के दिन जीएसएलवी रॉकेट के जरिए जीसेट-5पी सेटेलाइट छोड़ने की तैयारी कर रहा था. जैसे-जैसे यह दिन नजदीक आ रहा था, परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी. इसकी वजह भी थी. वे इसी साल अप्रैल में एक जीएसएलवी रॉकेट को लॉन्च होने के कुछ समय बाद ही आसमान में फटते हुए देख चुके थे.

† आखिरकार क्रिसमस आ गया. श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से इस रॉकेट ने उड़ान भरी. इसे 19 मिनट के भीतर सेटेलाइट को अपनी कक्षा में स्थापित करना था. लेकिन लॉन्च होने के एक मिनट बाद ही जीएसएलवी अपने रास्ते से भटकने लगा. कुछ ही सेकंड बाद एक धमाका हुआ और जीएसएलवी बंगाल की खाड़ी में समा गया.

Gshindi.com

★ इसरो के लिए 2010 की यह घटना सदमे की तरह थी. 2006 में भी जीएसएलवी रॉकेट की एक उड़ान इसी तरह असफल हुई थी. इन रॉकेटों में रूसी क्रायोजनिक इंजन लगा था और कहा गया कि इसरो इसका सफलतापूर्वक संचालन नहीं कर पाया. हालांकि 2014 में यह संस्था पहली बार देसी क्रायोजनिक इंजन के साथ जीएसएलवी रॉकेट अंतरिक्ष में भेजने में सफल रही, लेकिन 2010 के असफल परीक्षणों के समय यह चर्चा जोरों पर थी कि इन रॉकेटों के फ्यूल टैंक और अन्य जरूरी उपकरणों में हल्की गुणवत्ता की सामग्री इस्तेमाल हुई थी.

★ अगस्त, 2013 में भी जब जीएसएलवी रॉकेट उड़ान भरने वाला था उसके पहले एक फ्यूल टैंक में दरार का पता चला और उड़ान रद्द कर दी गई. इसके बाद इसरो के चेयरमैन राधाकृष्णन का बयान आया था कि इस घटना की जांच की जाएगी लेकिन अगली उड़ान के पहले और उच्च गुणवत्ता की सामग्री से प्यूल टैंक बनाए जाएंगे.

★1998 में परमाणु परीक्षणों के बाद लगी पाबंदियों की वजह से इसरो को विदेशों से टाइटेनियम स्पॉन्ज मंगवाना मुश्किल होने लगा था और उसी समय पहली बार इसके लिए प्लांट लगाने के बारे में सोचा गया।

★जीएसएलवी की असफल उड़ानों का जिक्र यहां इसलिए किया गया क्योंकि उस समय इसरो रॉकेट निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री (मिश्र धातु) के लिए विदेशों पर निर्भर रहता था. मुख्यरूप से यह मिश्र धातु टाइटेनियम एलॉय (टाइटेनियम को कुछ अन्य धातुओं या रसायनों के साथ मिलाकर बनाया जाने वाला पदार्थ) होती है और इसका व्यावसायिक उत्पादन विश्व के सिर्फ छह देशों में ही होता है.

★लेकिन अब इसरो पहली बार अपने रॉकेटों में देश में ही बनने वाले टाइटेनियम और टाइटेनियम एलॉय का इस्तेमाल कर सकता है.

★दरअसल हाल ही में केरल के जावरा में एक प्लांट ने पूरी क्षमता के साथ टाइटेनियम स्पॉन्ज का उत्पादन शुरू किया है. इसरो की मदद से बने इस प्लांट के साथ ही भारत दुनिया का सातवां देश बन गया है जहां टाइटेनियम स्पॉन्ज का उत्पादन होता है. फिलहाल इस क्षेत्र में चीन सबसे आगे है और उसके बाद रूस और जापान का स्थान है.

=>भारत में टाइटेनियम अयस्क और इसका उपयोग :-

★चावरा स्थित प्लांट की स्थापना से जुड़ी हैरानी की बात है कि दुनिया में भारत तीसरा देश है जहां टाइटेनियम अयस्क के सबसे ज्यादा भंडार पाए जाते हैं लेकिन अभी तक हमारे यहां व्यावसायिक स्तर पर टाइटेनियम स्पॉन्ज (अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के प्रक्रिया के दौरान प्रथम चरण में बनने वाला टाइटेनियम) के निर्माण की कोई इकाई नहीं थी.

★ जबकि टाइटेनियम एलॉय का इस्तेमाल रॉकेटों, हवाई जहाजों और रक्षा सामग्री में बड़े पैमाने पर किया जाता है. अपनी खूबियों की वजह से टाइटेनियम इन क्षेत्रों के लिए बेहद बुनियादी निर्माण सामग्री है.

★टाइटेनियम स्टील के बराबर मजबूत होता है, लेकिन उसकी तुलना में तकरीबन 45 फीसदी हल्का होता है.

★ एल्युमिनियम से यह दोगुना मजबूत होता है. वजन के अनुपात में मजबूती इसे बाकी धातुओं से ज्यादा उपयोगी बनाती हैं.

★साथ में टाइटेनियम का एक फायदा यह भी है कि विपरीत मौसम और उच्च तापमान में भी इसके क्षरण की दर काफी कम होती है.

Note:- इसरो की वेबसाइट के मुताबिक यह प्लांट दुनिया का अकेला ऐसा प्लांट है जहां टाइटेनियम अयस्क से टाइटेनियम स्पॉन्ज बनाने तक के सारे काम एक ही छत के नीचे होते हैं

★आज से चार-पांच दशक पहले इसरो इतने रॉकेट नहीं बनाता था कि इसके लिए जरूरी टाइटेनियम स्पॉन्ज देश में ही बनाया जाए. लेकिन 1990 के बाद से इसकी ज्यादा जरूरत पड़ने लगी.

★संगठन के लिए टाइटेनियम स्पॉन्ज हासिल करने की सबसे बड़ी चुनौती 1998 में परमाणु परीक्षणों के बाद आई जब भारत पर तमाम तरह की पाबंदियां लग गईं और विदेशों से टाइटेनियम स्पॉन्ज मंगवाना मुश्किल होने लगा. उसी समय पहली बार टाइटेनियम स्पॉन्ज के लिए प्लांट लगाने के बारे में सोचा गया था, लेकिन इसका काम 2006 में शुरू हो पाया.

★फोर्ब्स इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में निर्मित यह प्लांट रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है. इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि भारत- कजाकिस्तान का संयुक्त टाइटेनियम स्पॉन्ज प्लांट भी प्रस्तावित है जो एशिया में भारत का रणनीतिक प्रभाव बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है.

---

3. देश को बड़ी कामयाबी: पहला मेड इन इंडिया स्पेस शटल लॉन्च, ये होंगे फायदे

- भारत ने आज अपना पहला स्पेस शटल लॉन्च कर दिया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) की ये लॉन्चिंग ऐतिहासिक है क्योंकि यह रियूजेबल शटल पूरी तरह भारत में बना है।

- इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से सुबह 7 बजे लॉन्च किया गया।

- स्पेस शटल रियूजेबल लॉन्च व्हीकल-टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर (RLV-TD) से लॉन्च हुआ।

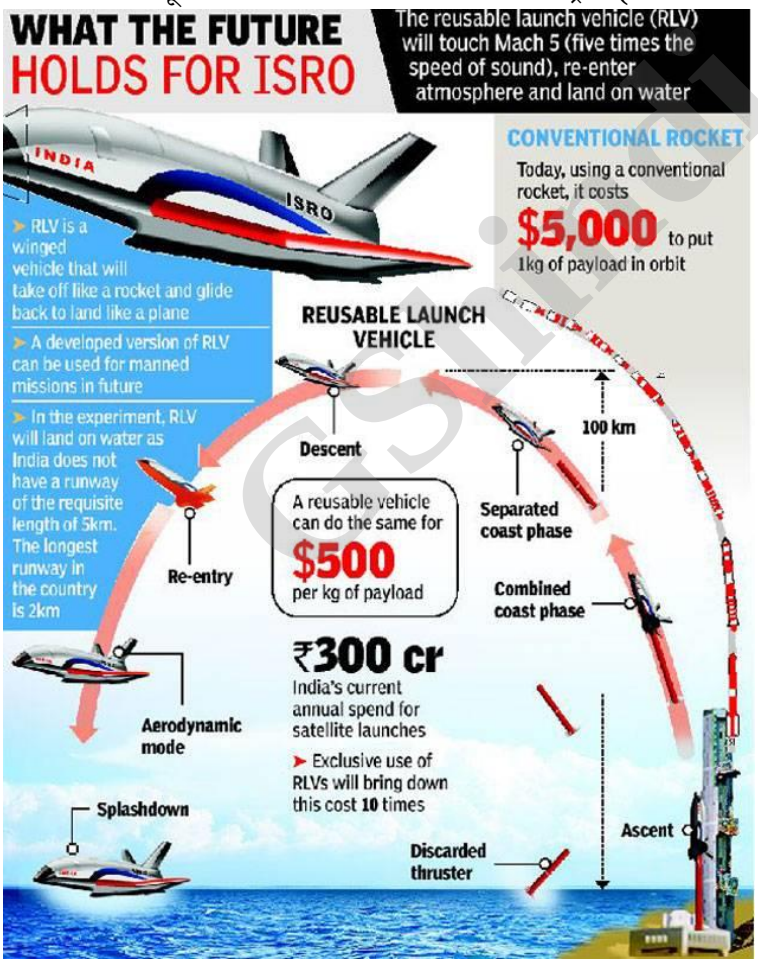

- ये व्हीकल स्पेस शटल को ऑर्बिट में छोड़कर एक एयरक्राफ्ट की तरह वापस आने लायक बनाया गया है। इसे दोबारा से यूज किया जा सकेगा।

स्पेस मिशन की कॉस्ट 10 गुना कम हो जाएगी

- इसरो के इंजीनियर्स का मानना है कि सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में सैटल करने की लागत कम करने के लिए रियूजेबल रॉकेट काफी कारगर साबित हो सकता है।

- साइंटिस्ट्स के अनुसार रियूजेबल टेक्नोलॉजी के यूज से स्पेस में भेजे जाने वाले पेलोड की कीमत 2000 डॉलर/किलो (1.32 लाख/किलो) तक कम हो जाएगी।

- व्हीकल के एडवान्स्ड वर्जन को स्पेस के मैन्ड मिशन में यूज किया जा सकेगा। एलीट क्लब में शामिल हुआ भारत

- अभी ऐसे रियूजेबल स्पेस शटल बनाने वालों के क्लब में अमेरिका, रूस, फ्रांस और जापान ही हैं। चीन ने कोशिश तक नहीं की है।

- रूस ने 1989 में ऐसा ही स्पेस शटल बनाया। इसने सिर्फ एक बार ही उड़ान भरी।

- अमेरिका ने पहला आरएलवी टीडी शटल 135 बार उड़ाया। 2011 में यह खराब हो गया।

=>फाइनल वर्जन बनाने में 10 से 15 साल लगेंगे

gshindi.com

*एसयूवी जैसा दिखने वाला यह स्पेस शटल अपने ओरिजिनल फॉर्मेट से छह गुना छोटा है। टेस्ट के बाद इसको पूरी तरह से तैयार करने में 10 से 15 साल लग जाएंगे।

=>70 किमी ऊपर गया शटल :-

- RLV-TD की ये हाइपरसोनिक टेस्ट फ्लाइट रही।
- शटल की लॉन्चिंग रॉकेट की तरह वर्टिकल रही।
- इसकी स्पीड 5 मैक (साउंड से 5 गुना ज्यादा) थी। साउंड से ज्यादा स्पीड होने पर उसे मैक कहा जाता है।
- शटल को स्पेस में 70 किमी ऊपर ले जाया जाएगा।
- शटल को स्थापित कर व्हीकल 180 डिग्री मुड़कर वापस आ जाएगा।

=>15 साल पहले सोचा था, 5 साल पहले शुरू हुआ काम :-

- स्पेस शटल के लिए 15 साल पहले सोचा गया था। लेकिन सही मायने में काम 5 साल पहले ही शुरू हुआ।
- 6.5 मीटर लंबे प्लेन की तरह दिखने वाले स्पेसक्राफ्ट का वजन 1.75 टन है।
- इसे एटमॉस्फियर में स्पेशल रॉकेट बूस्टर की मदद से भेजा गया।
- सॉलिड फ्यूल वाला स्पेशल बूस्टर फर्स्ट स्टेज रही। ये RLV-TD को 70 किमी तक ले गई।
- इसके बाद RLV-TD बंगाल की खाड़ी में नेविगेट करा लिया गया।
- स्पेस शटल और RLV-TD पर शिप्स, सैटेलाइट और राडार से नजर रखी गई।
- चूंकि इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा थी, इसलिए लैंडिंग के लिए 5 किमी से लंबा रनवे जरूरी था। लिहाजा, इसे जमीन पर नहीं उतारने का फैसला लिया गया।

=>बंगाल की खाड़ी में लैंडिंग :-

- ये पहली बार हुआ कि शटल को लॉन्च करने के बाद व्हीकल बंगाल की खाड़ी में बने वर्चुअल रनवे पर लौटाने का फैसला किया गया।
- समंदर के तट से इस रनवे को करीब 500 किमी दूर बनाया गया।
- साइंटिस्ट्स का कहना है कि RLV-TD को पानी पर तैरने के लिहाज से डिजाइन नहीं किया गया।
- आने वाले 10 साल में #ISRO पूरी तरह रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल तैयार कर लेंगे।'
- 'ये एयरक्राफ्ट की तरह लैंड करेगा और दोबारा यूज किया जा सकेगा।'
- '45 किमी की ऊंचाई पर पहुंचने पर बूस्टर अलग हो जाएंगे और व्हीकल 70 किमी तक शटल को जाएगा।'
- 'फिलहाल, ये टेस्टिंग है। पहली फ्लाइट का वजन 1.7 टन है और इसके बनने में करीब 6 साल लगे। ये ऑपरेशनल रिजूयेबल लॉन्च व्हीकल से 5 गुना छोटा है।

कलामयान हो सकता स्पेस शटल का नाम:

- स्पेस शटल का वजन स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) जितना होगा।
- बता दें कि कई देश रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के आइडिया को खारिज कर चुके हैं।
- साइंटिस्ट्स की मानें तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो स्पेस शटल का नाम 'कलामयान' रखा जाएगा।

=>क्या है RLV-TD?

- RLV-TD अमेरिकन स्पेस शटल की तरह ही है।

Gshindi.com

- RLV-TD के जिस मॉडल का एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, वह इसके लास्ट मॉडल से 6 गुना छोटा है।
- RLV-TD का फाइनल वर्जन बनने में 10-15 साल लगेंगे।

=>तट से 500 किमी दूर बनाया गया रनवे :-

- ये पहली बार होगा कि शटल को लॉन्च करने के बाद व्हीकल बंगाल की खाड़ी में बने वर्चुअल रनवे पर लौट आएगा।
- समंदर के तट से इस रनवे को करीब 500 किमी दूर बनाया गया है।
- साइंटिस्ट्स का कहना है कि RLV-TD को पानी पर तैरने के लिहाज से डिजाइन नहीं किया गया।

=>अमेरिकी व्हीकल्स से सबसे ज्यादा बार भेजे गए शटल :-

- स्पेस शटल भेजने वाले देश अमेरिका के व्हीकल का इस्तेमाल करते रहे हैं।
- इन व्हीकल्स का 135 बार इस्तेमाल हुआ और 2011 में इसे रिटायर कर दिया गया।
- अब इन व्हीकल्स से स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को नहीं भेजा जा सकता।
- रूस के पास एक अकेला स्पेस शटल 1989 में एक बार यूज हुआ।
- इसके बाद फ्रांस और जापान ने एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट्स भेजीं।
- चीन ने अभी तक कोई स्पेस शटल नहीं भेजा।

---

4. गूगल की महत्वाकांक्षी योजना 'प्रोजेक्ट लून' जल्द ही भारत में होगी शुरू:

संभावित प्रश्न:- प्रोजेक्ट लून क्या है? इस प्रोजेक्ट से भारत में डिजिटल डिवाइड को कैसे दूर किया जा सकेगा। तथा इसके डिजिटल इंडिया मिशन पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी समालोचनात्मक विचार प्रस्तुत कीजिए।

★गूगल की महत्वाकांक्षी योजना 'प्रोजेक्ट लून' का जल्द ही भारत में भी प्रायोगिक परीक्षण शुरू होगा।
- इसके लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और गूगल के बीच बातचीत पूर्ण हो गयी.

=>"क्या है प्रोजेक्ट लून?

★ प्रोजेक्ट लून सुदूर इलाकों को गुब्बारों के जरिए इंटरनेट से जोड़ने के मकसद से बनी योजना है.

★प्रोजेक्ट लून का लक्ष्य सुदूर और ग्रामीण इलाकों में 4जी एलटीई इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है.

★ इस प्रोजेक्ट में हीलियम से भरे गुब्बारों का इस्तेमाल किया जाएगा.

★ये गुब्बारे जमीन से 20 किमी ऊपर यानी हवाई जहाज की उड़ान भरने की ऊंचाई से दोगुनी ऊंचाई पर रहेंगे.

★ऐसे एक गुब्बारे से छोड़े जाने वाले सिग्नल जमीन पर 40 किमी के दायरे में इंटरनेट की सुविधा दे सकेंगे.

★ स्ट्रेटोस्फीयर (समतापमंडल) में इन गुब्बारों के नेटवर्क से बाधारहित कनेक्टिविटी मिलने की कल्पना है.

Note:- गूगल का यह प्रयोग ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडोनेशनिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और अमेरिका में भी चल रहा है.

† डिजिटल इंडिया सरकार की सबसे अहम परियोजनाओं में से एक है. इसलिए इस बात पर उसका खासा जोर है कि जल्द से जल्द इंटरनेट देश के हर हिस्से में पहुंचा दिया जाए.

★संचार मंत्रालय के मुताबिक भारत में सभी जगहों पर इंटरनेट की सुविधा देने के लिए सरकार अलग-अलग उपायों पर विचार कर रही है.

★ देश के सुदूर हिस्सों में लून की क्षमता परखने का प्रयास होगा क्योंकि शहरी इलाकों में पहले से ही कनेक्टिविटी अच्छी है. नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर (एनआईसी) को परीक्षण से जुड़ी इंतजाम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस पायलट परीक्षण को आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र में अंजाम दिया जाएगा.

GShindi.com

- देश के सुदूर हिस्सों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए सरकार गूगल के अलावा दूसरी कंपनियों के प्रयासों पर भी नजर रख रही है. माइक्रोवेबस इस्तेमाल नहीं हो रही रेडियो तरंगों, जिन्हें 'व्हाइट स्पेस' कहा जाता है, के जरिए इंटरनेट कनेक्टिवटी देने पर काम कर रही है. इसके अलावा फेसबुक सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन, सैटेलाइट और लेजर के जरिए इंटरनेट उपलब्ध करवाने की योजना बना रही है.

★गूगल ने पिछले साल ही प्रोजेक्ट लून के लिए सरकार से संपर्क किया था लेकिन, मंत्रालयों की आपत्ति के बाद यह प्रस्ताव लटक गया. दूरसंचार, नागरिक विमानन, गृह और रक्षा मंत्रालय ने स्पेक्ट्रम, हवाई क्षेत्र, सुरक्षा और निगरानी जैसे आधारों पर इसका विरोध किया था.

#शंकाएं :-

★गुब्बारों के जरिए प्रसारण के लिए गूगल को 700 मेगाहर्ट्ज से लेकर 900 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम चाहिए होगा. इसका अभी दूरसंचार कंपनियां भी इस्तेमाल कर रही हैं.

- ऐसे में इसे गूगल को देने पर दूरसंचार सेवाओं में दखलंदाजी बढ़ सकती है. इसके अलावा नागरिक विमानन मंत्रालय को आशंका है कि इससे हवाई उड़ानों के रास्ते में भी बाधा आ सकती है.

★ गृह मंत्रालय की चिंता निगरानी से जुड़ी है. रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ये गुब्बारे सैन्य विमानों के रास्ते में बाधा बन सकते हैं.

★प्रोजेक्ट लून के प्रायोगिक परीक्षण की जगह का चुनाव नागरिक विमानन मंत्रालय के सुझाव के आधार पर किया जाएगा. यह ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर हीलियम गुब्बारों का नागरिक विमानों के रास्ते में कम से कम हस्तक्षेप हो. हालांकि स्पेक्ट्रम का मुद्दा अभी उलझा हुआ है.

★अधिकतर टेलिकॉम कंपनियों ने इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ी वैकल्पिक परियोजनाओं के लिए गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को निःशुल्क स्पेक्ट्रम देने का विरोध किया है. उनकी मांग है कि ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी का आवंटन केवल खुली बोली के आधार पर किया जाए.

---

5. राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति को मंजूरी:

★ इसे सृजनात्मकता, नवोन्मेष और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए और ट्रेडमार्क पहचान की रक्षा के लिए बनाया गया है।

★भारत का बौद्धिक संपदा अधिकार कानून व्यापक और विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप है। नई बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को लागू करने में कानून में किसी प्रकार के बदलाव की जरूरत नहीं होगी।

=>विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों पर तैयार की गई है यह नीति :-

★ नई नीति औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के आधार पर बनाई गई है जिसे सचिवों के एक समूह ने दोबारा जांचा-परखा है।

† यह नीति कई क्षेत्रों में 'अनिवार्यता' को प्रोत्साहित करेगी, जिनमें फार्मा, संगीत और साहित्य आदि शामिल हैं।
† इसकी निगरानी और देखरेख औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग द्वारा की जाएगी, न कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। जैसा कई मामलों में हुआ था।

★ "नई आईपीआर नीति के सात बुनियादी उद्देश्य हैं। इसमें पर्याप्त जागरूकता पैदा करना, प्रशासन, प्रवर्तन और आईपीआर कानूनों के तहत न्यायिक निर्णय शामिल हैं।"

=>नीति लागू होने पर किसी ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन में लगेगा केवल एक माह :-

- "इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानव पूंजी का विकास है।" नई नीति के 2017 से लागू होने के बाद किसी ट्रेडमार्क के पंजीकरण में महज एक महीने लगेगा।

★ फार्मा सेक्टर के सन्दर्भ में भारतीय मॉडल कानूनी, न्यायसंगत और विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप है। दवाओं की कीमतों को काबू में रखने के लिए 'स्वास्थ्य संबंधी विचारों के साथ पेंटेट कानूनों का संतुलन' बनाना जरूरी है। कई देशों में दवाओं की कीमतें अधिक हैं। लेकिन जीवनरक्षक दवाओं को बाजिब कीमत पर आम नागरिकों की पहुंच में होना चाहिए।

6. इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपरिमेंट रिएक्टर (आईटीईआर): दुनिया को क्रांतिकारी तरीके से बदलने वाला प्रयोग तथा ITER में भारत का योगदान

★ भारत फ्रांस में बनने जा रहे दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर के सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों का निर्माण जल्द ही पूरा करने वाला है. ऊर्जा उत्पादन का एक नया और क्रांतिकारी तरीका खोजने और पूरी दुनिया को परमाणु ऊर्जा के दुष्प्रभावों से बचाने की दिशा में भारत का यह योगदान मील का पत्थर साबित होगा.

★ आईटीईआर रिएक्टर के 2019 तक शुरू हो जाने की संभावना है. कहा जा रहा है कि यह प्रयोग प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोतों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

=>क्या है ITER :-

★ परमाणु ऊर्जा दो तरीकों से प्राप्त की जा सकती है. एक है परमाणु के नाभिकों का विखंडन और दूसरा है इनका संलयन या एकीकरण.

♂ आज दुनिया में जितने भी परमाणु रिएक्टर हैं वे पहले तरीके से बिजली पैदा करते हैं. लेकिन इसके अपने कुछ खतरे हैं. जैसे इन रिएक्टरों से कभी भी परमाणु दुर्घटना होने का खतरा रहता है और जिसका असर परमाणु बम की तरह हो सकता है.

♂इन रिएक्टरों से जो परमाणु कचरा निकलता है वह एक अलग समस्या है. यह कचरा सैकड़ों साल तक जहरीला विकिरण उगलता रहता है और इसलिए उसको ठिकाने लगाना बहुत ही मुश्किल काम है.

♂ दुनिया के किसी भी देश के पास परमाणु कचरे के ऐसे स्थायी निपटारे की कोई व्यवस्था नहीं है कि वह स्वास्थ्य के लिए ख़तरा बने बिना सैकड़ों वर्षों तक एक ही जगह अनछुआ पड़ा रहे.

♂ इसलिए भी एक लंबे अरसे से पूरी दुनिया में कोशिश की जा रही थी कि परमाणु संलयन तकनीक के आधार पर परमाणु रिएक्टरों का विकास किया जाए.

★ ये रिएक्टर सुरक्षित होंगे और उनसे ऐसा परमाणु कचरा भी नहीं निकलेगा जिसका निपटारा न हो सके. लेकिन यह तकनीक इतनी जटिल है कि कोई भी देश अभी इस दिशा में खास प्रगति नहीं कर पाया है.

★ इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए 2006 में छह देशों और एक संगठन ने मिलकर इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपरिमेंट रिएक्टर (आईटीईआर) पर सहमति जताई थी.

★इस प्रयोग के तहत एक परमाणु रिएक्टर का निर्माण किया जाना है जिसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के आधार परमाणु ऊर्जा से जुड़े अनुसंधान संपन्न होने हैं.

★ इस परियोजना में रूस, जापान, अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ के साथ भारत भी शामिल है.

★ परमाणु संलयन तकनीक के आधार पर बने रिएक्टर सुरक्षित होंगे और उनसे ऐसा परमाणु कचरा भी नहीं निकलेगा जिसका निपटारा न हो सके.

Gshindi.com

★ आईटीईआर का निर्माण 2013 में फ्रांस के कराहाश में शुरू हो चुका है. सभी सदस्य देशों ने इसके निर्माण में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है. साथ ही वे रिएक्टर के लिए उपकरणों का भी निर्माण कर रहे हैं.

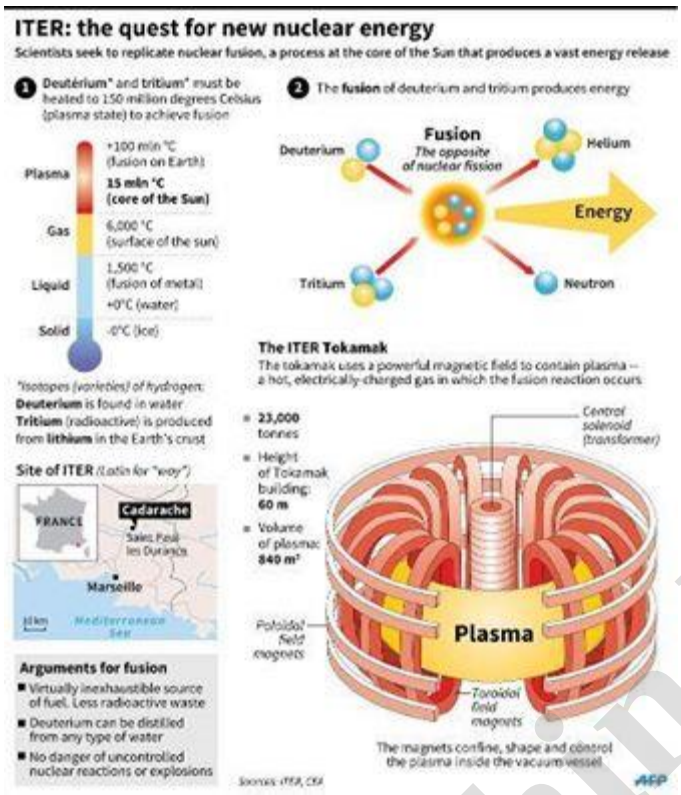

★ भारत को रिएक्टर के सबसे बड़े, भारी और महत्वपूर्ण उपकरण के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी.

★ भारत का इंस्टिट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च (आईपीआर) आईटीईआर के लिए 'क्रोस्टेट' का निर्माण कर रहा है और दिसंबर तक इसे परीक्षण स्थल तक पहुंचा दिया जाएगा.

=>क्रोस्टेट सिलेंडर का कार्य :-

★ क्रोस्टेट सिलेंडर के आकार का उपकरण होता है जो रिएक्टर का तापमान नियंत्रित करता है.

★ 30 मीटर लंबाई और इतनी ही चौड़ाई वाला यह मशीनी ढांचा रिएक्टर का सबसे बड़ा कलपुर्जा है.

† इसके अलावा रिएक्टर की एक और प्रणाली (वैक्यूम वैसेल सिस्टम) के विकास का काम भी भारत में हो रहा है. ये दोनों प्रणालियां लार्सन एंड टूब्रो के गुजरात में हजीरा स्थित प्लांट में विकसित की जा रही हैं. इनके निर्माण की आधिकारिक जिम्मेदारी आईपीआर को दी गई है.

=>निष्कर्ष :-

★ आईटीईआर रिएक्टर के 2019 तक शुरु हो जाने की संभावना है. कहा जा रहा है कि यह प्रयोग प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोतों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और भारत इससे प्राप्त ब्लूप्रिंट के आधार पर 2050 तक परमाणु संलयन प्रक्रिया पर आधारित अपना रिएक्टर बना पाएगा.

---

7. गंभीर सूखे के बीच उम्मीद बने वैज्ञानिक, समंदर के पानी को पीने लायक बनाया बार्क के वैज्ञानिकों ने:

† ऐसे समय जब देश के करीब 13 राज्य सूखे की चपेट में हैं, भारतीय वैज्ञानिकों की नई खोज देश के लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है।

★ वैज्ञानिकों ने ऐसा तरीका खोज निकाला है जिसके जरिये समुद्र के पानी को पीने लायक बनाया जा सकेगा। इसके तहत फिलहाल एक दिन में 6.3 मिलियन लीटर पानी तैयार किया जा सकता है।

★ वैज्ञानिकों ने ऐसा शोधन तरीका (फिल्टरेशन मेथर्ड) भी विकसित किया है जिससे आर्सेनिक और यूरेनियम युक्त पानी को भी पीने योग्य बनाया जा सकेगा।

=>बार्क के वैज्ञानिकों की बड़ी कामयाबी :-

Gshindi.com

★ भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर (बार्क) के वैज्ञानिकों ने तमिलनाडु के कलपक्कम के पायलट प्लांट को तैयार किया है। इसमें समुद्र के पानी को शुद्ध करने के लिए अपशिष्ट भाप (वेस्ट स्टीम) का उपयोग किया जाता है।

★इसकी क्षमता रोजाना 6.3 मिलियन लीटर पानी के शोधन की है।

† शुद्ध किए गए पानी का स्वाद बिल्कुल ताजा पानी जैसा है। इसके समुद्र के पानी जैसा खारापन जरा भी नहीं है।

‡ यूरेनियम-आर्सेनिक युक्त पानी भी बेहद कम लागत में पीने लायक बनाया :-

- भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के अनुसार ऐसे कई प्लांट पंजाब के अलावा पश्चिम बंगाल में भी स्थापित किए गए हैं।

★इसके साथ ही बार्क ने ऐसी झिल्लियां भी विकसित की हैं, जिनके जरिये बेहद कम लागत पर यूरेनियम अथवा आर्सेनिक से दूषित पानी को शुद्ध कर पीने लायक बनाया जा सकता है।

★गौरतलब है कि बार्क के हाल ही के दौरे में प्रधानमंत्री ने उस साइकिल को चलाकर देखा था जिसमें वाटर प्यूरीफायर को लगाया गया है। पैडलिंग के उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की मदद से यह साइकिल यह दूषित पाने को पीने योग्य बनाती है।

★ परमाणु वैज्ञानिकों ने घर में संचालित किए जान सकने वाले ऐसे वारट प्यूरीफायर भी तैयार किए है, इन वाटर प्यूरीफायर्स की सूखे से बुरी तरह प्रभावित मराठवाड़ा में मार्केटिंग की जा रही है।

---

8. भारत में शोध और अनुसन्धान: पिछड़ेपन का कारण और निराकरण के कुछ अहम् सुझाव:

☆ देश के 60 फीसदी मेडिकल संस्थानों से पिछले दस वर्षों में एक भी रिसर्च पेपर सामने नहीं आया है, जबकि इनका एक अहम काम रिसर्च करना ही है। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं, वहां भी बेहद कम संख्या में शोधपत्र प्रकाशित हुए हैं।

★ गंगाराम इंस्टिट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के डीन डॉ. समीरन नंदी ने अपने दो सहयोगियों के साथ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) और नैशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (एनबीई) द्वारा मान्यता प्राप्त 579 मेडिकल संस्थानों के 2005 से 2014 के बीच के रिसर्च आउटपुट का मूल्यांकन कर यह तथ्य पेश किया है।

☆ 'करेंट मेडिसिन रिसर्च एंड प्रैक्टिस' में प्रकाशित उनका यह अध्ययन बताता है कि केवल 25 (4.3 पर्सेंट) संस्थानों ने एक साल में 100 से ज्यादा शोधपत्र प्रकाशित किए।

★यह तो मेडिकल रिसर्च का हाल है, मगर दूसरे क्षेत्रों की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। आज आलम यह है कि देश के ज्यादातर छात्र मैनेजर और इंजीनियर बनने की बात करते हैं लेकिन कोई भी साइंटिस्ट या रिसर्चर बनने की बात नहीं कहता।

☆ भारत में करीब 400 विश्वविद्यालय और डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन यहां हर साल करीब पांच हजार छात्र ही डॉक्टरेट करते हैं, जबकि अमेरिका में प्रतिवर्ष 25 हजार और चीन में प्रतिवर्ष 35 हजार छात्र पीएचडी करते हैं।

★ डॉक्टरेट के मामले में ही नहीं, शोध पत्रों तथा पेटेंट के मामले में भी हम अन्य देशों की तुलना में काफी पीछे हैं। अनुसंधान पत्रों के प्रकाशन में भारत का हिस्सा विश्व में मात्र 2.5 प्रतिशत है जबकि अमेरिका विश्व अनुसंधान पत्रों का 32 प्रतिशत प्रकाशित करता है।

=>"भारत में शोध और अनुसन्धान के पिछड़ेपन का कारण"

☆ देश में रिसर्च के अनुकूल माहौल और साधनों का अभाव है तो है ही, लेकिन इससे भी बड़ी समस्या यह है कि यहां के शोध संस्थानों में कुछ नया खोजने या करने की इच्छाशक्ति या अजेंडा ही नहीं है।

★ शोधार्थी एक समय के बाद अपने काम को नौकरी की तरह लेने लगते हैं। जो थोड़े-बहुत लोग वाकई शोध को लेकर सीरियस होते हैं, वे मजबूरी में विदेश चले जाते हैं।

Gshindi.com

★ आवश्यक आधारभूत ढांचें का अभाव

★ विज्ञान संकय के प्रति रूचि में कमी।

★ रोजगार सुरक्षा का अभाव

★ रिसर्च स्कॉलरस का कॉपी- पेस्ट तक सीमित होना

#सुझाव

★अमेरिका के नेशनल ब्यूरो ऑफ इकनॉमिक रिसर्च द्वारा पिछले साल कराए गए एक सर्वे में कहा गया है कि भारत के 40 फीसदी रिसर्चर रिसर्च के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आदि का रुख करते हैं, जिनमें बेहद कम वापस लौटते हैं।

♂ इस ब्रेन ड्रेन को रोकने और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को रिसर्च की तरफ आकर्षित करने के लिए शोधकर्ताओं को आर्थिक निश्चिंतता देनी होगी।

♂ साथ ही आला दर्जे की रिसर्च लैब्स की स्थापना और अपने देश में विकसित होने वाली टेक्नोलॉजी के व्यावसायिक इस्तेमाल की व्यवस्था भी जरूरी है।

♂ लेकिन इन सबसे जरूरी बात यह है कि मौजूदा संस्थानों के कामकाज का नियमित मूल्यांकन हो।

♂ इसके लिए नॉलेज ऑडिटिंग को अनिवार्य बनाया जा सकता है, जिससे यह जाना जा सके कि शोध के नाम पर कहां क्या हो रहा है।

---

9. रेडियो-लिंक टेक्नोलॉजी व कॉल ड्राप

Background

कुछ समय से मोबाइल पर बात करते हुए बीच में फोन कट जाने की समस्या बढ़ती जा रही है। लेकिन मोबाइल कंपनियों की ओर से अब तक सिर्फ तकनीकी खराबी या कमी बता कर इस पर परदा डालने की कोशिश की जाती रही है।

कम्पनियों के पास नया हथियार अपनी जिम्मेदारी से बचने का

अब तक बीच में अचानक फोन कट जाने को नियामकीय ढांचे के तहत कॉल ड्रॉप के तौर पर दर्ज किया जाता है, जिसके लिए मोबाइल कंपनियों और उनकी सेवा की गुणवत्ता में कमी को जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन नई तकनीकी का फायदा उठा कर मोबाइल कंपनियों ने अपने हिस्से की इस शिकायत से बचने का रास्ता निकाल लिया है। और आरएलटी यानी टेलिकॉम आपरेटर रेडियो-लिंक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने मोबाइल कंपनियों ने वह हथियार दिया है |

क्या है RLT:

- यह एक ऐसी तकनीक है जिसके सहारे किसी कॉल के कट जाने या दूसरी तरफ से आवाज नहीं सुनाई देने के बावजूद फोन का कनेक्शन कृत्रिम रूप से जुड़ा हुआ दिखता है।
- अगर उपभोक्ता अपनी समझदारी से उस कॉल को न काटे तो वह जुड़ी दिखेगी और आगे जितनी देर तक कोई व्यक्ति उसे जुड़ा समझ कर बोलता रहेगा, उसके लिए पैसे उठते रहेंगे। इस तरह, यह प्रक्रिया कॉल ड्रॉप नहीं, बल्कि इस तरह दर्ज की जाएगी कि उपभोक्ता ने खुद फोन काटा।
- इसमें कंपनी या उसकी सेवाओं की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती और उसके लिए उपभोक्ता से पूरे पैसे वसूल किए जाएंगे।

कॉल ड्राप के मामले में अब तक का सफ़र

अब तक ट्राई ने कॉल ड्रॉप सहित खराब सेवा के लिए मोबाइल कंपनियों पर दो लाख रुपए तक का जुर्माना तय किया हुआ है। लेकिन पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने ट्राई के उन नियमों को निरस्त कर दिया, जिनके तहत टेलिकॉम आॅपरेटर को प्रति कॉल ड्रॉप एक रुपया और एक ग्राहक को हर रोज अधिकतम तीन रुपए के भुगतान का निर्देश दिया गया था।

Conclusion

Gshindi.com

इस क्षेत्र में दर्जनों कंपनियों के बीच प्रतियोगिता का हासिल यह होना चाहिए था कि उपभोक्ता को कम खर्च पर बेहतर और अच्छी गुणवत्ता वाली सेवा मिले। लेकिन हाल के दिनों में बात करने से लेकर इंटरनेट तक के खर्चों में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि सेवाओं से संबंधित कई तरह की शिकायतें आने लगी हैं। बिना मांग किए कोई सेवा शुरू करके पैसे काट लेने की शिकायत आम रही है। यह ट्राई की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस सब पर तत्काल रोक लगाए।

10. नेशनल सुपरकम्प्युटिंग मिशन: भारत को जल्द मिलेंगे स्वदेश निर्मित नया सुपरकम्प्युटर

- भारत को अब जल्द स्वदेशी रूप से निर्मित एक सुपरकम्प्युटर मिलेंगे।
- ऐसा सरकार के 4500 करोड़ रुपये के नेशनल सुपरकम्प्युटिंग मिशन कार्यक्रम के तहत होगा जिसका उद्देश्य भारत को उन अभिजात देशों के वर्ग में शामिल करना है जिन्होंने इस क्षेत्र में प्रगति की है।
- इस परियोजना को 'सेंटर फॉर डेवलपमेंट आफ एडवांस्ड कम्प्युटिंग' संभाल रहा है जिसने भारत के पहले सुपरकम्प्युटर 'परम' का निर्माण किया था।
- सरकार ने गत वर्ष मार्च में '**नेशनल सुपरकम्प्युटिंग मिशन**' की योजना को मंजूरी दी थी। इसके तहत अगले सात वर्षों में 80 सुपरकम्प्युटरों का निर्माण किया जाएगा।
- इनमें से कुछ आयातित होंगे और बाकी का निर्माण स्वदेशी रूप से किया जाएगा।'
- वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं कि इनका गर्म होन कैसे नियंत्रित किया जाए। इन सुपरकम्प्युटरों को चलाने का खर्च ही करीब एक हजार करोड़ रुपये होगा।'
- नये सुपरकम्प्युटरों को देशभर में अलग-अलग संस्थानों में रखा जाएगा।

=>सुपर कंप्यूटर के उपयोग क्या- क्या है :-

- 'एक सुपरकम्प्युटर का इस्तेमाल **विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है जैसे जलवायु मॉडलिंग, मौसम पूर्वानुमान, नाभिकीय उर्जा में , दवाओं की खोज आदि।'**
- वर्तमान में विश्व की शीर्ष सुपरकम्प्युटिंग मशीनों में से एक बड़ा हिस्सा अमेरिका, जापान, चीन और यूरोपी संघ के पास है।

11.**एनीमिया जांचने की नई तकनीक विकसित**

- आईआईटी के बॉयोटेक्नोलॉजी विभाग ने तीन साल के शोध के बाद तैयार किया है
- क्या है नई तकनीक में: एनीमिया की जांच 4 इंच की स्ट्रिप से अब 5 से 10 सेकंड में हो जाएगी। सुगर टेस्ट स्ट्रिप की तरह हीमोमीटर में केवल एक बूंद खून की जरूरत होगी। नई स्ट्रिप से घर बैठे हीमोग्लोबिन की जांच हो सकेगी।
- नैनो बॉयोइलेक्ट्रॉनिक विधि से यह डिवाइस तैयार की गई है।

हेपेटाइटिस बी का ओरल वैक्सीन नैनो कण से तैयार किया

- एम्स ने एक बड़े अनुसंधान तहत हेपेटाइटिसमें दिशा की बचाव से संक्रमण उसके और रोकथाम की बी- काम किया है
- एम्स के डॉक्टरों ने **पॉलिकैप्रोलैक्टोन नामक पॉलीमर के नैनो कण** ओरल का बी-हेपेटाइटिस से (पार्टिकल) है। की हासिल कामयाबी में करने तैयार (टीका) वैक्सीन
- पॉलिकैप्रोलैक्टोन एक ऐसा पॉलीमर है जिसका इस्तेमाल कृत्रिम अंग तौर विशेष है। जाता किया में बनाने (प्रोस्थेटिक) में जोड़ने को हड्डियों हुई टूटी में हिस्से किसी के शरीर परभी इससे तैयार इंप्लांट का इस्तेमाल होता है।
- यह बायोडिग्रेडेबल है। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है।

क्या है हेपेटाइटिस बी

- हेपाटाइटिस बी वायरस)HBV) के कारण होने वाली एक संक्रामक बीमारी है

हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर

♂ **13.5** ग्राम/डीएल से 17.2 जी/डीएल

♀ **12.1** जी/डीएल से 15 .1जी/डीएल

नोट : सामान्य वयस्क महिला व पुरुष का स्तर

एनीमिया की पारंपरिक जांच विधि

दो से तीन एमएल खून का सैंपल ट्यूब में लेने के बाद प्लाज्मा और सीरम डालकर स्लाइड पर फैलाया जाता है। पांच मिनट बाद स्लाइड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। इसके जरिए आरबीसी की जांच होती है। इस दौरान लाल रक्त कणिकाओं की मात्रा से पता चलता है कि मरीज के खून में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना है। जबकि वर्तमान जांच से केवल एक बूंद खून के सैंपल से परिणाम मशीन पर खुद डिस्प्ले हो जाएगा।

हीमोमीटर तकनीक

मशीन से चार्ज होने वाले उपकरण को 5 से 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। स्लाइड पर आधारित जांच में सैंपल को न्यूनतम तापमान पर संरक्षित करना जरूरी होती है। परिणाम तुरंत मिल जाता है, इसलिए सैंपल कम तापमान पर रखने की जरूरत ही नहीं होती। पूर्व की जांच भी सुरक्षित रखी जा सकती है।

- सामान्य भाषा में इस रोग को लोग **Jaundice** या **पीलिया** भी कहते हैं।

क्या है नैनोतकनीकी

नैनो टेक्नोलॉजी वह अप्लाइड साइंस है, जिसमें 100 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स पर भी काम किया जाता है।

इस प्रौद्योगिकी से विनिर्माण, बायो साइंस, मेडिकल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स व रक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है, क्योंकि इससे किसी वस्तु को एक हजार गुणा तक मजबूत, हल्का और भरोसेमंद बनाया जा सकता है। छोटे आकार, बेहतर क्षमता और टिकाऊपन के कारण मेडिकल और बायो इंजीनियरिंग में नेनौ टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है। नेनौ टेक्नोलॉजी से इंजन में कम घर्षण होता है, जिससे मशीनों का जीवन बढ़ जाता है। साथ ही ईंधन की खपत भी कम होती है।

नैनो विज्ञान अति सूक्ष्म मशीनें बनाने का विज्ञान है। ऐसी मशीनें, जो इंसान के जिस्म में उतर कर, उसकी धमनियों में चल-फिर कर वहीं रोग का ऑपरेशन कर सकें। ऐसी मशीनें, जो मोबाइल को आपके नाखून से भी छोटा कर दें। जो ऐसी धातु बना दें, जो स्टील से दस गुना हल्की और सौ गुना मजबूत हो। यानी वह धातु, जिससे ऐसे खंभे बनाए जा सकें, जो सिर्फ कुछ इंच के हों, लेकिन पुल का बोझ सह सकें।

Gshindi.com

International Relations

1.क्या है परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह? Nuclear Suppliers Group (NSG)

- परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) 48 देशों का समूह है.

- इसका **लक्ष्य** परमाणु **सामग्री, तकनीक** एवं उपकरणों का निर्यात नियंत्रित करना है. **परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की आपूर्ति से लेकर नियंत्रण** तक इसी के दायरे में आता है.

- पिछले कुछ दिनों से एनसीजी में भारत के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है. वहीं पाकिस्तान और चीन एनएसजी में भारत के शामिल होने पर कड़ा ऐतराज जता रहे हैं.

- एनएसजी में शामिल होने वाले देश के लिए परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य हैं. भारत ने अब तक एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है.

- चीन का कहना है कि एनएसजी में शामिल होने वाले सभी नए सदस्यों को एनपीटी पर हस्ताक्षर करना चाहिए.

=>कब बना NSG :-

इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते भारत ने मई, 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था. इसी साल एनएसजी की स्थापना हुई थी. वर्तमान में इसके 48 देश सदस्य हैं. चीन इस समूह में 2004 में शामिल हुआ था.

=>कौन-कौन देश हैं शामिल

अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेलारूस, बेल्जियम, ब्राजील, बुल्गारिया, कनाडा, चीन, क्रोटिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, माल्टा, मेक्सिको, नीदरलैंड्स, अमेरिका, स्वीडन, टर्की, यूक्रेन, ब्रिटेन जैसे देश शामिल.

=>भारत के लिए क्यों जरूरी है सदस्यता :-

- भारत ने **अमेरिका और फ्रांस परमाणु करार** किया है. ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ परमाणु करार की बातचीत चल रही है.
- फ्रांसीसी परमाणु कंपनी अरेवा जैतापुर, महाराष्ट्र में परमाणु बिजली संयंत्र लगा रही है. वहीं अमेरिकी कंपनियां गुजरात के मिठी वर्डी और आंध्र प्रदेश के कोवाडा में संयंत्र लगाने की तैयारी में है.
- एनएसजी की सदस्यता हासिल करने से भारत परमाणु तकनीक और यूरेनियम बिना किसी विशेष समझौते के हासिल कर सकेगा. परमाणु संयंत्रों से निकलने वाले कचरे का निस्तारण करने में भी सदस्य राष्ट्रों से मदद मिलेगी.
- देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये यह जरूरी है कि भारत को एनएसजी में प्रवेश मिले.

=>2008 में मिल चुकी है एनएसजी से भारत को छूट

Gshindi.com

- साल 2008 में भारत-अमेरिकी परमाणु करार के समय एनएसजी ने भारत से साथ परमाणु व्यापार लगा प्रतिबंध हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी. एनएसजी में भारत कह चुका है कि वह हथियारों की होड़ में शामिल नहीं है और शुरू से ही परमाणु अप्रसार का हिमायती रहा है.

- भारत सरकार का कहना है कि उसने स्वेच्छा से परमाणु परीक्षण पर रोक लगा रखी है. भारत के इस रूख के बावजूद 2008 में भारत को एनएसजी से पूर्ण छूट नहीं मिली थी. पिछले कुछ सालों से भारत से परमाणु करार के चलते अमेरिका लगातार भारत के पूर्ण छूट का हिमायती रहा है और एनएसजी में भारत की सदस्यता का समर्थन करता है.

=>अब आगे क्या ?

- अगले महीने एनएसजी की बैठक प्रस्तावित है. यहां भारत के शामिल होने पर सदस्य देश वोट करेंगे. भारत को बहुमत के आधार पर एनएसजी की सदस्यता मिल सकती है. इस समूह में शामिल हर देश को वीटो का अधिकार होता है.

---

2. भारत एमटीसीआर (मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम) (MTCR) का सदस्य बना

★ एमटीसीआर 35 देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका काम दुनिया भर में मिसाइल द्वारा रासायनिक, जैविक, नाभिकीय हथियारों के प्रसार पर नियंत्रण रखना है. हालांकि इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कोई भी देश केवल अपनी सुरक्षा के लिए कर सकता है.

★ एमटीसीआर का सदस्य बनने से भारत के लिए एनएसजी की सदस्यता हासिल करने में आसानी होगी.

★एमटीसीआर का गठन 1987 में दुनिया के सात बड़े विकसित देशों ने किया था. बाद में 27 अन्य देश भी इसमें शामिल हुए हैं. भारत एमटीसीआर का सबसे नया और 35वां सदस्य बन चुका है.

★एमटीसीआर का सदस्य होने का मतलब एमटीसीआर में शामिल होने के बाद भारत को अपनी मिसाइल तकनीक व प्रक्षेपण से जुड़ी हर जानकारी सदस्य देशों को देनी होगी.

★ सदस्य बनने के बाद भारत के लिए दूसरे देशों से मिसाइल तकनीक हासिल करना आसान हो जाएगा लेकिन अगर भारत किसी दूसरे देश को इस तरह की कोई तकनीक बेचता है या उसका कारोबार करता है तो उसकी पूरी जानकारी सभी सदस्य देशों को देनी होगी।

★देश की उर्जा जरूरतों के साथ-साथ सुरक्षा और मेक इन इंडिया जैसे कई कार्यक्रमों को इस ग्रुप में शामिल होकर रफ्तार दी जा सकती है।

=>"क्या है एनपीटी"

- एनपीटी परमाणु हथियारों का विस्तार रोकने और परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का एक हिस्सा है.

- एनपीटी की घोषणा 1970 में हुई थी.

- अब तक 187 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं.

- इस पर हस्ताक्षर करने वाले देश भविष्य में परमाणु हथियार विकसित नहीं कर सकते.

- हालांकि, वे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं.

*लेकिन इसकी निगरानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के पर्यवेक्षक करेंगे.

Gshindi.com

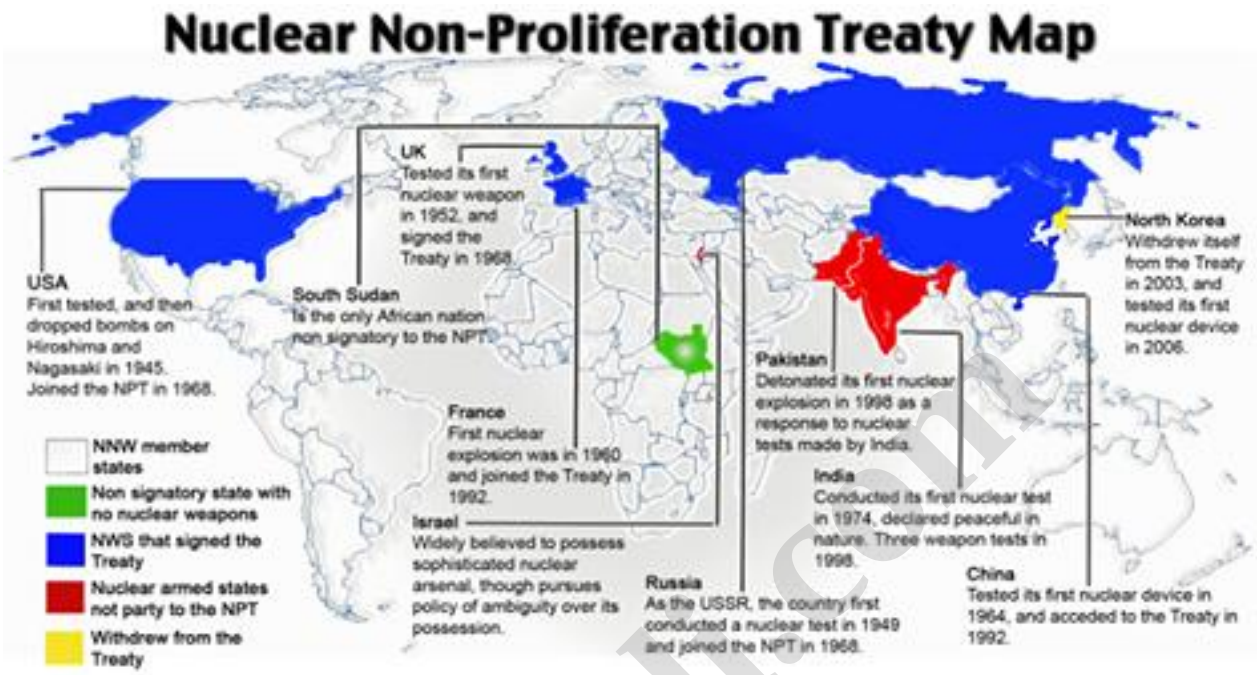

3. मणिपुर के मोरेह से म्यांमार के तामू तक बन रही सड़क : भारत, थाइलैंड और म्यांमार से जुड़ेगा सड़क मार्ग से:

- तीन देशों को जोड़ने वाली 1400 किमी लंबी यह सड़क परियोजना मणिपुर के चंदेल जिले में सीमावर्ती शहर मोरेह से शुरू होकर म्यांमार के तामू कस्बा होते हुए थाइलैंड के टाक मेई सोट जिले पहुंचेगी।

- सड़क यातायात से जुड़ने के बाद तीनों देशों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में और बढ़ोतरी होगी। इससे पूर्वोत्तर भारत के राज्यों का विकास भी सुनिश्चित होगा। इस हाईवे से दशकों में पहली बार भारत को जमीन के रास्ते दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ा जा सकेगा।

♂ सात दशक पहले दूसरे विश्व युद्ध के समय म्यांमार में 73 पुल बनाए गए थे। अब इन पुलों को भारत की फंडिंग से सुधारा जा रहा है जिससे वाहन सुरक्षित तरीके से हाईवे को पार सकेंगे।

♂ मरम्मत का काम 18 महीने में पूरा हो जाएगा। इसके बाद राजमार्ग को तीनों देशों के यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।

♂यह हाईवे भारत में पूर्वी इलाके के "मोरेह से म्यांमार के तामू" शहर जाएगा। फिलहाल, इस 1,400 किलोमीटर की सड़क के इस्तेमाल के लिए त्रिपक्षीय मोटर वाहन करार को पूरा करने के लिए बातचीत चल रही है। यह सड़क थाइलैंड के मेई सोत जिले के ताक तक जाएगी।

★ 'भारत और थाइलैंड के बीच बैठकें होती रहती हैं। हम दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और भाषायी संपर्क हैं।

★ इस सड़क से हमारे बीच भौतिक संपर्क स्थापित होगा। इस रोड से सामानों की ढुलाई में मदद मिलेगी और आगे जाकर उत्तर भारत के लघु एवं मंझोले उद्योग विकसित होंगे।

★ तीनों देशों के बीच हाईवे प्रॉजेक्ट भारत की 'ऐक्ट ईस्ट' पॉलिसी का हिस्सा है। म्यामांर के दवेई बंदरगाह और थाइडैंल की सीमा के पास इंडस्ट्रियल एस्टेट प्रॉजेक्ट की मदद से भारत का पूर्वी इलाका दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ जुड़ जाएगा।

Gshindi.com

★इसके साथ ही दवेई बंदरगाह को भारत के चेन्नै बंदरगाह और थाइलैंड के लेइंग चाबांग बंदरगाह से जोड़ जा सकता है। मौजूदा भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के तहत भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) समझौते की तैयारी कर रहा है। RCEP में कुल 10 देश शामिल होंगे।

★पिछले साल थाईलैंड के साथ भारत का 8 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था जबकि 10 लाख से अधिक भारतीय सैलानी थाइलैंड की यात्रा पर गए थे।

★भारत में थाइलैंड के बड़े निवेशकों में सीपी ग्रुप, डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स, इटल-थाइ और प्रुक्सा रियल ऐस्टेट शामिल हैं। वहीं, थाईलैंड में टाटा ग्रुप, आदित्य बिड़ला और इंडोरमा जैसी भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं।

4. नये दौर में भारत-अमेरिकी रिश्ते: चीन से मुकाबले के लिए एक हुए भारत और अमेरिका

- - राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की आखिरी आधिकारिक यात्रा का सबसे अहम पक्ष यह है कि भारत ने अमेरिका के साथ रक्षा संबंध प्रगाढ़ बनाने की घोषणा इससे पहले कभी इतनी खुलकर नहीं की थी जितनी कि इस बार की है, इसमें अपवाद के रूप में केवल वह प्रसंग है जिसमें 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के दौरान हमारे देश ने अमेरिका से सैन्य मदद की गुहार लगाई थी।

- मोदी के प्रधानमंत्री पद संभालने से काफी पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन का युग बीत चुका है पर ऐसा पहली बार है कि भारत ने एकदम साफ कर दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय और सामरिक हितों की रक्षा हेतु अमेरिका के साथ सैन्य गठबंधन करने का इच्छुक है।
- न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की सदस्यता मोदी की इच्छा-सूची में जरूर थी लेकिन प्रधानमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण सांकेतिक उद्यम आर्लिंगटन कब्रिस्तान जाकर उन तमाम अमेरिकी सैनिकों को श्रद्धांजलि देना था जो अनेक लड़ाइयों में शहीद हुए थे।

- जब से चीन ने पाकिस्तान को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हुए इस इलाके में अपनी चौधर बनाने के लिए अपनी ज्यादा मुखर नीतियां लागू करनी शुरू की हैं, इसके मद्देनजर भारत को यह महसूस हुआ है कि अमेरिका पर निर्भर होने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं है क्योंकि वह अब भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है जो चीन की बढ़ती शक्ति को संतुलित करने की ताब रखता है।

- जो एक बदलाव हमें देखने को मिला कि मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अमेरिका के साथ हुए ऐतिहासिक एटमी-करार को सिरे चढ़ाने के लिए कांग्रेस प्रशासन की तारीफ की है। इस संधि का सबसे पहला सुखद फल यह था कि वेस्टिंगहाउस कंपनी को भारत भर में बनने वाले परमाणु संयंत्रों का काम दिया गया है, हालांकि इसमें कुछ अधूरे रह गए सिरों को जोड़ने में साल भर का समय लग जाएगा।
- अमेरिका के साथ एक-दूजे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की इजाजत देने वाली संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद जाहिर है कि भारत को यह उम्मीद होगी कि उसे दोहरे इस्तेमाल किए जा सकने वाले सैन्य उपकरण और नवीनतम तकनीक वाले हथियार अमेरिका से मिल पाएंगे और जिन्हें मोदी के मेक इन इंडिया' सिद्धांत के अनुसार देश में ही बनाया जा सकता है।
- अमेरिकी प्रशासन ने भी पिछली कांग्रेस-नीत सरकार की हिचक के उलट प्रधानमंत्री द्वारा अमेरिका के साथ नए रिश्तों की प्रकृति को खुलेआम स्वीकार करने का सबसे ज्यादा स्वागत किया है।

प्रधानमंत्री की इस यात्रा के **उद्देश्यों** में एक वहां के व्यापारिक तबके को भारत में निवेश करने लिए लुभाना भी था, हालांकि उन्होंने **श्रम और भूमि सुधार मामलों** में खींची गई लाल लकीर से समझौता करने का कोई इरादा नहीं जताया।

GShindi.com

- मोदी ने उन्हें यह कहकर प्रेरित करने का यत्न किया कि जहां चीन की आर्थिक वृद्धि दर एक जगह पर आकर थम गई है वहीं भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है, इसलिए पैसा लगाने के लिए हमारा देश ही सबसे ज्यादा मुफीद है
- व्यापार करने के लिए और ज्यादा आसान माहौल बनाने का सिलसिला जारी रखने और अन्य सुधार लाने का वादा भी किया।
- अमेरिकी संसद में दिए गए अपने भाषण में मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच लोकतांत्रिक व्यवस्था की सांझ का गुणगान करने के अलावा भारत की आर्थिक प्रगति का जिक्र भी किया।
- इसके अतिरिक्त भारत के पड़ोस में पल रहे आतंकवाद के दुर्दांत जिन्न से निपटने पर जोर देने की बात भी कही (यहां अपरोक्ष रूप से उन्होंने पाकिस्तान की आलोचना की है)।

भारत-अमेरिकी रिश्तों का भविष्य वहां के भावी राष्ट्रपति के रुख पर निर्भर करेगा। अमेरिका में फिलहाल जिस माहौल में राष्ट्रपति चुनाव की प्रकिया चल रही है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, दोनों ही पार्टियों के सांसद भारत के साथ अच्छे संबंध रखने के इच्छुक हैं।

अमेरिका से नजदीकी के बाद प्रधानमंत्री को इसके प्रतिकर्म में होने वाले नतीजों से निपटने का इंतजाम भी करना होगा। अलबत्ता चीन-भारत संबंधों में ज्यादा बदलाव नहीं आने वाले क्योंकि चीन अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार तय की गई स्वार्थपूर्ण विदेश नीति का अनुसरण करता है। सीमा पर अकसर होने वाले विवादों के बावजूद चीन भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है।

5. भारत अमेरिकी संबंध : ऊर्जा क्षेत्र में संबंधों के नए आयाम

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा की चर्चा वैसे तो एनएसजी की सदस्यता के लिए सुर्खियों में है लेकिन इस दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में हुए समझौते द्विपक्षीय रिश्तों की एक इबारत लिखने के संकेत दे रहे हैं।

- अमेरिका ने भारत को अपना सबसे मजबूत और सबसे बड़ा ऊर्जा सहयोगी देश बनाने की मंशा जताई है। इसके लिए वह भारत को वैसी तकनीकी का हस्तांतरण भी करने को तैयार है जिसे आज तक किसी दूसरे देश को नहीं दिया गया है।

१.अमेरिकी कंपनी की मदद से भारत में लगाए जाने वाले छह परमाणु रिएक्टर दोनों देशों के बीच होने वाले ऊर्जा सहयोग का एक हिस्सा मात्र है। अमेरिका ने जिस तरह की तकनीकी देने की मंशा जताई है, उससे आने वाले दिनों में भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों का मोहताज भी नहीं रहेगा।

2. अमेरिका भारत को गैस हाइड्रेट तकनीकी भी देने को तैयार है। इसे भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा का एक बढ़िया स्नोत माना जा रहा है जिसकी सबसे बेहतरीन तकनीकी अमेरिका के पास है। इसे हासिल करने के लिए भारत लगातार कोशिश कर रहा था। इस तकनीकी को भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में 'गेम चेंजर' माना जाता है।

भारत अपनी जरूरत का 70 फीसद कचा तेल बाहर से आयात करता है। इसका 80 फीसद खाड़ी देशों से आता है। लेकिन अमेरिकी तकनीकी की मदद से अगर शेल गैस और गैस हाइड्रेट देश में निकलना शुरू हुआ तो भारत की निर्भरता कम होगी। साथ ही अमेरिकी मदद से भारत गैर पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा कारोबारी देश बनकर उभर सकता है।

- दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में हुए समझौते का असर यह होगा कि सौर ऊर्जा में भारत एक बड़ा कारोबारी बन कर उभरेगा। दरअसल, भारत ने जिस तेजी से सौर ऊर्जा से एक लाख मेगावाट बिजली बनाने की दिशा में काम शुरू किया है, उसमें अमेरिका भी फायदा देख रहा है।

- अमेरिका ने सौर ऊर्जा के लिए हर तरह की तकनीकी देने का प्रस्ताव किया है। उसने भारत के साथ मिलकर दूसरे देशों को सौर ऊर्जा तकनीकी हस्तांतरण करने का समझौता भी किया है। इससे सौर ऊर्जा में भारत की तकनीकी एशिया और अफ्रीका के देशों को दी जाएगी।

- ज्ञातव्य है कि भारत और अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय सोलर एलायंस की नींव रखी है और इसके लिए वर्ष 2020 तक सौ अरब डॉलर की राशि जुटाने का लक्ष्य है। यह घरेलू उद्योग को बड़ा कारोबार उपलब्ध कराएगा।

6. चाबहार बंदरगाह: भारत- ईरान (IRAN) संबंधों में होगा मजबूत कड़ी:

- दक्षिण पूर्व ईरान में स्थित चाबहार से भारत के लिए अफगानिस्तान का एक रास्ता मिलेगा जिसमें पाकिस्तान से हो कर जाने की जरूत नहीं होगी। भारत के अफगानिस्तान के साथ निकट सुरक्षा एवं आर्थिक संबंध है।

★चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान का जारांज शहर 833 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग से जुड़ सकता है।

★सीमावर्ती जारांज से डेलराम के बीच हाईवे का निर्माण भारत ने किया है।

वहां से अफगानिस्तान के चार बड़े शहर हेरात, कंधार, काबुल और मजार-ए-शरीफ हाईवे से जुड़े हैं।

★भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच ट्रांसपोर्ट ऐंड ट्रैंसिट कॉरिडोर्स अग्रीमेंट होना हैI

- परियोजना के पहले चरण में भारतीय निवेश 20 करोड़ डॉलर से अधिक होगा जिसमें एक्जिम बैंक की 15 करोड़ डॉलर की लोन सुविधा शामिल है। इसके लिए भी एक समझौता इसी यात्रा के दौरान होगा।

★ चाबहार परियोजना-एक के लिए वाणिज्यिक समझौते पर हस्ताक्षर के साथ साथ भारत, अफगानिस्तान एवं ईरान के बीच परिवहन और पारगमन गलियारे पर त्रिपक्षीय समझौते भी किया जाएगा।

★जिससे अफगानिस्तान के आर्थिक विकास में बड़ा योगदान मिलेगा। इसके अलावा इससे भारत समेत अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया के बीच बेहतर क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।

★समझौता तीनों देशों के साथ-साथ पूरे इलाके में लोगों और सामानों की ज्यादा आवाजाही के लिए सामरिक बांध के रूप में काम करेगा।'

★चाबहार पोर्ट को अफगानिस्तान के अलावा मध्य एशिया, रूस और यूरोप तक के लिए भारत के गेटवे के रूप में विकसित किया जा रहा है।

7. सउदी अरब और अमेरिका आमने-सामने, अमेरिकी सीनेट ने दी जस्टिस अगेंस्ट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म एक्ट को मंजूरी

★ दिया है जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के पीड़ितों के परिजनों को सउदी अरब के खिलाफ मुकदमा करने और हर्जाना मांगने की अनुमति देता है.

★बिल के कानून बन जाने के बाद वर्ल्ड ट्रेंड सेंटर में मारे गए लोगों के परिजन सउदी सरकार से हर्जाने की मांग कर सकते हैं.

Gshindi.com

★बिल को लेकर कड़ा विरोध जताते हुए सउदी अरब ने अमेरिका में अपने 750 अरब डॉलर के निवेश को वापस लेने की धमकी दी है. सीनेट की तरफ से बिल को मंजूरी देने के बाद इसे अब कांग्रेस में भेजा जाएगा.

★हालांकि व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस बिल के खिलाफ वीटो ताकत का इस्तेमाल करेंगे.

★सउदी अरब ने अमेरिका के ट्रेजरी सिक्योरिटीज में 750 अरब डॉलर का निवेश कर रखा है, जिसे उन्होंने निकालने की धमकी दी है. सउदी सरकार को डर है कि कानून बनने की स्थिति में अमेरिकी सरकार इस रकम को जब्त कर लेगी.

★सीनेटरस का कहना है कि इस बिल की मदद से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पीड़ितों को न्याय मिलेगा। किसी देश की संप्रभुता एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है. अमेरिका दुनिया के अन्य देशों में दूसरे देशों से कहीं अधिक शामिल है.

★सीनेट ने जिस बिल को मंजूरी दी है उसमें अमेरिका में किसी आतंकी हमले में अमेरिकी नागरिकों के मारे जाने की स्थिति में दूसरे देश की जवाबदेही तय करता है.

★अगर सीनेट के बाद इस बिल को कांग्रेस की मंजूरी मिल जाती है तो इसके बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले में सउदी अरब के खिलाफ मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो जाएगा.

---

8. विकास बैंक के बाद अपनी रेटिंग एजेंसी खोलेंगे ब्रिक्स देश

हाइलाइट्स

- इसका उद्देश्य पश्चिमी देशों के फाइनैंस के क्षेत्र में एकाधिकार को खत्म करना होगा
- यह एजेंसी विकसित हो रहे देशों में विकास के कार्यों का मूल्यांकन भा करेगी
- ब्रिक्स बैंक की शुरूआत 100 बिलियन डॉलर की पूंजी के साथ हुई है

★विस्तार से :-

- पांच विकासशील देशों का समूह ब्रिक्स, बैंक के बाद अब क्रेडिट रेटिंग फर्म खोल सकता है। इसका उद्देश्य पश्चिमी देशों के फाइनैंस के क्षेत्र में एकाधिकार को खत्म करना होगा।

★ 'क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फॉर इमर्जिंग मार्केट ' नाम से इसकी शुरूआत अक्टूबर में भारत में होने वाली ब्रिक्स समिट में होने की उम्मीद है। ब्रिक्स के एक अधिकारी के अनुसार ब्रिक्स देशों- भारत, रुस, ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस विषय पर बातचीत पहले से चल रही है।

★इसके अलावा समिट में भारत में एनडीबी इंस्टिट्यूट बनाने के प्रस्ताव पर भी बात होगी। यह इंस्टिट्यूट न्यू डेवलपमेंट बैंक(एनडीबी) के लिए रिसर्च और प्रोजेक्ट ढूढ़ने का काम करेगा। इस बैंक की शुरूआत 100 बिलियन डॉलर की पूंजी के साथ हुई है। रेटिंग के क्षेत्र में मूडीज, फिच और स्टैंडर्ड एंड पूअर्स का 90 प्रतिशत का मार्केट है।

★वित्तीय रुप से उभरते हुए देशों का पश्चिमी रेटिंग एजेंसियों पर विकसित देशों की तरफ झुकाव का आरोप रहा है। चीन और रूस इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। साथ ही यह एजेंसी विकसित हो रहे देशों में विकास के कार्यों का मूल्यांकन भा करेगी।

---

9. भारत-बांग्लादेश के बीच हुआ परमाणु समझौता, आपसी संबंध होंगे और मजबूत

★भारत ने बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को नई ऊंचाई देते हुए उसके साथ परमाणु करार किया है। भारत द्वारा उठाया गया ऐसा कदम न सिर्फ बांग्लादेश के साथ संबंधों को और मजबूती देगा, बल्कि 21वीं सदी में ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोनों देश राजनीतिक तौर पर जुड़े हुए हैं,सुरक्षा के मुद्दे पर संवेदनशील हैं और आर्थिक सहयोगी भी हैं।

Gshindi.com

★सहयोग बढ़ाने की मुहिम बांग्लादेश के विज्ञान एवं तकनीक विभाग तथा भारत के विदेश मंत्रालय के बीच हुए इस परमाणु समझौते पर काम पहले से ही चल रहा था। बताया गया है कि यह भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने की बड़ी मुहिम का एक हिस्सा भर है।

★भारत की बदौलत मिलेगी रूस से मदद बांग्लादेश को भारत के साथ हुए इस परमाणु समझौते की वजह से रूस से अपने पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट को स्थापित करने में भी बड़ी सहायता मिलेगी।

★जहां यह बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी बात है वहीं भारत के लिए भी अपने पड़ोसी देश के साथ परमाणु सहयोग की दिशा में यह बड़ा कदम है।

अन्य_क्षेत्रों में सहयोग :-

=>भारतीय प्रधानमंत्री ने किया पावर ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन :- बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना तथा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटाना से बांग्लादेश के लिए 100 मेगावाट के पावर ट्रांसमिशन लाइन का शुभारंभ किया था।

★ भारत अब इसकी क्षमता बढ़ा कर 500 मेगावाट करने जा रहा है। हाल ही में ढाका का दौरा कर चुके पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश को डीजल भेजने का वादा किया है।

★पूर्वोत्तर राज्यों में गैस सप्लाईभारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में मजबूती आना इस कारण भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपने पूर्वोत्तर राज्यों में बांग्लादेश के तहत एलपीजी और एलएनजी ट्रांसपोर्ट करना चाहता है।

★ भारत ने इसके लिए ढाका को भी उनकी जरूरत के मुताबिक एलपीजी और एलएनजी देने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा दोनों देशों के संबंध पानी, ट्रांसपोर्ट से लेकर कई अन्य मुद्दों पर सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर लग रहे हैं।

=>बांग्लादेश में भारत लगाएगा पावर प्लांट :-

★भारत की ओर से बांग्लादेश में पावर प्लांट लगाए जाएंगे। इसके लिए चार भारतीय कंपनियों भेल, रिलायंस, शपूरजी-पालोनजी और अडानी ने बोली लगाई है।

★भारत सरकार बांग्लादेश के रास्ते रेल सेवा को भी विस्तार देने की तैयारी कर रही है। अखौरा-अगरतला, खुलना दर्शाना और पार्वतीपुर-कवनिया रेलवे लाइन पर ट्रेन चलाने की योजना सरकार की प्राथमिकता सूची में है। 1965 में भारत-पाक युद्ध के बाद पाकिस्तान ने इन रेल लाइंस पर ट्रेनों के संचालन को रोक दिया था।

- एक और जहाँ भारत के अपने पड़ोसियों, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका आदि के साथ सम्बन्ध नाजुक मोड़ पर हैं वही हसीना सरकार के नेतृत्व में बांग्लादेश के साथ सम्बन्ध नयी ऊंचाइयों पर हैं। दोनों देशों के बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के सफल कार्यान्यवन के बाद समुद्री मामलों के सुलझने की उम्मीद बढ़ गई है।
भारत सरकार को बांग्लादेश के साथ सम्बंधों को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर बनाये रखना चाहिए। इसका असर भारत के अति पिछड़े पूर्वोत्तर राज्यों पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा। वहां विकास की नयी संभावनाएं नज़र आने लगेगी।

10. स्विट्जरलैंड में काले धन की सूचना देने के नियम होंगे आसान

- स्विट्जरलैंड में काला धन रखने वालों के लिए मुश्किल और बढ़ने वाली है। काले धन की जन्नत माने जाने वाले इस देश ने खुद कहा है कि वह 'चुराए गए' डाटा पर विदेशी खातेदारों की सूचना देने से जुड़े नियमों में ढील देगा।

कई देश चोरी के डाटा के आधार पर अपने नागरिकों के बैंकिंग ब्योरे स्विट्जरलैंड से मांगते हैं। यह कदम भारत की काले धन से लड़ाई में मददगार बनेगा।

- इसी हफ्ते प्रधानमंत्री ने भी अपनी यात्र के दौरान स्विस प्रेसीडेंट जोहान श्नाइडर अम्मान के साथ बातचीत में यह मुद्दा उठाया था।इस मुलाकात के बाद आए ताजा प्रस्ताव की भारत के संबंध में अहमियत और भी बढ़ जाती है।

- इस मामले में स्विट्जरलैंड की फेडरल काउंसिल ने टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस एक्ट में संशोधन को हरी झंडी दे दी। अब इस पर वहां की संसद में चर्चा होगी। इस संशोधन के पारित होने के बाद चोरी के डाटा के मामले में स्विस अधिकारियों के लिए भारत समेत तमाम देशों को टैक्स संबंध में सहायता करना आसान हो जाएगा।
- हालांकि इसके लिए भी शर्त लगा दी गई है कि ऐसी सूचना सामान्य प्रशासनिक माध्यमों या सार्वजनिक स्नोतों से प्राप्त की गई होनी चाहिए। अब अगर कोई देश इन सामान्य तरीकों से अगर चोरी किया गया डाटा हासिल कर लेता है, तो उसकी ओर से जानकारी मांगने के अनुरोध का उचित जवाब दिया जाएगा। हालांकि उस सूरत में अब भी कोई प्रशासनिक मदद नहीं दी जाएगी, अगर कोई देश किसी और तरीके से चोरी का डाटा हथिया लेता है।
- स्विट्जरलैंड अपने बैंकिंग कारोबार की गोपनीयता के लिए मशहूर है। मगर अब गैरकानूनी काली कमाई पर अंकुश के लिए तमाम देशों की ओर से की जा रही कार्रवाई के चलते स्विट्जरलैंड पर दबाव बढ़ गया है।
- वर्ष 2013 में भी फेडरल काउंसिल ने टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस एक्ट में संशोधन कर चोरी के डाटा के आधार पर सूचना देने के नियमों में ढील देने का सुझाव दिया था। मगर तब संघीय संसद ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। पिछले महीने ही स्विट्जरलैंड ने कर सूचना के स्वत: आदान-प्रदान की व्यवस्था शुरू की है।

---

11. Oil Geopolitics: तेल शीतयुद्ध समाप्ति की कगार पर; पेट्रोलियम के दामों में वृद्धि निश्चित

- ♂ वर्ष 2014 के मध्य में ओपेक (पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात करने वाले देशों का संगठन) और दुनिया भर की तेल कंपनियों, जिनकी अगुवाई अमेरिका कर रहा था, के बीच मतभेद शुरू हो गया था. इस मनमुटाव के पीछे रणनीति थी तेल की कीमतों को जितना नीचे हो सके उतना लाते हुए उत्पादन को एक ऐसे स्तर पर बनाए रखना जहां से अपने प्रतिद्वंदी को दिवालिया होने के लिये मजबूर किया जा सके.
- ★ लेकिन मौजूदा दौर को देखकर ऐसा लगता है कि अब समय बदल गया है. ऐसा समय आ गया है जब कई अमेरिकी कंपनियां मैदान छोड़कर भाग रही हैं और खुद को दिवालिया घोषित कर रही हैं.

=>परिप्रेक्ष्य :-

- - अमेरिका में आई शेल गैस क्रांति दुनियाभर की तेल आपूर्ति के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में कारगर साबित हुई है. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के 2014 के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका, रूस और सउदी अरब को पछाड़कर तेल और गैस का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया.
- - हालांकि अमेरिकी शेल गैस क्रांति के साथ सबसे बड़ी समस्या उसकी उत्पादन की लागत को लेकर थी. वर्ष 2014 में माना जाता था कि गैस के उत्पादन के लिये फ्रेकिंग तकनीक से उत्पादित होने वाली शेल गैस की कीमत 60 डाॅलर प्रति बैरल के आसपास थी, और अमेरिका और ओपेक के बीच तेल और गैस को लेकर चले इस मतभेद के दौरान कच्चे तेल के दाम जनवरी 2016 में गिरकर 28 डाॅलर प्रति बैरल पर आ गए जो 2003 के बाद सबसे कम है.
- - ऐसे समय में जब कच्चे तेल के दाम 90-100 डाॅलर प्रति बैरल के आसपास थे और शेल गैस बाजार पर छाने को तैयार थी तब अमेरिकी तेल और गैस कंपनियों ने बेहद महंगी तेल की खुदाई के काम को करने के लिये कई बिलियन डाॅलर का कर्ज लिया.
- - अपने कर्ज और बांड की परिपक्वता को चुकाने में असमर्थ कई कंपनियां अब भुगतान की तारीखों को बदलवाते हुए उन्हें आगे बढ़वाकर ऋण का पुनगर्ठन करने के प्रयासों में हैं.
- ★ कच्चे तेल के दाम जनवरी 2016 में गिरकर 28 डाॅलर प्रति बैरल पर आ गए जो 2003 के बाद सबसे कम है।

GShindi.com

- ★ तेल के लगातार गिरते दामों के चलते अमेरिकी शेल कंपनियां वर्ष 2015 में खुदाई की नई परियोजनाओं को रोकने के लिए मजबूर हुईं. तक अमेरिका के रिंग्स की संख्या महीने-दर-महीने गिरकर 760 से 31 रिग्स तक आ गई.
- =>क्या निकट भविष्य में कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे?

  ★ अमेरिका में तेजी से दिवालिया घोषित हो रही तेल कंपनियों की संख्या को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ही जल्द तेल की कीमतों में जबर्दस्त उछाल देखने को मिलेगा.

  =>क्या यह ऑयल शीतयुद्ध का अंत होगा?

  ★जरूरी नहीं है. 2014 में ऐसा माना जाता था कि शेल गैस और तेल का दाम तभी व्यवहार्य होगा जब कच्चा तेल 50 डालर प्रति बैरल की दर पर बेचा जाए. बीते करीब डेढ़ वर्षों में अधिकतर कंपनियां एक ही क्षेत्र में कई कुओं की खुदाई कर अपनी उत्पादन लागत को कम करने में सफल रही हैं.
- ★लेकिन इसके बावजूद कई कंपनियां दिवालिया भी हुई हैं और कई दिवालिया घोषित होने की कगार पर हैं.

---

12. भारत- चीन संबंध : भारत में चीन का निवेश छह गुना बढ़ा

- भारत में चीन के निवेश में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। सालाना आधार पर वर्ष 2015 में यह छह गुना बढ़कर 87 करोड़ डॉलर हो गया।
- चीन की कंपनियों पर प्रतिबंधों में ढील और अनुकूल टैक्स दरों के चलते और निवेश की उम्मीद है।
- चीन की कंपनियों का भारत में निवेश 2015 में 2014 की तुलना में छह गुना हो गया। इसकी मुख्य वजहों में निवेश प्रतिबंधों में रियायत, अनुकूल टैक्स और भूमि किराया नीतियां शामिल हैं।
- रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में चीन का निवेश 2015 में बढ़कर लगभग 87 करोड़ डॉलर हो गया जो कि 2014 की तुलना में छह गुना है।
- भारत सरकार ने पिछले साल से मेक इन इंडिया कैंपेन में चीन का ज्यादा से ज्यादा निवेश हासिल करने के प्रयास शुरू किए हैं।
- आधिकारिक भारतीय आंकड़ों के मुताबिक, भारत में चीन से कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) अभी तक करीब 1.24 अरब डॉलर है। चीन के अधिकारियों ने बताया कि भारत में कई परियोजनाओं में निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। इस लिहाज से यह आंकड़ा और बढ़ सकता है।

=> व्यापार घाटा चीन की तरफ झुका हुआ

* भारत में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की यात्रा के दौरान 20 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई थी। चीनी निवेशकों के लिए निवेश के माहौल को सुगम बना रहा भारत चीन से अधिक निवेश के लिए जोर देता रहा है।

* इसकी बड़ी वजह द्विपक्षीय व्यापार घाटा है। यह चीन की तरफ झुका हुआ है।

* बीते साल दोनों देशों के बीच करीब 71 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। इसमें से करीब 48 अरब डॉलर चीन के पक्ष में रहा। हाल के वर्षों में चीन की कंपनियों ने भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है।

* चीन के दिग्गज बैंकों में से एक इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना (आइसीबीसी) ने 2015 में अपनी मुंबई शाखा में एक विशेष दल बनाया है। यह भारत में विलय और अधिग्रहण के लिए चीन के क्लाइंटों को परामर्श सेवाएं देता है।

---

13. अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया में भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ईरान दौरा अहम क्यों?

Gshindi.com

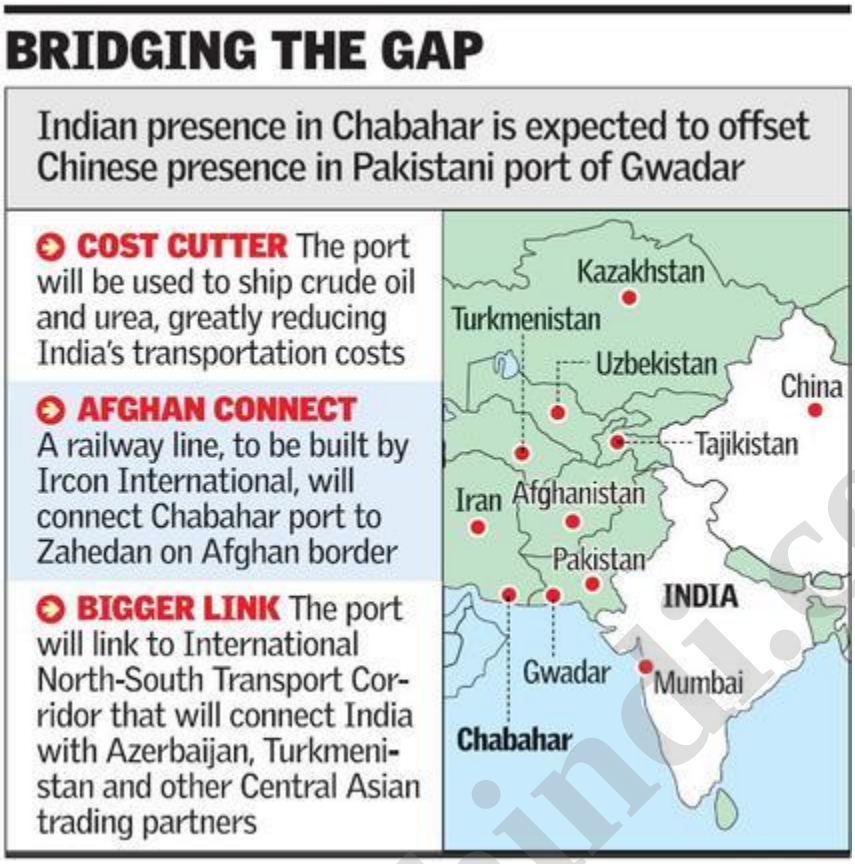

- भारत और ईरान दो प्राचीन सभ्यताओं वाले देश हैं और दोनों का संबंध हज़ारों वर्ष पुराना है। आज़ादी से पहले ईरान भारत का पड़ोसी था, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद भारत और ईरान के बीच थोड़ा सा फासला आ गया।

- भारत और ईरान के संबंधों को नई ऊर्जा देने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दौरा बहुत अहम साबित हुआ है। प्रधानमंत्री का ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ है, जब ईरान पर परमाणु कार्यक्रम की वजह से लगा प्रतिबंध हट चुका है और अब ईरान का बाज़ार पूरी दुनिया के लिए खुला हुआ है।

=>भारत और ईरान के बीच 12 समझौतों पर दस्तखत

-भारत ईरान के चाबहार पोर्ट को विकसित करने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 3400 करोड़ रुपये का निवेश करेगा।
-चाबहार और ज़ाहेडान शहर के बीच रेलवे लाइन बिछाने के लिए भी एक समझौता हुआ है।
-चाबहार पोर्ट पर कार्गो हैंडलिंग के लिए 10 वर्षों तक दो टर्मिनल्स विकसित किए जाएंगे।
-चाबहार पोर्ट पर स्टील आयात करने के लिए भारत का EXIM Bank ईरान के सेंट्रल बैंक को 3000 करोड़ रुपये का कर्ज देगा।
-दोनों देशों के बीच अर्थव्यवस्था, व्यापार, परिवहन, संस्कृति, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्रों में समझौते हुए हैं।

=>अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ये दौरा क्यों अहम है?

- परमाणु हथियारों की वजह से ईरान पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाया गया था जो जनवरी 2016 में हटा दिया गया। प्रतिबंध हटने के बाद ईरान का बाज़ार इस वक्त खुला हुआ है और दुनिया के तमाम देश इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि ईरान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस रिजर्व है। और ईरान, भारत को तेल बेचने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है।
- इस बीच चीन, जापान और कई यूरोपीय देश पहले से ही ईरान से बेहतर संबंधों की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी की यात्रा की टाइमिंग बहुत सटीक है। जब से ईरान पर से प्रतिबंध हटा है तब से भारत ने ईरान से तेल का आयात तीन गुना कर दिया है। ऐसी परिस्थितियों में ईरान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने वाला प्रधानमंत्री का ये दौरा एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।

=>अब आपको भारत और ईरान के बीच हुए उस समझौते के बारे में बताते हैं, जिसने पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ा दी है। ये क़दम उस रणनीति का हिस्सा है, जिसने पाकिस्तान और चीन के गुरूर को तोड़ दिया है।

GShindi.com

- भारत ने ईरान से **चाबहार पोर्ट** को विकसित करने के लिए समझौता किया है। इस पोर्ट के बनने के बाद भारत सीधे **मध्य एशिया में व्यापार** कर पाएगा। पाकिस्तान को घेरने की कूटनीति के मुताबिक अफगानिस्तान भारत के लिए हमेशा बहुत महत्वपूर्ण देश रहा है। लेकिन अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए भारत को पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करना पड़ता है और पाकिस्तान भारत को अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देता। ऐसे में **चाबहार पोर्ट से भारत के लिए अफगानिस्तान सहित पूरे मध्य एशिया का प्रवेश द्वार खुल जाएगा**।

- अफगानिस्तान की कोई भी सीमा समुद्र से लगी हुई नहीं है, इसलिए उसे अपने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए पाकिस्तान के बंदरगाहों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए भारत ने अफगानिस्तान को ईरान के रास्ते जोड़ने की इच्छा जाहिर की थी। **2003 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था**। जिसके तहत ये तय हुआ था कि ईरान चाबहार से अफगानिस्तान बॉर्डर तक एक हाईवे बनाएगा।
- भारत अफगानिस्तान के सीमावर्ती शहर **डेलारम से अफगानिस्तान के निमुर्ज़ प्रांत की राजधानी ज़रान्ज** तक सड़क बनाएगा। 200 किलोमीटर की इस सड़क का निर्माण भारत के बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन ने किया था, इसे बनाने में 600 करोड़ रुपये की लागत आई थी।
- 2005 में इस सड़क का निर्माण शुरू हुआ और 2009 में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। इस हाईवे के निर्माण के दौरान तालिबान ने करीब 130 मज़दूरों की हत्या की, जिसमें 4 बीआरओ के भी थे। इस हाईवे से भारत न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि एशिया के बाकी देशों तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। अब ये सड़क तो बनकर तैयार हो गई है, लेकिन चाबहार पोर्ट पूरी तरह से विकसित नहीं है। लेकिन आज के समझौते के बाद अब जल्द ही ये पोर्ट भी विकसित हो जाएगा।

- 1947 तक भारत और ईरान की सीमाएं एक दूसरे से मिलती थीं। दोनों देश एक-दूसरे से अपनी संस्कृति और भाषा भी साझा करते थे। लेकिन पाकिस्तान बनने से दोनों देशों के बीच दूरियां बढ़ गईं। आज़ादी के बाद के रिश्तों की बात करें तो भारत और ईरान के बीच राजनयिक रिश्ते 15 मार्च 1950 को स्थापित हुए थे।

-तेहरान में भारतीय दूतावास के अलावा बदर अब्बास और ज़ाहेदान में भारत के दो दूतावास भी हैं।

-2014-15 में भारत और ईरान के बीच 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 88 हज़ार करोड़ रुपये का व्यापार था।

-भारत में इस वक्त 8 हज़ार ईरानी छात्र पढ़ रहे हैं। ईरानी छात्रों को भारत हर साल 67 स्कॉलरशिप देता है।

-हर साल करीब 27 हज़ार ईरानी नागरिक भारत यात्रा करते हैं।

-जबकि भारत के करीब 100 परिवार ईरान की राजधानी तेहरान में रहते हैं।

-समझौतों से उम्मीद है कि भारत और ईरान के बीच अब दोस्ती और आगे बढ़ेगी और कूटनीति की दुनिया में भारत का कद और बढ़ जाएगा।

14. India China Relations: राष्ट्रपति के रूप में प्रणब का पहला चीन दौरा : भारत-चीन की जनशक्ति बने वैश्विक ताकत"

- राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने चार दिवसीय चीन यात्रा पर कहा कि भारत-चीन संबंधों का मुख्य उद्देश्य आपसी मतभेदों को दूर कर समझौते वाले क्षेत्रों का विस्तार करना है।

- 'दोनों देशों के तनाव से अहम यह है कि ये दोनों विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या हैं। दोनों देशों की जनशक्ति आपस में मिलकर विश्व की एक बड़ी शक्ति बन सकती है। हम कभी भी मतभेदों को बढ़ाने में शामिल नहीं हैं, बल्कि हमने मतभेदों को कम किया है और समझौते वाले क्षेत्रों का विस्तार किया है। यह भारतीय कूटनीति का मुख्य सिद्धांत है'।

- भारतीय राष्ट्रपति प्रणब ने कहा कि संयुक्त राष्टसंघ, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बैंक और ब्रिक्स जैसे संगठनों के जरिए भारत और चीन लंबे समय से एक-दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस साल चीन में आयोजित होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर मुलाकात करेंगे।

- प्रणब ने 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी का हवाला देते हुए कहा कि भारत और चीन ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर करने में बड़ा योगदान दिया। उन्होंने दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंध की वकालत करते हुए कहा, 'भारतीय अर्थव्यवस्था बीते एक दशक में स्थिरता के साथ बढ़ी है और अब यह 7.6 फीसद की दर से बढ़ रही है। अगर दोनों देशों के 2.5 अरब लोग साथ मिलकर काम करें और अपनी गतिविधियों में सहयोग करते हैं तो हमारे पास क्षमता है।
- साल 2000 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2.9 अरब डॉलर था और अब यह बढ़कर 71 अरब डॉलर हो गया है। हमारा मानना है कि अगर दोनों देशों के बीच निवेश और सहयोग का विस्तार होता है तो बहुत अधिक संभावना है'।

- राष्ट्रपति के रूप में प्रणब का यह पहला चीन का दौरा है। लेकिन इससे पहले वे विभिन्न भूमिकाओं में कई बार यहां आ चुके हैं। प्रणब के चीनी दौरे की शुरुआत कारोबारी शहर क्वांग चाओ से हुई है जो देश की जीडीपी में 12 फीसद योगदान करता है।

- प्रणब के इस दौरे में शीर्ष चीनी नेतृत्व के साथ एनएसजी में भारत की सदस्यता का चीन द्वारा विरोध करने और जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट के वैश्विक आतंकवादी घोषित करने जैसे अहम मुद्दे पर बातचीत की उम्मीद भारतीय पक्ष कर रहा है। वहीं चीनी पक्ष के लिए सोमवार को भारत और ईरान के बीच हुआ चाबहार करार भी मुद्दा बन चुका है। माना जा रहा है कि चाबहार बंदरगाह समझौते के जरिए भारत का पाकिस्तान और चीन पर दबाव बढ़ेगा।
- इस समझौते के बाद भारत की पहुंच न अफगानिस्तान तक बल्कि मध्य एशिया के अन्य देशों तक हो जाएगी। सबसे अहम यह है कि अब अफगानिस्तान जाने के लिए भारत को पाकिस्तान की जरूरत नहीं रहेगी। सामरिक नजरिए से चाबहार भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों देशों के लिए अहम है। और अब वहां तक भारत की सीधी पहुंच से चीन की भौहें तन सकती हैं क्योंकि यहां अरब देशों से तेल, गैस जैसे संसाधनों को बड़े पैमाने पर हासिल किया जा सकेगा तो मध्य एशिया के प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न देशों तक पहुंच हो जाएगी।
- नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में चीन के राष्ट्रपति शी ने भारत का दौरा किया था जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों की गर्माहट बढ़ी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल चीन गए और कई क्षेत्रों में दोनों देशों में संबंध सुधार की पहल हुई।

- चीनी नेतृत्व के साथ राष्ट्रपति की मुलाकात में सीमा विवाद और समस्या के समाधान की मौजूदा प्रणाली जैसे आपसी हित के मुद्दे आएंगे। प्रतिष्ठित परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत की सदस्यता पर चीन का विरोध और जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी के तौर पर प्रतिबंधित करने के संयुक्त राष्ट्र के कदम को बाधित करने की चीन की कार्रवाई तो अहम मुद्दा है ही।
- वहीं दक्षिण कोरिया में अगले महीने होने वाली 48 सदस्यीय परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की बैठक के संदर्भ में परमाणु के मुद्दे पर भारत के रुख को अहम माना जा रहा है। इस बैठक में भारत एनएसजी की सदस्यता हासिल करने की पूरी कोशिश कर सकता है।
- भारतीय अधिकारियों का कहना है कि भारत को एनएसजी में पाकिस्तान की सदस्यता पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर दोनों देशों को साथ रखने के चीन के रुख का विरोध करता है। भारत का मजबूती से यह कहना है कि परमाणु कार्यक्रम के लिए

Gshindi.com

पाकिस्तान के प्रयासों में चीन उसके लिए अनुकूल रह सकता है। लेकिन उसे भारत को रोकने की कोशिश कर अनावश्यक तनाव नहीं पैदा करना चाहिए। भारत के मामले को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश का विरोध किया जाएगा।

- वहीं, भारत एनएसजी की सदस्यता प्राप्त करने के लिए परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करे, चीन के नए सिरे से इस बात पर जोर देने से भारत ने अपनी सहमति नहीं जताई है। एनएसजी का सदस्य बनने वाले फ्रांस ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, भारत के इस रुख को खारिज करने के चीन के रुख को भी भारत ने खारिज कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि एनएसजी सहमति आधारित व्यवस्था है और संधि नहीं है। चीन के साथ बातचीत में भारत चीन को समझाने की कोशिश करेगा कि उसके साथ संबंधों के मुद्दों पर पाकिस्तान के तुष्टीकरण की नीति से परहेज किया जाए।

'दोनों देशों के तनाव से अहम यह है कि ये दोनों विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या हैं। दोनों देशों की जनशक्ति आपस में मिलकर विश्व की एक बड़ी शक्ति बन सकती है। हम कभी भी मतभेदों को बढ़ाने में शामिल नहीं हैं, बल्कि हमने मतभेदों को कम किया है और समझौते वाले क्षेत्रों का विस्तार किया है। यह भारतीय कूटनीति का मुख्य सिद्धांत है। '2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के समय भारत और चीन ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर करने में बड़ा योगदान दिया।

- भारतीय अर्थव्यवस्था बीते एक दशक में स्थिरता के साथ बढ़ी है और अब यह 7.6 फीसद की दर से बढ़ रही है। अगर दोनों देशों के 2.5 अरब लोग साथ मिलकर काम करें और अपनी गतिविधियों में सहयोग करते हैं तो हमारे पास क्षमता है। साल 2000 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2.9 अरब डॉलर था और अब यह बढ़कर 71 अरब डॉलर हो गया है। दोनों देशों के बीच निवेश और सहयोग का विस्तार होता है तो बहुत अधिक संभावना है।

15. चीन का 'डिजिटल रेशम मार्ग' का प्रस्ताव" (Silk Route)

ने चीन -अर्थ आब्जर्वेशन' के लिए अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है ताकि चीन की रेशम मार्ग महापरियोजना को डिजीटल मदद मुहैया कराई जा सके।

- ''अर्थ आब्जव्रेशन फॉर वन बेल्ट एंड वन रोड' पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में ''डिजिटल रेशम मार्ग' का प्रस्ताव रखा गया। इस समारोह में अर्थ आब्जव्रेशन से जुड़े 300 से अधिक विद्वानों एवं रेशम मार्ग के पास के 40 से अधिक देशों एवं इलाकों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। समारोह में यूनेस्को जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया।

अंतरिक्ष आधारित अर्थ आब्जव्रेशन तकनीक से रेशम मार्ग के बारे में लोगों में तेजी से, वृहद और अधिक सटीक तरीके से समझ विकसित करने में मदद मिलेगी।

- डिजिटल रेशम मार्ग' कार्यक्रम मार्ग संबंधी पहलों के लिए सांख्यिकी एवं पर्यावरणीय सूचना मुहैया कराएगा और निर्णय लेने में सहायता करेगा।
- अर्थ आब्जव्रेशन तकनीक का इस्तेमाल रेशम मार्ग के सटे देशों में प्राकृतिक संसाधनों संबंधी अनुसंधान को प्रोत्साहित करने में किया जा सकता है जिससे द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग बढ़ेगा।
- डिजिटल रेशम मार्ग' कार्यक्रम वैज्ञानिक, मुक्त एवं सहयोगात्मक होगा और इसमें भाग लेने के लिए अधिक देशों, संगठनों और विद्वानों को आमंत्रित किया जाएगा।

16. प्रधानमंत्री की ईरान यात्रा: भारत- ईरान सम्बन्ध नई ऊँचाई पर (Finally, there's a thaw in relations)

- भारत और ईरान के बीच लंबा सिविलाइजेशनल लिंक है। ईरान भारत के पड़ोस में है और दोनों देशों के बीच आर्थिक और सुरक्षा क्षेत्रों के बीच आंतरिक संबंध है।

=>प्रधानमंत्री की ईरान यात्रा का मुख्य उद्देश्य :-

- 'प्रधानमंत्री की ईरान यात्रा के दौरान इन अंतरसंबंधों को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय संपर्क तथा बुनियादी ढांचा विकास , ऊर्जा क्षेत्र में भागीदारी, द्विपक्षीय व्यापार प्रोत्साहन, विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की जनता के बीच परस्पर संपर्क बढ़ाने के लिए सहयोग को प्रोत्साहन देने और इस क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित होगा।'
- इस यात्रा में परस्पर सयोग के विस्तार और इस साल ईरान के खिलाफ प्रतिबंध हटाए जाने के बाद उत्पन्न नये अवसरों का पारस्परिक लाभ उठाने पर जोर होगा।
- अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान को छोड़कर एक नया रास्ता खोलने के प्रयासों के तहत प्रधानमंत्री की ईरान यात्रा के दौरान भारत वहां चाबहार बंदरगाह के पहले चरण के विकास के लिए उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करेगा।
- भारत वहां से कच्चे तेल का आयात दोगुना करने और वहां की गैस परियोजनाओं में हिस्सेदारी लेने पर विचार कर रहा है। कुछ साल पहले तक ईरान भारत को कच्चा तेल देने वाला दूसरा सबसे बड़ा स्रोत था।
- दोनों देशों के बीच ईरान के रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह विकसित करने का सौदा भी होने वाला है।

  * मोदी की यह शिया मुसलमानों के देश ईरान की यह पहली यात्रा है। इस दौरान वह ईरान के नेताओं के साथ क्षेत्र में आतंकवाद एवं चरमपंथ जैसे मुद्दों के साथ-साथ भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए वहां तेल और गैस की परियोजनाएं हासिल करने के विषय में भी चर्चा करेंगे।
- इसके साथ ही यात्रा के दौरान ईरान को तेल के बकाया भुगतान के तौर तरीकों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।
- एस्सार ऑईल एवं एमआरपीएल जैसी भारतीय रिफाइनरियों पर ईरान का 6.4 अरब डॉलर बकाया है।
- 'प्रधानमंत्री की ईरान यात्रा मुख्य रूप से कनेक्टिविटी एवं बुनियादी ढांचे, ईरान के साथ ऊर्जा भागीदारी, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने, हमारे क्षेत्र की शांति और स्थिरता पर नियमित संवाद को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी।'
- इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड इस बंदरगाह के पहले चरण में दो टर्मिनल एवं पांच मल्टीकार्गो बर्थ के विकास के लिए आर्या बंदर कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगी। इंडियन पोर्ट्स जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और कांडला पोर्ट ट्रस्ट का जॉइंट वेंचर है।

=> चाबहार बंदरगाह का भारत के लिए महत्त्व :-

- दक्षिण पूर्व ईरान में स्थित चाबहार से भारत के लिए अफगानिस्तान का एक रास्ता मिलेगा जिसमें पाकिस्तान से हो कर जाने की जरूत नहीं होगी। भारत के अफगानिस्तान के साथ निकट सुरक्षा एवं आर्थिक संबंध है।
- चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान का जारांज शहर 833 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग से जुड़ सकता है।
- सीमावर्ती जारांज से डेलराम के बीच हाईवे का निर्माण भारत ने किया है।
- वहां से अफगानिस्तान के चार बड़े शहर हेरात, कंधार, काबुल और मजार-ए-शरीफ हाईवे से जुड़े हैं। भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच ट्रांसपोर्ट ऐंड ट्रैंसिट कॉरिडोर्स अग्रीमेंट होना हैI - परियोजना के पहले चरण में भारतीय निवेश 20 करोड़ डॉलर से अधिक होगा जिसमें एक्जिम बैंक की 15 करोड़ डॉलर की लोन सुविधा शामिल है। इसके लिए भी एक समझौता इसी यात्रा के दौरान होगा।
- चाबहार परियोजना-एक के लिए वाणिज्यिक समझौते पर हस्ताक्षर के साथ साथ भारत, अफगानिस्तान एवं ईरान के बीच परिवहन और पारगमन गलियारे पर त्रिपक्षीय समझौते भी किया जाएगा।
- जिससे अफगानिस्तान के आर्थिक विकास में बड़ा योगदान मिलेगा। इसके अलावा इससे भारत समेत अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया के बीच बेहतर क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।

- समझौता तीनों देशों के साथ-साथ पूरे इलाके में लोगों और सामानों की ज्यादा आवाजाही के लिए सामरिक बांध के रूप में काम करेगा।'
- चाबहार पोर्ट को अफगानिस्तान के अलावा मध्य एशिया, रूस और यूरोप तक के लिए भारत के गेटवे के रूप में विकसित किया जा रहा है।

=>उर्जा जरूरतों को पूरा करना है भारत का मुख्य लक्ष्य:-

- फरजाद-बी गैस क्षेत्र के विकास के अधिकार के बारे में बातचीत होगी, कमर्शियल फाइंडिंग्स और फाइनैंशल मैनेजमेंट को पक्का करने की ओर बढ़ी है। इस ऑफशोर की खोज भारतीय कंपनी ओएनजीसी विदेश लि. ने की है।
- गौरतलब है कि भारत-ईरान ने 2003 में ओमान की खाड़ी में होर्मूज जलडमरू के बाहर चाबहार के विकास पर सहमति जताई थी।
- यह बंदरगाह पाकिस्तान-ईरान सीमा के पास है। ईरान पर से प्रतिबंधों के हटने के बाद पाकिस्तान भारत गैस पाइपलाइन के पुनरुत्थान के बारे में भारत, ईरान से संसाधन लाने के लिए सभी विकल्पों पर विचार करने को तैयार है।

=> चीन ने दी भारत को कूटनीतिक मात, नेपाल के लिए खोला ट्रेड रूट, पहली ट्रेन रवाना

चीन की सरकार के मुताबिक 11 मई को चीन के पश्चिमोत्तर गांसू प्रांत की राजधानी लांझोउ से 43 कोच वाली मालगाड़ी तिब्बत के लिए रवाना हो गई।

★नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के चीनी दौरे पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ काठमांडू और बीजिंग के बीच ईंधन और अन्य सामान की आपूर्ति के लिए समझौता हुआ था।

★भारत-नेपाल संबंधों में चल रही तनातनी के बीच चीन ने काठमांडू के लिए ट्रेड रूट खोल दिया है। इसके जरिए चीन की ओर से नेपाल को उन सभी जरूरी सामानों की आपूर्ति की जाएगी, जिनके लिए पहले वह सिर्फ भारत पर निर्भर करता था।

★ लेकिन पिछले दिनों मधेसी आंदोलन के चलते आपूर्ति में रुकावट आई और नेपाल ने चीन का रुख कर लिया। दोनों देशों ने इस संबंध में एक समझौता किया था, जिसके तहत चीन से नेपाल को ईंधन, खाद्य सामग्री और अन्य सामानों की आपूर्ति की जानी है।

★ चीन ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है और बुधवार (11 मई) को पहली मालगाड़ी तिब्बत के रास्ते काठमांडू के लिए रवाना भी कर दी गई। चीन का यह कदम भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक हार है।

★चीन के सरकारी अखबार पीपुल्स डेली के मुताबिक चीन के पश्चिमोत्तर गांसू प्रांत की राजधानी लांझोउ से 43 कोच वाली मालगाड़ी तिब्बत के लिए रवाना हो गई। इस मालगाड़ी के 83 कार्गो कंटेनर में रोजमर्रा की जरूरी चीजें और घरेलू सामान लदा हुआ है।

★यह मालगाड़ी नेपाल के सबसे नजदीक तिब्बती नगर शिगेज तक कार्गो कंटेनर को पहुंचाएगी। इसके बाद वस्तुओं को जीलोंग पोर्ट से सड़क रास्ते से 160 किमी दूर नेपाल की राजधानी काठमांडू ले जाया जाएगा।

★ रवाना की गई ट्रेन को 2,431 किमी रेल और 564 किमी सड़क मार्ग तय करने में 10 दिन का समय लगेगा। पीपुल्स डेली का कहना है कि संयुक्त रेल-सड़क सेवा शुरू होने से चीन के गांसू, किंघाई और तिब्बत इलाके में औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

Gshindi.com

17. भारत नेपाल सम्बन्ध और चाइना कार्ड बढती हुई दूरियां:

नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी का भारत दौरा रद होने, भारत में नेपाली राजदूत दीप कुमार उपाध्याय की वापसी और नेपाल में भारतीय राजदूत रंजीत राय को अवांछित घोषित किए जाने संबंधी अफवाह भारत-नेपाल संबंधों में बढ़ती खाई का एक और प्रमाण है।

संबंधो में टकराव की शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2014 की नेपाल यात्र और अप्रैल 2015 में नेपाल में आए भीषण भूकंप में भारत की सक्रिय मदद के बाद दोनों देशों के संबंध एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए थे। दोनों देशों के संबंधों में भटकाव नवंबर 2015 में नेपाल द्वारा अपना संविधान लागू करने के बाद शुरू हुआ।

भारत की तरफ से गलतिया

- भारत को पहले से पता था कि नया संविधान नेपाल की राजनीति में पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का प्रभुत्व कायम करेगा और तराई क्षेत्र के लोगों के प्रतिनिधित्व को कमजोर करेगा, लेकिन वह समय रहते सक्रिय नहीं हुआ।
- मधेसियों ने नए संविधान का विरोध जिस तरह किया उससे भारत-नेपाल सीमा बाधित हुई। भारत ने इस अवरोध को खत्म करने में सक्रियता नहीं दिखाई, बल्कि तटस्थ बना रहा। परिणामस्वरूप नेपाल में आवश्यक वस्तुओं की किल्लत हो गई। इस मौके का फायदा चीन समर्थकों ने उठाया और नेपाल में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काया।
- तराई के लोगों ने भी नई दिल्ली से खुद को उपेक्षित महसूस किया। उन्हें किसी तरह की मदद नहीं मिली।

नेपाल का चीनी कार्ड

नेपाल ने भारत पर दबाव बनाने के लिए चीनी कार्ड खेल दिया। बीजिंग ने पेट्रोलियम पदार्थो और दूसरी जरूरी वस्तुओं की आपात आपूर्ति भी की। हालांकि चीन नेपाल की सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर सका, लेकिन बीजिंग ने अपने हावभाव से नेपाल के दिल में अपने लिए जगह बना ली। नेपाल ने चीन के साथ ट्रांजिट और ट्रांसपोर्ट समझौता किया, जिसके तहत चीन नेपाल को अपने बंदरगाह उपलब्ध कराएगा और चीन दोनों देशों के बीच रेल संपर्क का विकास करेगा।

नेपाल और चीन की नजदीकी भारत के लिए झटका

- नेपाल अपना साठ फीसद आयात भारत के जरिये पूरा करता है। चीन के साथ समझौते से भारतीय बंदरगाहों पर नेपाल की निर्भरता खत्म हो जाएगी।
- हिमालय जो कि नेपाल और चीन के संपर्क में एक बाधक बना था, अब दोनों देशों को जोड़ने वाला बन गया है।
- ट्रांजिट एंड ट्रेड समझौता दक्षिण एशिया में नए समीकरण का सूत्रपात करेगा। चीन का नेपाल में प्रवेश भारत को घेरने की उसकी योजना का हिस्सा है। ची
- न द्वारा नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की योजना भारतीय सीमाओं तक चीनी सैनिकों की पहुंच सुनिश्चित करेगी।
- नेपाल-चीन के बीच रेल संपर्क की बहाली सिलिगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा बढ़ाएगी। यही एक मात्र कॉरिडोर है जो पूर्वोत्तर को भारत से जोड़ता है।
- नेपाल में चीन की मौजूदगी का अर्थ है कि भारत के अलगाववादियों और माओवादियों तक उसकी पहुंच बढ़ जाएगी।
- साथ ही भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा संबंधी दूसरी समस्याएं पैदा होंगी।

भारत के लिए उम्मीद की किरण

- नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत दयनीय होने, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां, चीन के गियोरोंग से लगती नेपाली सीमा केरुंग तक रेल लिंक के अभाव के कारण नेपाल तुरंत ही किसी तीसरे देश से व्यापार के लिए चीन का इस्तेमाल नहीं कर सकता।

Gshindi.com

- चीन-नेपाल रेल लिंक के विकास में अभी सालों लगेंगे। पूर्व में तत्तापानी के जरिये दोनों देशों के बीच व्यापार होता था, लेकिन 2015 के भूकंप के बाद वह भी बंद हो गया।
- नेपाल की सीमा से चीन के सबसे नजदीकी बंदरगाह तियानजिन की दूरी तीन हजार किमी है, जबकि भारतीय बंदरगाह हल्दिया की दूरी एक हजार किमी से भी कम है। स्पष्ट है कि नेपाल का फायदा भारतीय बंदरगाह के प्रयोग में है।
- चीन-नेपाल के बीच रेल लिंक बनाना भौगोलिक, तकनीकी और आर्थिकलिहाज से दुष्कर है। नेपाल 24 रास्तों के जरिये भारत से व्यापार करता है।
- भारत ने नेपाल के साथ पांच रेल कॉरिडोर बनाना तय किया है।

क्या होनी चाहिए भारत की रणनीति

- भारत को नेपाल के साथ संबंधों में आई तल्खी को खत्म करने के लिए नई रणनीति पर काम करना होगा।
- भारत को किसी एक दल को तरजीह देने के बजाय सभी पार्टियों के साथ मेल जोल बढ़ाना चाहिए।
- नेपाली सेना और नागरिक समाज से संवाद बढ़ाना चाहिए। दोनों का हित एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नेपाल विकास करेगा तो भारत भी विकास करेगा।
- भारत-नेपाल संबंधों में मजबूती चीनी खतरे को कम करेगी। यदि भारत वहां ढांचागत विकास नहीं करेगा और नेपाल को अपनी अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं बनाएगा तो चीन को वहां पैर फैलाने मौका मिल जाएगा। कम्युनिस्टों से भरी नेपाल की गठबंधन सरकार भारत विरोधी और चीन समर्थक है।

---

18. वाशिंगटन में चौथा परमाणु सुरक्षा सम्मेलन और उसकी प्रासंगिकता (Outcomes)

वाशिंगटन में चौथा परमाणु सुरक्षा सम्मेलन ऐसे वक्त हुआ जब परमाणु हथियार या तकनीक के गैर-जिम्मेदार हाथों में पड़ जाने का खतरा पहले से कहीं अधिक मंडरा रहा है। सम्मेलन में यह चिंता छाई रही।

★ सम्मेलन शुरू होने के बाद खबर आई कि उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। सम्मेलन की प्रासंगिकता को साबित करने के लिए यह घटना काफी थी।

★ पर सवाल है, क्या इस सम्मेलन से परमाणु प्रसार का खतरा कम होने की उम्मीद जगी है? इसमें दो राय नहीं कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पहल पर हुए इस सम्मेलन ने, जिसमें पचास देशों के नेताओं ने शिरकत की, परमाणु प्रसार के महाखतरे की तरफ दुनिया का ध्यान खींचा है। पर सम्मेलन कोई ठोस या बड़ी पहल करने में नाकाम रहा।

★कार्रवाई की रूपरेखा के बजाय जुबानी संदेश देने की कूटनीतिक कवायद अधिक हुई। सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में से एक, रूस के शामिल न होने से सम्मेलन की सफलता पर पहले ही सवालिया निशान लग गया था। रूस इस बात से नाराज था कि उसे सम्मेलन का एजेंडा तय करने की प्रक्रिया से बाहर रखा जा रहा है।

★ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने के अलावा रूस की गैरहाजिरी इस कोण से भी ज्यादा खटकने वाली रही कि वह उत्तर कोरिया के साथ चली वार्ता प्रक्रिया का हिस्सा था।

★ चीन के रवैए को भी चिंताजनक ही कहा जाएगा। सुरक्षा परिषद में जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव आया, तो चीन ने वीटो कर दिया। शायद वह जताना चाहता था कि भारत और पाकिस्तान के आपसी विवाद में वह नहीं पड़ना चाहता। पर मसूद अजहर क्या पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है? फिर चीन का ऐसा व्यवहार क्यों?

★कोई कह सकता है कि परमाणु सुरक्षा सम्मेलन से इस मसले को जोड़ कर क्यों देखा जाए? पर यही तो सम्मेलन के पीछे मुख्य चिंता थी कि आज आतंकवाद से जुड़ा सबसे बड़ा खतरा परमाणु असुरक्षा का है। इसलिए आतंकवाद से सख्ती से निपटना सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए।

GShindi.com

★अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और भारत के प्रधानमंत्री से लेकर सम्मेलन में आए सभी राष्ट्राध्यक्षों और नेताओं ने इस पर जोर दिया। यह किसी से छिपा नहीं है कि अलकायदा एटमी हथियार हासिल करना चाहता था।

★आईएस हासिल करने की फिराक में है। उसने रासायनिक हथियार तैनात कर रखे हैं।

★ इस साल की शुरुआत में उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण करने का दावा किया था।

★पाकिस्तान के परमाणु हथियार किसी दिन किसी आतंकी गुट के हाथ न लग जाएं, या कोई आतंकी गुट एटमी हथियार बनाने की सामग्री और तकनीक हासिल न कर ले, इसका अंदेशा रह-रह कर जताया जाता रहा है और सम्मेलन में भी यह आशंका छाई रही।

★कुछ समय पहले तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोक देने के लिए पश्चिमी देश प्रयासरत थे। ईरान में नेतृत्व परिवर्तन होने के बाद उन्हें इसमें सफलता मिल गई।

★पर जहां न कोई सरकार है न राजनीतिक नेतृत्व न जनमत का दबाव, बस दहशतगर्दी का पागलपन है, वहां सर्वनाश के खतरे से कैसे निपटा जाए।

★ आतंकवाद का खात्मा आज मानवता के बने रहने की शर्त है। पर परमाणु अप्रसार एक सीमित उद्देश्य है। इसके बजाय पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण पर जोर दिया जाना चाहिए।

GShindi.com

National Issues

1. नयी शिक्षा नीति-2016 तैयार करने के संबंध में गठित सुब्रमण्यम समिति के महत्वपूर्ण सुझाव

- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकसित करने के लिए टी एस आर सुब्रमण्यम के नेतृत्व में बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंप दी है। समिति ने शिक्षा की गुणवत्ता से लेकर आधारभूत संरचना से जुड़ी चिंताओं पर सुझाव दिये हैं।

नयी शिक्षा नीति तैयार करने के संबंध में गठित समिति ने सुझाव दिए हैं कि...

१. स्कूलों में फेल नहीं करने की नीति पांचवी कक्षा तक ही लागू होनी चाहिए।

२. उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत आने की अनुमति दी जानी चाहिए।

३.समिति की सिफारिशों में एक महत्वपूर्ण पहलू कोचिंग के उपाचार पर ध्यान केंद्रित करना और यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़े।

४. इसमें 'फेल नहीं करने' की नीति की समीक्षा करने का भी सुझाव दिया गया है और छठी कक्षा से परीक्षा लेने का प्रस्ताव किया गया है। (शिक्षा के अधिकार कानून में आठवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए फेल नहीं करने की नीति की बात कही गई है) अगर कोई छात्र पहली बार में पास नहीं होता है, तब उसे परीक्षा में बैठने के दो और मौके दिये जाने चाहिए ।

५. समिति ने शिक्षा की गुणवत्ता से लेकर आधारभूत संरचना से जुड़ी चिंताओं पर सुझाव दिये हैं। इसमें एक सुझाव शिक्षा कैडर सेवा गठित करने का है ताकि शिक्षा क्षेत्र में प्रशासनिक मानकों को बेहतर बनाया जा सके।

6.समिति ने कौशल और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया है, साथ ही शिक्षा में मूल्यों का समावेश करने की बात कही गई है।

7. इसमें नियामक व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया है।

=>परिप्रेक्ष्य :-

- समिति ने परिणाम दस्तावेजों, सिफारिशों तथा विभिन्न विचार विमर्श से प्राप्त सुझवों का अध्ययन किया और विभिन्न हितधारकों के साथ अनेक दौर की बातचीत की और क्षेत्रीय स्तर पर भी विचार-विमर्श किया। समिति ने विभिन्न शिक्षण संस्थानों का दौरा भी किया।

- भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति बनाने के लिए विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरु की थी। इस प्रक्रिया में 33 थीम पर ऑनलाइन, जमीनी और राष्ट्रीय स्तर पर थीम आधारित विचार-विमर्श किया गया।

- सभी 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की ग्राम पंचायतों, ब्लाकों, शहरी स्थानीय निकाय स्तर तक विचार विमर्श की प्रक्रिया मई से अक्टूबर 2015 तक चली।

- विषय आधारित विचार विमर्श का संचालन मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, अनेक केंद्रीय वित्त पोषित विश्वविदयालयों और संस्थानों, स्वायत्त निकायों, संलग्न कार्यालयों द्वारा किया गया।

- जुलाई से अक्टूबर 2015 के दौरान विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, उद्योग प्रतिनिधियों, नागरिक समाज के लोगों आदि सहित सभी हितधारकों को विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित किया गया। सितंबर से अक्टूबर 2015 में सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा क्षेत्रीय बैठकें, पूर्वी, मध्य, उत्तर-पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर क्षेत्र में बैठकें की गई।

=>समिति में कौन- कौन :-

- भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति विकसित करने के लिए एक समिति का गठन किया था। पूर्व कैबिनेट सचिव टी एस आर सुब्रामण्यम को समिति का अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की पूर्व मुख्य सचिव शैलजा चंद्रा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

GShindi.com

दिल्ली के पूर्व गृह सचिव सेवाराम शर्मा, गुजरात के पूर्व मुख्य सचिव सुधीर मनकड तथा एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक प्रोफेसर जे एस राजपूत को समिति का सदस्य बनाया गया था।

=>क्या जल को संविधान की राज्य सूची से निकलकर समवर्ती_सूची में शामिल किया जाना चाहिए? समवर्ती सूची में जल शामिल करने पर क्या प्रभाव सामने आयेंगे.

★ भूजल स्तर में लगातार गिरावट आने, शहरों का विस्तार होने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं की कमी, जलवायु परिवर्तन, देश के 20 राज्यों में जल विषाक्तता के बीच जल के समुचित उपयोग एवं संरक्षण को लेकर एक समग्र, व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग के साथ ही जल को संविधान की समवर्ती सूची में रखने के विचार पर बहस शुरू हो गई है।

★ जल के उपयोग के बारे में भारत के गांव-समाज को अपना दायित्व हमेशा से स्पष्ट था। जब तक हमारे शहरों में पानी की पाइप लाइन नहीं पहुंची थी, तब तक यह दायित्वपूर्ति शहरी भारतीय समुदाय को भी स्पष्ट थी, किन्तु पानी के अधिकार को लेकर अस्पष्टता हमेशा बनी रही।

★ जल का विषय किसके पास रहे, इसके लेकर अस्पष्टता रही है । जल के बारे में यह अस्पष्टता, प्रश्न करने वाले यक्ष और जवाब देने वाले पाण्डु पुत्रों के बीच हुई बहस का भी मुद्दा रही थी। और वह सवाल आज भी कायम हैं कि कौन सा पानी किसका है ? बारिश की बूंदों पर किसका हक है? नदी-समुद्र का पानी किसका है ? तल, भूतल, सतह, पाताल का पानी किसका है ? सरकार का पानी पर स्वामित्व है या वह सिर्फ ट्रस्टी है? यदि ट्रस्टी, सौंपी गई सम्पत्ति की ठीक से देखभाल न करे, तो क्या हमें हक है कि हम ट्रस्टी बदल दें?

=>**क्यों जरुरी है जल को समवर्ती सूचि में लाना :-**

★पानी की हकदारी को लेकर उठे सवालों के बीच जल संसाधन सम्बन्धी संसद की एक स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में पानी को समवर्ती सूची में शामिल करने की बात को आगे बढ़ाया है। इसके अलावा कई वर्गो का भी मत है कि यदि पानी पर राज्यों के बदले, केन्द्र का अधिकार हो, तो बाढ़-सुखाड़ जैसी स्थितियों से बेहतर ढंग से निपटना सम्भव होगा।

★ लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई यह होगा? जल को समवर्ती सूची के अंतर्गत लाने से केंद्र के हाथ में कुछ संवैधानिक शक्ति आ जायेंगी। इससे देश में जल से जुड़ी समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। साथ ही राष्ट्रीय संसाधनों का राष्ट्रीय हित में उपयोग निश्चित ही लाभकारी रहेगा।

★ पानी के प्रबंधन का विकेन्द्रित होना अच्छा है या केन्द्रीकरण होना? समवर्ती सूची में आने से पानी पर एकाधिकार, तानाशाही बढ़ेगी या घटेगी? बाजार का रास्ता आसान हो जाएगा या कठिन? वर्तमान संवैधानिक स्थिति के अनुसार जमीन के नीचे का पानी उसका है, जिसकी जमीन है। सतही जल के मामले में अलग-अलग राज्यों में थोड़ी भिन्नता जरूर है, किन्तु सामान्य नियम है कि निजी भूमि पर बनी जल संरचना का मालिक, निजी भूमिधर होता है।

★ इस तरह आज की संवैधानिक स्थिति में पानी, राज्य का विषय है। केन्द्र सरकार, पानी को लेकर राज्यों को मार्गदर्शन निर्देश जारी कर सकती है और पानी को लेकर केन्द्रीय जलनीति व केन्द्रीय जल कानून बना सकती है, लेकिन उसे पूरी तरह मानने के लिये राज्य सरकारों को बाध्य नहीं कर सकती।

★ केन्द्र सरकार द्वारा जल रोकथाम एवं नियंत्रण कानून-1974 की धारा 58 के तहत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय भूजल बोर्ड और केन्द्रीय जल आयोग का गठन किया गया । इसकी धारा 61 केन्द्र को केन्द्रीय भूजल बोर्ड आदि के पुनर्गठन का अधिकार देती है और धारा 63 जल सम्बन्धी ऐसे केन्द्रीय बोडरे के लिये नियम-कायदे बनाने का अधिकार केन्द्र के पास सुरक्षित करती है।

GShindi.com

★ केन्द्रीय जलनीति हो या जल कानून, वे पूरे देश में एक समान लागू होंगे। पानी के समवर्ती सूची में आने के बाद केन्द्र द्वारा बनाए जल कानून के समक्ष, राज्यों के सम्बन्धित कानून निष्प्रभावी हो जायेगा। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि जल को समवर्ती सूची में रखने से जल बंटवारा विवाद में केन्द्र का निर्णय अन्तिम होगा।

★ नदी जोड़ो परियोजना के सम्बन्ध में अपनी आपत्ति को लेकर अड़ जाने से अधिकार समाप्त हो जाएगा। केन्द्र सरकार, नदी जोड़ो परियोजना को बेरोक-टोक पूरा कर सकेगी

★ यह तर्क इसलिए भी दिये जा रहे क्योंकि केन्द्र सरकार सम्भवत: नदी जोड़ो परियोजना को भारत की बाढ़-सूखे की समस्याओं का हल मानती है।

★ जल संरक्षण के बिना जीवन नहीं है इसलिये हिमालय से निकलने वाली विभिन्न प्राकृतिक जल धाराओं व जलस्रोतों का संरक्षण करना अनिवार्य है। मूल निवासियों की जरूरतों के अनुरूप जल-जंगल-ज़मीन के संरक्षण के लिये कार्ययोजना बननी चाहिए। हिमालयी राज्यों में जल संरक्षण के लोक ज्ञान को समाहित करने की जरूरत है।

2. क्या है मेडिकल परीक्षा एनईईटी (NEET) को लेकर पैदा हुआ विवाद?

★नेशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रेंस टेस्ट (एनईईटी) को लेकर विवाद जारी है. 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि देशभर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले एक कॉमन एन्ट्रेंस टेस्ट के जरिये किए जाएंगे. पहले दौर का टेस्ट 1 मई को हो चुका है जबकि दूसरे दौर का टेस्ट 24 जुलाई को होगा. एक मई को हुई एनईईटी-1 परीक्षा में करीब 6.5 लाख छात्र बैठे थे.

=> क्या है विवाद :-

- एनईईटी की परीक्षा सीबीएससी के पाठ्यक्रम के अनुसार है. सीबीएसई सभी परीक्षाएं केवल हिंदी और अंग्रेजी में कराती है.
- हिंदी और अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषाओं में परीक्षा देने वाले कई राज्यों के छात्रों ने इस पर ऐतराज जताया है. उनका कहना है कि दूसरी भाषाओं के छात्रों को इससे नुकसान होगा.
- इस मामले पर कुछ सांसदों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए सिर्फ इसलिए की उन्होंने मातृभाषा में पढ़ाई की है.
- वहीं तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के कारण लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है क्योंकि इन छात्रों ने दो-तीन साल से तैयारी की थी. अब अचानक उनसे परीक्षा के ठीक पहले एनईईटी देने को कहा जा रहा है.

=> बड़े राज्य कर रहे हैं विरोध :-

- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हजारों छात्रों ने गुजरात में मेडिकल में प्रवेश के लिए राज्य की कॉमन एन्ट्रेंस टेस्ट में हिस्सा लिया. इससे पहले गुजरात ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि ज्यादातर छात्र गुजराती में ही राज्य में मेडिकल टेस्ट देते हैं. अब अचानक उन्हें अंग्रेजी में टेस्ट देने के लिए कहा जाएगा तो ये नाइंसाफी होगी.

★एक अनुमान के अनुसार गुजरात में 68 हजार छात्रों में से करीब 60 हजार गुजराती में टेस्ट देते हैं जबकि करीब 600 हिंदी में देते हैं.

★जम्मू-कश्मीर का कहना है कि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने के चलते बिना विधानसभा में बिल लाए एनईईटी को लागू नहीं किया जा सकता. इसके अलावा राज्य में स्थानीय छात्रों को आरक्षण है, इससे वो भी प्रभावित होगा.

Gshindi.com

★तीन साल पहले 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एनईईटी को गैर कानूनी घोषित किया था. इस आदेश को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य विरोध कर रहे हैं. कई निजी कॉलेजों ने भी एनईईटी का यह कहते हुए विरोध किया था कि इससे दाखिलों में उनकी स्वायत्तता का हनन होगा.

3. सामाजिक उद्यमशीलता :सामाजिक समस्या, आर्थिक असमानता को सुलझाने का विचार

- सामाजिक उद्यमशीलता यानी किसी सामाजिक समस्या को सुलझाने के लिए ऐसा विचार या कारोबारी मॉडल तैयार करना जिससे दोनों पक्षों का कल्याण हो।

- सामाजिक उद्यमशीलता यानी किसी सामाजिक समस्या को सुलझाने के लिए ऐसा विचार या कारोबारी मॉडल तैयार करना जिससे दोनों पक्षों का कल्याण हो। भारतीय संदर्भों में यह शब्द नया नहीं हैं। पुरातन काल से यहां के महापुरुषों द्वारा सामाजिक उद्यमशीलता के उत्कृष्ट मानदंड स्थापित करने की रीति रही है।
- गुरुकुल प्रणाली से लेकर वैद्यराज विधा तक इसके अप्रतिम उदाहरण हैं। कालांतर में महात्मा गांधी, विनोबा भावे जैसे महापुरुषों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। वर्गीज कुरियन और बाबा आम्टे जैसे शख्सियतों ने इसे बुलंदियों पर पहुंचाया।
- आज फिर नई पीढ़ी अपने हुनर, नवोन्मेषी क्षमता और तकनीकी ज्ञान से सामाजिक उद्यमिता को पाल-पोस रही है। ये समाज सेवा से इतर अपने कारोबारी मॉडल द्वारा ऐसी जनसेवा कर रहे हैं जिसमें मुनाफा इनकी पहचान नहीं है, बल्कि ये समाज की किसी समस्या को दुरुस्त करने के लिए जाने जाते हैं। तेजी से मगर असमान विकास कर रहे भारत जैसे देश में समावेशी विकास की यही कुंजी है।

- आज भी देश की आबादी का 60 फीसद हिस्सा रोजाना 2 डॉलर (करीब 130 रुपये) पर आश्रित है। निम्न-मध्य आय समूह वाले 34 देशों की सूची में कुल आय असमानता के लिहाज से भारत शीर्ष दूसरे स्थान पर काबिज है।

- देश तेजी से भले ही विकास कर रहा हो, लोगों की असमान समृद्धि के चलते स्वस्थ जीडीपी विकास को बरकरार रख पाना बड़ी चुनौती है।

- इसके लिए ढ़ांचागत बदलाव और तेज विकास वाले मानव पूंजी जैसे क्षेत्र में निवेश की दरकार है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी लोगों को समुचित पोषण, शिक्षा, ऊर्जा, आय, रोजगार और उद्यमशीलता के मौके मिल सकें।

- सामाजिक उद्यमशीलता ही वह गुण है जिसके माध्यम से बुनियादी सेवाओं और मौकों को कुशलतम और प्रभावी रूप से देश को हासिल कराया जा सकता है।

- यही वह विधा है जिससे नवोन्मेषी, कम लागत और तकनीक से प्रेरित ऐसे कारोबारी मॉडल विकसित किए जा सकते हैं जिससे वंचित वर्ग को व्यापक रूप में साधन और सुविधाएं मुहैया हो सकें। ऐसे में देश की सामाजिक उद्यमिता पर संभावनाओं की पड़ताल आज हम सबके लिए बड़ा मुद्दा है।

4. भारत में ट्रिकल डाउन थ्योरी हुई फ़ेल, आर्थिक वृद्धि का लाभ सिर्फ अमीरों तक सीमित:

★एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 15 साल के दौरान भारत की दौलत में हुई करीब 2.28 खरब डॉलर की बढ़ोतरी का ज्यादातर हिस्सा देश के सबसे अमीर एक फीसदी वर्ग की झोली में गया है

★ट्रिकल डाउन थ्योरी यानी अर्थव्यवस्था में पैसा आएगा तो इसका फायदा अपने आप ही गरीबों तक पहुंच जाएगा जैसे सिद्धांत के पैरोकारों के लिए यह एक और आंखें खोलने वाली खबर है.

♂वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में दुनिया की नामचीन कंपनी क्रेडिट सुईस के ताजा आंकड़े बता रहे हैं भारत में अमीर लगातार और भी अमीर होते जा रहे हैं जबकि गरीब और ज्यादा गरीब।

=>"क्या है ट्रिकल डाउन थ्योरी?

GShindi.com

★ट्रिकल डाउन थ्योरी कहती है कि अमीर वर्ग का ख्याल रखने वाली नीतियां बनाने से अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी और इसका फायदा सबको होगा जिनमें गरीब भी शामिल हैं.

★लेकिन कुछ समय पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक शोध करवाया था जिसका निष्कर्ष यह था कि यह थ्योरी सही नहीं है. यह शोध 150 देशों की अर्थव्यवस्था के अध्ययन पर आधारित था.

★इसमें कहा गया था कि लोगों की आय के बीच बड़ा फर्क देश की तरक्की में रुकावट डालता है क्योंकि गरीब स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाला खर्च नहीं उठा सकता और आखिर में यह स्थिति पूरे समाज के लिए ही नुकसानदेह होती है.

★ स्विटजरलैंड के ज्यूरिख स्थित इस संस्था के मुताबिक भारत की 63 फीसदी दौलत इसकी एक फीसदी सबसे अमीर आबादी के पास है.

इसके आंकड़े यह भी बताते हैं कि भारत की 78.6 फीसदी संपत्ति का मालिक इसका पांच फीसदी सबसे अमीर वर्ग है जबकि शीर्ष 10 फीसदी अमीर वर्ग के लिए यह आंकड़ा 86.3 फीसदी है.

★ इसका दूसरा मतलब यह है कि बाकी 90 फीसदी लोगों की जद्दोजहद 13.7 फीसदी हिस्से के लिए है. क्रेडिट सुइस के मुताबिक इनमें भी भारत की सबसे गरीब आबादी सिर्फ 1.1 फीसदी संपत्ति की हिस्सेदार है.

★ उधर, सबसे अमीर लोगों के लिए हालात लगातार बेहतर होते रहे हैं. क्रेडिट सुईस के आंकड़े बताते हैं कि साल 2000 में इन एक फीसदी लोगों के पास देश की सिर्फ 36.8 फीसदी संपत्ति थी. जबकि शीर्ष के 10 फीसदी अमीरों के लिए यह आंकड़ा 65.9 फीसदी था. तब से इन धनकुबेरों की जेब लगातार और भरती गई है.

★दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान अपना हाथ गरीबों के साथ बताने वालों और सबका साथ सबका विकास कहने वाली पार्टियों की सरकारें रहीं.

★एक सरकार तो पांच साल वाम दलों के सहारे ही चली थी जिन्हें सर्वहारा का सहारा कहा जाता है. लेकिन गरीब के और गरीब होने की प्रक्रिया पर कभी ब्रेक नहीं लगा.

★ देश की कुल संपत्ति में सबसे अमीर एक फीसदी लोगों का हिस्सा बढ़ते-बढ़ते अब 60 फीसदी से ऊपर पहुंच गया है.

- आंकड़े यह भी बता रहे हैं कि दौलत के मामले में सबसे ऊपर बैठे एक फीसदी अपने से नीचे वाले नौ फीसदी लोगों के हिस्से में भी सेंध लगा रहे हैं. उधर, 2010 से 2015 के दौरान देश की गरीब आबादी के हिस्से के संसाधन 4.3 फीसदी से घटकर 1.1 फीसदी रह गए.

★अमीर-गरीब के बीच की खाई के मामले में भारत अमेरिका से भी आगे है जहां के एक फीसदी सबसे संपन्न वर्ग के पास देश की 37.3 फीसदी दौलत है.

★इस मामले में भारत अमेरिका से भी आगे है जहां के एक फीसदी सबसे संपन्न वर्ग के पास देश की 37.3 फीसदी दौलत है. हालांकि रूस के एक फीसदी अमीरों के लिए यह आंकड़ा 70.3 फीसदी है.

★भारत में अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई को दिखाने वाली यह कोई पहली रिपोर्ट नहीं है. कुछ समय पहले एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में 95 फीसदी लोगों की संपत्ति पांच लाख तीस हज़ार रुपए से कम है जबकि एक लाख डॉलर यानी लगभग 62 लाख से अधिक संपत्ति वालों की संख्या कुल आबादी की सिर्फ 0.3 प्रतिशत है.

★भारत में गरीबी को अब भी एक बड़ी समस्या बताते हुए इस रिपोर्ट में कहा गया था, 'भारत में धन दौलत तेज़ी से बढ़ रही है, भारत में अमीरों और मध्यम वर्ग की संख्या भी बढ़ती जा रही है लेकिन इस विकास में हर कोई हिस्सेदार नहीं है.'

GShindi.com

5. उपभोक्ता संरक्षण आन्दोलन : हों उपभोक्ता हित सर्वोपरि; निर्धारित हों सेलेब्रिटी के सामाजिक दायित्व

- हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हर भारतीय इस तथ्य से वाकिफ है, लेकिन बढ़ते उपभोक्तावाद ने तमाम वर्जनाओं को तोड़ दिया है। फैशन के इस दौर में गारंटी चाहने की जैसे किसी की इच्छा भी नहीं हो रही है।
- आज हर आदमी उपभोक्ता है। हर आदमी अपनी जरूरत की चीजें और सेवाएं खरीद रहा है। आर्थिक तरक्की के साथ उसके संकुचित उपभोक्तावाद का दायरा बढ़ने लगा है।
- बढ़ती हैसियत के अलावा भी तमाम कारक हैं जो उपभोक्तावाद की संस्कृति को हवा दे रहे हैं। जिसके चलते लोग अपने उपभोक्ता हितों की अनदेखी तक करते हुए खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों को खरीद लेते हैं। इसमें उत्पादों का विज्ञापन करने वाले हमारे सेलेब्रिटी की भीअहम भूमिका होती है।

भले ही उत्पाद की गुणवत्ता खराब हो, लेकिन भारी-भरकम राशि पा रही ये हस्तियां उन्हें ऐसे प्रचारित करती हैं जैसे इससे अच्छी चीज इस धरती पर दूसरी नहीं है। आकर्षक कैचलाइनें और जनता के दिलों पर राज करने वाले हसीन चेहरे लोगों को लुभाने के लिए काफी होते हैं। यहीं उनका उपभोक्ता हित प्रभावित होता है,
और ग्राहक गुमराह होकर गलती कर बैठता है। अब ग्राहकों को गुमराह होने से बचाने के लिए ऐसे भ्रामक विज्ञापनों पर सेलेब्रिटी को जिम्मेदार ठहराने का प्रावधान किया जा रहा है।

- जेसी दिवाकर रेड्डी की अध्यक्षता में गठित एक संसदीय समिति उपभोक्ता संरक्षण कानून में बदलाव की संभावनाओं पर पड़ताल कर रही है। समिति द्वारा तैयार एक रिपोर्ट को अगर संसद में मंजूरी मिल जाती है तो भ्रामक विज्ञापनों में वास्तविकता से परे का दावा करने वाली सेलेब्रिटी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।
- यदि ऐसे मामलों में विज्ञापन में किए गए दावे झूठे पाए जाते हैं तो सेलेब्रिटी को अधिकतम पांच साल की सजा और पचास लाख रुपये का अर्थदंड हो सकता है। दुनिया के कई मुल्कों में ग्राहकों के हित को सुरक्षित रखने के तहत ऐसे कानून काम कर रहे हैं।
- उपभोक्ता हितों को देखते हुए यह स्वागतयोग्य कदम है लेकिन ग्राहकों में जागरूकता भी जरूरी है। ऐसे में भ्रामक विज्ञापनों के लिए सेलेब्रिटी को जिम्मेदार ठहराए जाने वाले प्रावधान की पड़ताल आज हम सबके लिए बड़ा मुद्दा है।

=>भारतीय विधान

देश में उपभोक्ता हितों के सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए कई नियम कानून हैं।

1.फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट :-

- यदि कोई सेलेब्रेटी किसी खाद्य पदार्थ का भ्रामक विज्ञापन करता है तो उसे इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट (एफएसएसएआइ) 2006 की धारा 2 (जेडएफ) में पर्याप्त प्रावधान हैं।
- कानून का उल्लघंन करने पर दोषी को दस लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
- यह एकमात्र ऐसा कानून है जिसमें भ्रामक विज्ञापनों के लिए सेलेब्रिटी को जिम्मेदार ठहराने की व्यवस्था की गई है।

2.ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट

- किसी ऐसी दवा का विज्ञापन नहीं किया जाएगा जो डायबिटीज, मोतियाबिंद जैसी बीमारियों के रोकथाम या इजाज का दावा करती हो। इस श्रेणी में मोटापा, गाल ब्लैडर में पथरी, कम लंबाई जैसी 50 बीमारियां शामिल हैं।
- ड्रग एंड मैजिकल रैमेडीज (ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट) एक्ट इस कानून के अतंर्गत दवाओं के इस्तेमाल से संबंधित चार तरह के विज्ञापनों को प्रतिबंधित किया गया है। इसमें गर्भनिरोधक दवाएं और कैंसर, डायबिटीज, मोतियाबिंद, गठिया, ब्लडप्रेशर व एड्स जैसी बीमारियों के जांच व उपचार से संबंधित विज्ञापन शामिल हैं। उल्लंघन पर सजा का प्रावधान न होने की वजह से प्रभावशाली नहीं।

3. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986

GShindi.com

- यदि किसी उत्पाद के विषय में विज्ञापन के जरिए कुछ ऐसे दावे किए जाते हैं जिसपर यह खरा नहीं उतरता तो यह छलपूर्ण कारोबारी गतिविधियों में आएगा। इस तरह के भ्रामक विज्ञापन की शिकायत करने पर इसे हटाने का
- आदेश दिया जा सकता है। इससे यदि कोई क्षति होती है तो विज्ञापनदाता को इसके लिए मुआवजा देना पड़ सकता है।
- सबसे अहम बात यह है कि विज्ञापनदाता को कोर्ट के द्वारा इसके सुधार के लिए दूसरा विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया जा सकता है।

4.भारतीय मानक ब्यूरो

- यदि कोई उत्पाद भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणित है तो निर्माता इसके संबंध में किसी प्रकार का भ्रामक विज्ञापन नहीं चला सकता। यदि वह इसके संबंध में विज्ञापन चलाता है तो उत्पाद के विषय में वही बातें बतानी होंगी जिसके आधार पर इसे ब्यूरो का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है।

भ्रामक विज्ञापन

- एफएसएसएआइ के मुताबिक किसी उत्पाद को तब भ्रामक माना जाता है जब उसे गलत तथ्यों, भ्रामक विज्ञापनों के सहारे प्रदर्शित या बेचा जाए। विज्ञापन में कही गई बातें उत्पाद लेबल पर दी गई जानकारी से मेल न खाए। लेबल पर खाद्य पदार्थ के विषय में जानकारी न उपलब्ध हो। इस श्रेणी में आने वाले सभी उत्पादों को भ्रामक माना जाता है।

=>किस्सा नूडल्स का:

हाल ही में मैगी नूडल्स में **मोनोसोडियम ग्लूकामेट (एमएसजी)** नामक तत्व की मात्रा सामान्य से कई गुना अधिक पाई गई जो इसे हानिकारक बनाती थी। जबकि इसकी सही मात्रा का जिक्र लेबल पर नहीं था। और तो और विज्ञापन में इसे स्वास्थ्य के लिए अच्छा बताया जा रहा था।

बस यहीं से नियम उल्लघंन का सारा किस्सा शुरू हुआ। इसके चलते नूडल्स का विज्ञापन करने वाली अभिनेत्री माधुरी दीक्षित और अभिनेता अमिताभ बच्चन भी विवादों में आ गए।

अनसुलझी गुत्थी: भ्रामक विज्ञापनों के लिए हस्तियों को जिम्मेदार मानने में कई दिक्कते हैं। मसलन कोई माधुरी दीक्षित या अमिताभ बच्चन से कैसे आशा कर सकता है कि वे लैब में जाकर उत्पाद की गुणवत्ता की जांच करेंगे। निश्चित रूप से गुणवत्ता के संबंध में कोई विशेषज्ञ ही बता सकता है। लिहाजा उत्पाद की गुणवत्ता भले ही कैसी भी हो पर हस्तियों को वही मानना पड़ेगा जो लैब की रिपोर्ट कह रही है।

=>सेलेब्रिटी **के सामाजिक दायित्व**:

- विज्ञापनों का हमारे समाज पर काफी असर होता है। यहां तक कि कई बार लोग सेलेब्रेटी को देख कर ही उत्पाद का चुनाव करते हैं। इन्हें उस मुकाम तक पहुंचाने वाले आम लोग ही हैं। फिल्मी हस्तियां फिल्म के जरिए करोड़ों इसलिए कमा पाती हैं क्योंकि उनके फैन अपनी गाढ़ी कमाई से टिकटें खरीद उनकी फिल्में देखते हैं।
- लिहाजा जब वे समाज से इतना लेते हैं तो समाज के प्रति उनका भी कुछ कर्तव्य बनता है। जिस प्रकार टीवी सीरियल में डिस्क्लेमर लगाया जाता है कि धारावाहिक के सभी पात्र काल्पनिक है, इस तरह का प्रावधान विज्ञापनों में नहीं होता है।
- यही वजह है कि लोग विज्ञापनों को गंभीरता से लेते हैं। आज कल विभिन्न सेलेब्रेटी के बीच विज्ञापनों को लेकर प्रतिस्पर्धा चल रही है। यह एक और वजह है कि बिना उत्पाद की गुणवत्ता जांच किए नामी गिरामी हस्तियां उत्पादों का विज्ञापन करती हैं।

=>>>परदेस में प्रावधान

=>अमेरिका: यहां का फेडरल ट्रेड कमीशन किसी भी उत्पाद के विज्ञापन को लेकर बहुत सख्त है। इसने उत्पादों के प्रचार और विज्ञापनों के विवरण को लेकर दिशानिर्देश जारी कर रखे हैं। हालांकि वहां सामान्य नियम है कि विज्ञापनों में विज्ञापन करने वाले की ईमानदार राय, तथ्य, नतीजे, भरोसे, मान्यताएं की झलक होनी चाहिए। कई मामलों में यहां विज्ञापन करने से पहले सेलेब्रिटी द्वारा उत्पाद के इस्तेमाल किए जाने का भी नियम है।

GShindi.com

वास्तविकता से परे के दावे करने वाले विज्ञापनों के मामले में अगर जांच में झूठ पाया जाता है तो विज्ञापन करने वाला जिम्मेदार होता है। भारत में सेलेब्रिटी द्वारा विज्ञापन से पहले उत्पादों के खुद इस्तेमाल का कोई प्रावधान नहीं है। खुद के इस्तेमाल को भूल ही जाएं, वे उसकी उस वैज्ञानिक जांच को भी देखने की जहमत नहीं उठाते जिसके आधार पर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं। उनके विज्ञापन का समझौता पत्र इस तरह से तैयार किया जाता है जिससे उत्पाद के चलते किसी प्रकार की उत्पन्न हुई दिक्कत के लिए उन्हें कठघरे में न खड़ा किया जा सके।

=>चीन:

यहां पर लागू किए गए नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में भ्रामक विज्ञापनों पर सेलेब्रिटी पर नकेल कसने की व्यवस्था है। हाल ही में पूर्व एनबीए स्टार द्वारा फिश ऑयल कैप्सूल के लाभ को बढ़ा-चढ़ाकर किए गए विज्ञापन पर एक व्यक्ति ने मुकदमा कर दिया। चीन के फूड सेफ्टी लॉ में गुमराह करने वाले विज्ञापनों और सिफारिशों

के लिए निर्माता, विज्ञापनदाता और विज्ञापनकर्ता को जिम्मेदार ठहराए जाने की व्यवस्था है। अब चीन खाद्य उत्पादों के अलावा अन्य उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों पर सेलेब्रिटी को जिम्मेदार ठहराए जाने की ओर कदम बढ़ा रहा है।

=>**दक्षिण कोरिया:**

यहां की स्व नियमन संस्थाएं भारत की एएससीआइ की तुलना में बहुत ज्यादा सख्त हैं। इनके पास काफी सारे अधिकार हैं। इन संस्थाओं के पास यह तय करने की ताकत है कि निर्माताओं द्वारा किस उत्पाद का विज्ञापन किया जा सकता है और किसका नहीं। यहां पर मेडिकल दवाओं का कोई सेलेब्रिटी विज्ञापन नहीं कर सकता है। कानून के किसी भी उल्लंघन की सूरत में निर्माता और विज्ञापन करने वालों को दंडित करने के कड़े नियम हैं।

6. भारत बनाम इंडिया बहस (Debate)

- शहरों और गांवों के बीच बढ़ती खाई ने भारत बनाम इंडिया की बहस को बढ़ाया है। आज अगर वैश्विक मंचों पर तमाम मसलों में हमारा परचम पहरा रहा है तो सबसे ज्यादा गरीबी और भुखमरी यही होने का अभिशाप भी जुड़ा है।
- आजादी के सात दशकों के दौरान इस खाई को पाटने की कोशिशें हुईं। तमाम नीतियां और योजनाएं बनीं लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू नहीं किया जा सका। लिहाजा जरूरतमंद तक मदद नहीं पहुंची। बिचौलियों या संपन्न वर्ग की जेबें भरती रहीं।
- अब गांवों के रास्ते देश को मजबूत करने के मर्म के साथ सरकारों द्वारा कई अहम योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, स्मार्ट विलेज, पुरा (प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज टू रूरल एरियाज) मॉडल जैसे कदम सही दिशा में हैं लेकिन संसाधनों को साझा करके और समग्र बुद्धिमानी द्वारा ही वांछित नतीजे पाए जा सकते हैं.

कम आय

- हालिया हुए एक अध्ययन के मुताबिक 63 फीसद ग्रामीण परिवार बहुत कम आय पर आश्रित हैं। यह आय कृषि से संबंधित गतिविधियों से सृजित होती है।
- ग्रामीण मजदूरी में पिछले कुछ सालों के दौरान औसतन 18 फीसद इजाफा हुआ लेकिन पिछले साल सितंबर में इसमें 5 फीसद की तेज गिरावट दिखी। ये सारी चीजें केवल ग्रामीण भारतीयों पर ही असर नहीं डाल रही हैं बल्कि देश की आर्थिक समृद्धि भी प्रभावित हो रही है।

सड़क और यातायात

- अच्छे सड़क नेटवर्क और आर्थिक विकास के बीच गहरा नाता है। प्रभावी यातायात लोगों की आय और कल्याण स्तर में कई तरीके से इजाफा करता है।
- कृषि उत्पादों की मार्केटिंग और वितरण, लोगों और संसाधनों का सुचारु आवागमन में इनका महती योगदान तो होता ही है, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाओं की पहुंच को भी सुलभ बनाते हैं।

GShindi.com

- ऐसे में निम्न स्तर की ग्रामीण जीवनदशा के लिए खराब सड़कें और यातायात नेटवर्क एक बड़ा कारक है।

बुनियादी सुविधाएं

- विश्व बैंक के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण वहां के आर्थिक बेहतरी के आधार है। घरेलू कामकाज के समय को बचाकर ये ग्रामीण परिवारों के कल्याण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
- बिजली आपूर्ति की सुनिश्चितता चावल और गेहूं मिलों, तिलहनों से तेल निकालने, खेती के औजारों को बनाने जैसे कृषि आधारित

उद्योगों को बढ़ावा देते हैं। गुणवत्तापरक बिजली आपूर्ति आर्थिक गतिविधियों के लिए मददगार होती है। इस तथ्य से बेपरवाह सरकारें बिजली के खंभे खड़े करने और तार खींचने के अपने लक्ष्य को पूरा करती ही दिखती हैं। भले ही बिजली आपूर्ति चंद घंटे ही हो।

शिक्षा तक पहुंच

- देश में साक्षरता बढ़ने के पीछे की मुख्य वजह रही है कि शैक्षिक संस्थानों तक लोगों की पहुंच बढ़ी है और
- खासकर प्राथमिक स्तर पर। हालांकि गुणवत्ता वाली शिक्षा आज भी चिंता का विषय है। ज्यादातर गांवों के
- एक किमी के परिघेरे में मिडिल स्तर के स्कूल हो चुके हैं लेकिन उच्च शिक्षा के मामले में ऐसी सहूलियत नहीं है।

जन सेवाएं

- ग्रामीण परिवारों की आय में कृषि आधारित गतिविधियों की बड़ी हिस्सेदारी होती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बैंकों और मंडियों तक ग्रामीणों की पहुंच जरूरी है।

स्वास्थ्य सेवाएं

- पोलियो और चेचक के खात्मे को लेकर चलाए जा रहे अभियान सफल रहे हैं और मातृ व शिशु मृत्युदर में कमी लाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है लेकिन सभी ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना अभी पहुंच से बाहर है।
- अकुशल और गुणवत्तारहित चिकित्सा सुविधाओं के बावजूद अधिक कीमत चुकाने जैसी चीजें प्रमुख चुनौतियां हैं।

=>बड़ी आबादी

- 1960 में 80 फीसद से अधिक आबादी गांवों में रहती थी, आजीविका के लिए शहरों की ओर तेज पलायन के बावजूद आज भी करीब सत्तर फीसद आबादी इन्हीं गांवों में गुजर-बसर कर रही है।
- सामाजिक-आर्थिक जनगणना 2011 के अनुसार करीब 73 फीसद परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।

=>जीडीपी में हिस्सेदारी

- 1950 में कृषि और सहायक क्षेत्र का जीडीपी में हिस्सेदारी 51.88 फीसद था। 2013 में यह घटकर 13.94 फीसद रह गई।
- देश की 70 फीसद आबादी और 50 फीसद श्रमशक्ति इन्हीं क्षेत्रों से जुड़ी है। ये लोग अपना वाजिब मेहनताना नहीं निकाल पा रहे हैं।

---

7. उच्च शिक्षा और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों की भारत के सन्दर्भ में प्रासंगिकता

आजकल देश में उच्च शिक्षा की कमियों को दूर कर उसमें गुणवत्ता लाने की चर्चा बड़े जोरों पर है| गुणवत्ता के सरोकार के बारे में हमारा ध्यान उनअंतरराष्ट्रीय मानदंडों की ओर ही जा रहा है जो अन्यत्र देश काल के संदर्भ में ठीक हो सकते हैं, लेकिन यह क्या यह जरूरी है की वो हर जगह ठीक हों इस पर विचार कर ही हमें सही दिशा में उच्च शिक्षा में सुधर के लिए कदम उठाने चहिए|

अंतरराष्ट्रीय मानदंड के सार्वभौम पैमाने

- छात्र संख्या
- कक्षा में छात्रों और अध्यापक के बीच का अनुपात
- संस्था की प्रतिष्ठा

- विदेशों के साथ संबंध
- अंतरराष्ट्रीय प्रकाशनों की संख्या

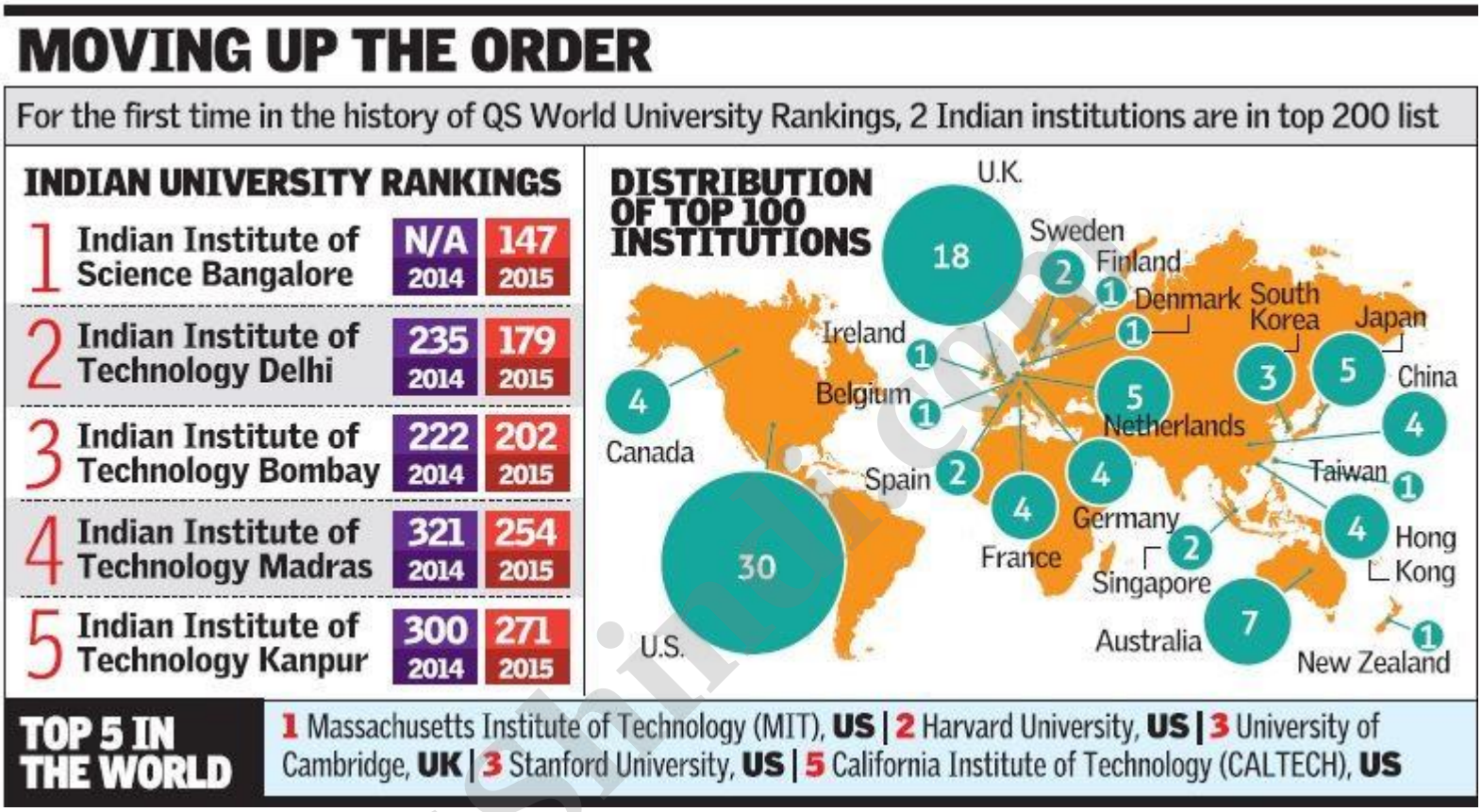

उच्च शिक्षा संस्थानों की ranking

गुणवत्ता की पैमाइश के नक़ल के प्रभाव

हम अपने विश्वविद्यालयों की तुलना हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और एमआइटी जैसी विदेशी संस्थाओं से करना चाह रहे हैं। उनकी ही तर्ज पर जांच हम और हैं होते साबित ही फिसड्डी संस्थान अन्य के शिक्षा उच्च या विश्वविद्यालय श्रेष्ठ हमारे पर करने परख- हैं। नहीं ही ठहरते कहीं में सूची की रैंकिंग अंतरराष्ट्रीय इन्हीं मानकों पर संतुष्ट होने पर शिक्षण संस्थाओं को ए ग्रेड डी/सी/बी/दी जा रही है। प्राध्यापकों की पदोन्नति में एपीआइ की गणना हो रही है और इसके चलते :

- आजकल शिक्षा संस्थानों में हम शोध, संगोष्ठी और प्रकाशन की तत्वहीन मारामारी का अद्भुत नजारा देखने को बाध्य हो रहे हैं।
- गुणहीन शोध पत्रिकाओं की भीड़ लग रही है और शोध में नकल और चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं।
- शिक्षा के परिसर में आज पढ़ने आने वाला युवा नहीं 'विद्यार्थी', बल्कि अच्छे यत्नशील ही लिए के बनने 'परीक्षार्थी' है। रहता
- सफलता यानी अच्छे अंक पाने पर उसका जोर निरंतर बढ़ता जा रहा है।
- ट्यूशन या कोचिंग की जरूरत और उसकी बढ़ती व्यावसायिक गिरफ्त को देखने से यही लगता है कि प्रचलित शिक्षा अधूरी, दोषपूर्ण और अपर्याप्त है। इसलिए सही अर्थों में व्यक्तित्व और कुशलता की वृद्धि की दृष्टि से अव्यावहारिक है।

मानदंडों की भारत में प्रासंगिकता

कई निष्कर्ष हमारे भारतीय समाज के लिए असामान्य हैं और प्रासंगिकता की दृष्टि से एक हद तक संदिग्ध भी, लेकिन हम उन्हें अपनाने के लिए अंधी और अंतहीन दौड़ में शामिल हो रहे हैं। आज विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिशाहैं देते निर्देश-, जिनके अनुसार नीति निर्धारण किया जाता है। कौन से विषय आगे बढ़ेंगे और उन्हें किन मुद्दों पर शोध के लिए क्या सहायता मिलेगी? यह सब उन्हीं नीतियों पर निर्भर करता है न कि स्थानीय दशाओं या क्षमताओं के ऊपर। सबमें ज्ञान की प्रकृति और उनके निर्माण और प्रयोग में सांस्कृतिक संदर्भ की प्रासंगिकता अलगहै। अलग-

क्या है आवश्यकता

शिक्षा एकरूपी नहीं होनी चाहिए। सिखाने वाला संगठन ऐसा हो जो स्वतंत्रता तत्परता लिए के बदलाव उसे दे। बल पर स्वायत्तता/ होना नहीं 'रिजिड' उसे सकेगी। आ रचनाशीलता तभी चाहिए। होनाचाहिए। शैक्षिक संस्थान वस्तु नहीं पैदा करते वे मनुष्य रचते हैं और ज्ञान के द्वारा उसका परिष्कार और परिमार्जन करते हैं। हमें विचार करना चाहिए कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है? हम किस तरह के मनुष्य की परिकल्पना कर रहे हैं? हर शिक्षा संस्था अपनी शक्ति और विशिष्टता के साथ उन क्षेत्रों को रेखांकित करे जिनमें प्रामाणिक रूप से उसके द्वारा योगदान संभव है। उसका उद्यम यदि उस क्षेत्र विशेष में केंद्रित हो तो बात बन सकती है। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि गुणात्मक शिक्षा की यह स्वाभाविक अपेक्षा होती है कि उसमें छात्र और अध्यापक, दोनों ही ज्ञान की प्रक्रिया के साथ गहराई से जुड़ें। गुणवत्ता की तलाश के लिए दरकार है आंतरिक पुनराविष्कार की

GShindi.com

Social Issues

1. SDG: बिना सेहत आर्थिक तरक्की बेमानी

SDG को पूर्ण के लिए क्या आवश्यक

- 2030 तक एसडीजी-3.1 नामक कार्यक्रम का उद्देश्य जननी मृत्यु दर में काफी कमी लाते हुए इसे प्रति 1 लाख पर 70 की मृत्यु दर तक लाने का है।
- इसके अलावा एसडीजी-2.1 कार्यक्रम का ध्येय भी उस साल तक सभी तरह के कुपोषण को खत्म करने का है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को स्वास्थ्य-आधारभूत ढांचे और स्वास्थ्य-सेवाओं में बड़े पैमाने पर प्रयास करके इनका स्तर ऊंचा करने की जरूरत है।

क्या मात्र आर्थिक तरक्की से स्वास्थ्य सुधरेगा

नीति आयोग के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर आने वाले सालों में 10 प्रतिशत तक बढ़ सकती है और वार्षिक आर्थिकी 10 ट्रिलियन डॉलर मूल्य की हो जाएगी, परंतु अनेक मानव संसाधन सूचकांक बताते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर सबसे पहले ध्यान देने की फौरी जरूरत है।

- बेशक ऊंची आर्थिक वृद्धि दर पाना एक शानदार उपलब्धि मानी जा सकती है लेकिन अगर इसकी एवज में लोगों की सेहत खराब अवस्था में रहे तो इस तरक्की से उनकी भलाई पर ज्यादा असर नहीं होने वाला।
- 10 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करके अगर अन्य क्षेत्रों के स्तर में इसका असर ज्यादा नहीं होता तो इससे लोगों की आय में असमानता ही बढ़ेगी और स्वास्थ्य-सेवाओं के मामले में यह स्थिति अपनी जेब से खर्च करने जैसी बड़ी समस्या का सबब बनेगी, इसमें निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवाओं में होने वाले खर्चे भी शामिल हैं।
- विश्व बैंक के अनुसार 2011-15 की अवधि में भारत के लगभग 89 प्रतिशत परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपनी जेब से खर्च करना पड़ा है।

स्वास्थ्य क्षेत्र के कुछ concern

- **निजी अस्पतालों पर निर्भरता :** भारत के शहरी इलाकों की 70 प्रतिशत और ग्रामीण अंचल की 63 प्रतिशत आबादी निजी अस्पतालों पर निर्भर है।
- भारत में प्रति 10,000 लोगों के पीछे औसतन 6.5 डॉक्टर होना एक शोचनीय स्थिति है।
- इसी तरह प्रति 10,000 लोगों के लिए अस्पतालों में सिर्फ 9 बिस्तरों का अनुपात है।
- वर्ष 2011-13 के आकड़ों के अनुसार प्रति 1,00,000 प्रसूतियों पर 167 मौतों के साथ भारत का स्थान देशों की फेहरिस्त में काफी ऊपर है और काफी प्रयास करने के बावजूद हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय किए सहस्राब्दी प्रगति लक्ष्य को पाने में नाकामयाब रहे हैं। इन मानकों के मुताबिक मृत्यु दर प्रति 1 लाख आबादी पर 140 मौतें होनी चाहिए। इस असामनता का बड़ा कारण गांवों में आपात स्थिति होने पर प्रभावी स्वास्थ्य सहायता समयानुसार न मिलने की समस्या है।

निजी अस्पतालों पर लगाम जरुरी

- निजी अस्पताल अकसर गैर-जरूरी टेस्ट करवाते और सर्जिकल आइटमें मंगवाते हैं, जिससे कि उनके बिलों में बढ़ोतरी हो सके, ऐसा करके वे लोगों की जेब में काफी बड़ा सुराख कर डालते हैं।
- फंसे हुए अधिकांश गरीबों की मदद उनके रिश्तेदार कर देते हैं या उन्हें अपनी संपत्ति बेचनी पड़ती है या फिर उन्हें अनौपचारिक स्रोतों से उधार पकड़ना पड़ता है।

gshindi.com

- जिनके पास स्वास्थ्य-बीमा होता है, उन्हें भी उन सेवाओं पर होने वाले भारी खर्च का डर सताता रहता है, जिनका मुआवजा बीमे की नियम-शर्तों की श्रेणी में नहीं आता।
- हर साल लगभग 5.5 करोड़ भारतीय स्वास्थ्य संबंधी खर्चों की वजह से भारी गरीबी की चपेट में आ जाते हैं।
- साफ है कि जरूरत इस बात है कि ऐसे नियम-कायदे बनाए जाएं, जिससे कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं को सरकारी क्षेत्र के अस्पतालों के विकल्प के तौर पर न लेकर बल्कि इनके साथ तालमेल करके काम करने वाला बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं एक निश्चित अनुपात में गरीबों को बिल्कुल मुफ्त मुहैया करवाई जानी चाहिए।

क्या उपाय लिए जाए

- केंद्रीय सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि राजस्व की उगाही समुचित की जाए ताकि बेहतर स्वास्थ्य ढांचे के विकास के लिए यथेष्ट धन मुहैया करवाया जा सके।
- स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेवारी राज्य सरकारों पर डाल देना काफी नहीं होगा क्योंकि कालांतर में भी अनेक कारकों जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे की कमी या सीधे आलस्य के चलते बहुत से राज्यों ने इस मद में दिए जाने वाले धन का पूरा उपयोग नहीं किया था।
    - लंबे समय से मशहूर डॉक्टरों की ओर से यह मांग होती आई है कि स्वास्थ्य पर खर्च किए जाने वाले सरकारी पैसे की मात्रा सकल घरेलू उत्पाद के 1.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर देनी चाहिए।

प्रश्न :सार्विक

स्वास्थ्य सरंक्षण प्रदान करने में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की अपनी परिसिमाए है | क्या आपके विचार में खाई को पाटने में निजी क्षेत्रक सहायक हो सकता है | आप अन्य कौनसे व्यवहार्य विकल्प चुनेंगे | UPSC: 2015 source:: दैनिक ट्रिब्यून

2. महिला सुरक्षा : कार्यस्थल में यौन-उत्पीडन रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013

वर्ष 2013 से पहले **कार्यस्थल में यौन उत्पीडन** जैसी घटनाओं के लिए अलग से कोई कानून नहीं था। इस अधिनियम के आने से स्त्रियों में आशा जागी कि वे अपनी अस्मिता और सुरक्षा की रक्षा करते हुए करियर में आगे बढ सकेंगी। इसके बावजूद इस कानून को लागू करने की दिशा में सुनिश्चित कदम नहीं उठाए जा सके।

- **राष्ट्रीय महिला आयोग** (एनसीडब्ल्यू) के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में कार्यस्थलों में स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ होने वाली घटनाएं काफी तेजी से बढी हैं। वर्ष 2013 में लगभग ढाई सौ शिकायतें आईं तो वर्ष 2014 में इनकी संख्या दोगुनी हो गई।
- इससे पूर्व ऑक्सफैम **इंडिया और सोशल एंड रूरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के सर्वे 'सेक्सुअल हैरेस्मेंट एट वर्कप्लेस इन इंडिया 2011-2012** के अनुसार लगभग 17 फीसद नौकरीपेशा स्त्रियां कार्यस्थलों में यौन-उत्पीडन से जूझती हैं। गौरतलब है कि 2013 में यौन-उत्पीडन रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम बना, जोकि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बनाया गया है।

महिलाएं कहीं भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करतीं। घर में हों या सडक पर, सार्वजनिक स्थलों पर हों या पब्लिक ट्रांस्पोर्ट का इस्तेमाल कर रही हों, हर जगह कभी न कभी उन्हें मानसिक-शारीरिक उत्पीडन से जूझना पडता है। करियर में मेहनत से आगे बढने और कुछ कर दिखाने की चाहत इतनी आसान भी नहीं होती।

=>विशाखा गाइडलाइंस 1997

- इन घटनाओं को देखते हुए वर्ष **1997 में सुप्रीम कोर्ट** ने कार्यस्थलों पर स्त्री सुरक्षा व अस्मिता की रक्षा के लिए कुछ दिशा-निर्देश प्रस्तावित किए थे, जिन्हें विशाखा गाइडलाइंस कहा गया। यौन-उत्पीडन के एक मामले में फैसला देते हुए ये गाइडलाइंस जारी किए गए।

- सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान बनाम विशाखा केस 1997 में इसे परिभाषित करते हुए कहा, 'कोई भी अस्वीकृत यौन व्यवहार, जिसमें शारीरिक संपर्क, गलत ढंग से छूने या संपर्क की कोशिश, प्रस्ताव, मांग, प्रार्थना, अश्लील टिप्पणी, अश्लील साहित्य या अप्रिय शारीरिक या मौखिक आचरण आदि शामिल हो, यौन-उत्पीडऩ की श्रेणी में आएगा।

- हैरानी की बात यह है कि 15 साल तक यह प्रस्ताव लोक सभा और राज्य सभा से पारित होने की प्रतीक्षा करता रहा।

=>वर्ष 2013 में वर्कप्लेस में सेक्सुअल हैरस्मेंट एक्ट पारित हुआ, **जिसके तहत निर्देश जारी किया गया कि देश के सभी संस्थानों में ऐसी घटनाओं की शिकायत के लिए अनिवार्य रूप से एक इंटर्नल कंप्लेंट कमेटी (आइसीसी) का गठन किया जाए।** इन निर्देशों में कुछ बातों की व्यवस्था की गई-

1. किसी भी संस्थान में ऐसी घटनाओं को रोकने और उन पर सुनवाई की जिम्मेदारी उस संस्थान के व्यवस्थापक, संस्थापक या वरिष्ठ लोगों की हो।
2. ऐसी किसी घटना की सुनवाई के दौरान पीडित या गवाह के खिलाफ किसी तरह का अन्याय या अत्याचार न हो।
3. संस्थान अपने यहां ऐसी घटनाओं पर रोक सुनिश्चित करें।
4. ऐसी घटनाओं की सुनवाई के लिए **गठित शिकायत कमेटी की मुखिया कोई स्त्री हो और इसके मेंबर्स में आधी से अधिक स्त्रियां ही हों।**

उल्लंघन पर जुर्माना

- भारतीय संविधान स्त्री-पुरुष के लिए समान अधिकारों की व्यवस्था करता है। भारतीय दंड संहिता में यौन-उत्पीडऩ को दंडनीय अपराध माना गया है।
- चूंकि बाहरी दुनिया में स्त्रियों के कदम हाल के कुछ वर्षों में अधिक बढे हैं, लिहाजा कार्यस्थलों में स्त्रियों के सम्मान की सुरक्षा के लिए अलग से किसी कानून की जरुरत भी हाल के वर्षों में ही ज़्यादा हुई है, इसीलिए वर्ष 2013 के दिसंबर महीने में यह कानून पारित हुआ।

- यह अधिनियम विशाखा केस में दिए गए सभी निर्देशों का अनुपालन करते हुए इसमें कुछ और प्रस्ताव भी जोडता है। **इनमें एक है, शिकायत समिति को सबूत जुटाने के लिए सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां प्रदान करना। इस अधिनियम के तहत ठेका, व्यवसाय में कार्यरत लोगों के अलावा दिहाडी मज्ादूर, घरों में काम करने वाली स्त्रियां भी शामिल हैं।**

- इस कानून का उल्लंघन करने वालों को 50 हज़ार रुपये तक का जुर्माना भरना पड सकता है। अगर किसी जगह पर इस कानून का उल्लंघन एक से अधिक बार हुआ हो तो जुर्माने की राशि बढा दी जाएगी। अगर ऐसा बार-बार हो रहा हो तो **संस्थान का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन रद्द** भी किया जा सकता है।

=>कानून का पालन कितना

- गौरतलब है कि कुछ समय पहले चेन्नई की एक कंपनी में ऐसा मामला सामने आया। कानून का पालन न करने की वजह से उसे लगभग पौने दो करोड का जुर्माना भरना पडा। विडंबना ही है कि लगभग दो वर्ष बाद भी इस कानून को लेकर जागरूकता नहीं दिखाई दे रही है।

- **फिक्की-ईवाई रिपोर्ट 'फोस्टरिंग सेफ वर्कप्लेसेज** में बताया गया कि 31 फीसद कंपनियों ने इस कानून को लागू ही नहीं करवाया। ऐसा न करने वालों में 36 प्रतिशत भारतीय और 25 प्रतिशत मल्टीनेशनल कंपनियां हैं।
- इसके अलावा 40 प्रतिशत ऐसी कंपनियां हैं, जिन्होंने आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों को ट्रेनिंग नहीं दी। यहां तक कि 35 प्रतिशत लोगों को यह भी नहीं मालूम है कि शिकायत समिति गठित करने संबंधी कानून का उल्लंघन न करना दंडनीय अपराध है।

=>क्या हैं **लूपहोल्स :-**

GShindi.com

- स्त्री सुरक्षा की दिशा में यह निश्चित तौर पर एक जरुरी अधिनियम है, लेकिन इसमें **कुछ कमियां भी** हैं। आम स्त्रियों की दृष्टि से ये कमियां इस तरह दिखती हैं-

1. यह कार्यस्थल में यौन-उत्पीडऩ को अपराध नहीं, नागरिक दोष की श्रेणी में रखता है। स्त्री के सम्मान के खिलाफ कोई भी कृत्य अपराध माना जाना चाहिए। यह इसलिए जरुरी है क्योंकि कोई स्त्री अपने प्रति होने वाले दुव्र्यवहार, अपशब्द, अश्लील कृत्य के खिलाफ तभी शिकायत करती है, जब वह इसे अपराध समझती है।
2. पीडित और आरोपी एक ही संस्थान में कार्यरत होते हैं। ऐसे में पीडित पर दबाव अधिक होता है। उसे नौकरी खोने का भय भी बना रहता है। कई बार उसकी शिकायत को अन्य स्त्रियों के लिए उदाहरण बना कर भी पेश किया जाता है, ताकि वे भविष्य में ऐसा कुछ करने से हिचकिचाएं।
3. हर कानून का एक दूसरा पहलू भी होता है। इस अधिनियम में भी कानून के गलत इस्तेमाल की आशंका हो सकती है। असक्षम, अयोग्य कर्मचारी इसकी आड में स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश कर सकते हैं।
4. पीडित को भारतीय दंड संहिता के तहत न्याय पाना हो तो इसके लिए आपराधिक उपाय ढूंढने होंगे। इसकी शिकायत आईपीसी की धारा 354 के तहत दर्ज की जाती है, जो यौन-उत्पीडऩ कानून की विशेष धारा नहीं, एक सामान्य प्रावधान है।

- अभी इस कानून को आए दो वर्ष ही हुए हैं। इस बारे में **जागरूकता कम** है और कंपनियों को भी इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लिहाजा वहां शिकायत समितियों का गठन नहीं किया जा सका है।

- यह कानून इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह स्त्री को अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत करता है। स्त्री-सशक्तीकरण की दिशा में इसे नि:संदेह अहम कदम माना जा सकता है।

- यदि सरकार और संस्थान स्त्री कर्मचारियों के अधिकारों व सुरक्षा के प्रति ईमानदार हैं और चाहते हैं कि स्त्रियां करियर में आगे बढें तो उन्हें कानून का अनुपालन करवाने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे।

GShindi.com

Agronomy & Agricultural Issues

1. देश में 13 राज्यों में सूखे की स्थिति, हर साल कम हो रही खेती योग्य भूमि

★ देश में औसतन हर साल 30 हजार हेक्टेयर खेती योग्य भूमि कम होने और 13 राज्यों के गंभीर सूखे की चपेट में आने के बीच पर्यावरणविदों ने सरकार से मांग की है कि सूखे की समस्या के निपटारे के लिए दीर्घाकालीन पहल करने की जरूरत है और देशभर में जलधाराओं, पुराने जलाशयों, कुओं को जीवंत बनाये जाने की जरूरत है।

- देशभर में लाखों की संख्या में तालाबों और कुओं को जीवंत बनाने की जरूरत को रेखांकित किया है।

★इस साल हालांकि अच्छे मानसून का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने संसद में बताया है कि देश में खेती योग्य भूमि में हर साल औसतन 30 हजार हेक्टेयर की कमी हो रही है लेकिन यह स्थिति चिंताजनक नहीं है। इस मामूली गिरावट के बाद भी कुल उत्पादकता प्रभावित नहीं हुयी है।

★ भू.उपयोग सांख्यिकी की रिपोर्ट के अनुसार देश में खेती योग्य भूमि 2010.11 में 18.201 करोड़ हेक्टेयर से मामूली सा घटकर 2011.12 में 18.196 करोड़ हेक्टेयर हो गयी है।

- 2012.13 में यह 18.195 करोड़ हेक्टेयर हो गयी।

★भारत में कृषि के लिए सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की है और सिर्फ 45 प्रतिशत भूमि ही सिंचित है। देश के 13 राज्यों के 306 गांवों में सूखे की स्थिति है और इससे 4, 42, 560 लोग प्रभावित हुए हैं।

★जल क्षेत्र की संस्था सहस्त्रधारा की रिपोर्ट के मुताबिक, पृथ्वी पर जितना जल उपलब्ध है, उसमें से 97.3 प्रतिशत लवणयुक्त है और शेष 2.7 प्रतिशत ताजा जल है।

★इस 2.7 प्रतिशत ताजा जल में से 2.1 प्रतिशत बर्फ के रूप में और 0.6 प्रतिशत तरल जल के रूप में उपलब्ध हैं । इस 0.6 प्रतिशत तरल जल में 98 प्रतिशत भूजल और 2 प्रतिशत सतही जल है।

★पर्यावरणविदों का कहना है कि यह गंभीर स्थिति का संकेत कर रही है क्योंकि भूजल स्तर लगातार नीचे गिर रहा है और देश के बड़े भूभाग में सूखे की समस्या के कारण स्थिति गंभीर होती जा रही है।

★ जल को समवर्ती सूची के अंतर्गत ले लेना चाहिये ताकि केंद्र के हाथ में कुछ संवैधानिक शक्ति आ जायें। इससे देश में जल से जुड़ी समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। साथ ही राष्ट्रीय संसाधनों का राष्ट्रीय हित में उपयोग निश्चित ही लाभकारी रहेगा।

2. किसान ऋण पर नेशनल सेंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन (NSSO) की रिपोर्ट

- कृषि कर्ज माफी योजनाओं के बावजूद किसान ऋण मुक्त नहीं हो सके। देश में आधे से अधिक किसान परिवार कर्जदार हैं और प्रत्येक कृषक परिवार पर औसतन 47,000 रुपये कर्ज बकाया है।
- हाल यह है कि कर्ज के बोझ से दबे किसान परिवारों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ रही है।

- उत्तर भारत की बात करें तो पंजाब में सर्वाधिक 53.2 फीसद किसान सबसे कर्जदार हैं। हालांकि अखिल भारतीय स्तर पर राज्यवार आंकड़ा कहीं ज्यादा है। हरियाणा में 42.3 फीसद और उत्तर प्रदेश में 43.8 फीसद किसान कर्जदार हैं।

नेशनल सेंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन (एनएसएसओ) की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 तक देश में 9.02 करोड़ कृषक परिवारों में से 52 प्रतिशत कर्जदार थे जबकि 2003 में सिर्फ 48.6 प्रतिशत किसान ही कर्जदार थे।

एनएसएसओ की इस रिपोर्ट के नतीजे इसलिए भी चौंकाने वाले हैं क्योंकि 2008 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने जोर-शोर से 52,000 करोड़ रुपये की कृषि कर्ज माफी का एलान कर दावा किया था कि इस योजना के बाद कर्ज में डूबे किसानों की संख्या में कमी आएगी।

लेकिन एनएसएसओ रिपोर्ट से इन दावों की पोल खुलती है। इससे यह भी साबित होता है कि कृषि कर्ज माफी योजनाएं स्थाई रूप से असरदार साबित नहीं हो रही हैं।

भारत में **कृषक परिवारों की आय, व्यय, उत्पादक परिसंपत्तियां और ऋणग्रस्तता शीर्षक वाली एनएसएसओ की रिपोर्ट** के नतीजों को अगर राज्यवार देखें तो **आंध्र प्रदेश के किसान** सबसे ज्यादा कर्जदार हैं। राज्य में 92.9 प्रतिशत किसान परिवारों पर कर्ज है।

इसके बाद **तेलंगाना** का नंबर आता है जहां 89.1 प्रतिशत किसान परिवार कर्जदार हैं। वहीं तमिलनाडु में 82.5 प्रतिशत कृषक परिवारों पर कर्ज है।

दूसरी ओर **सबसे कम कर्जदार असम** के किसान हैं जहां मात्र 17.5 प्रतिशत कृषक परिवार कर्जदार हैं। वहीं झारखंड में सिर्फ 28.9 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ 37.2 प्रतिशत किसान ही कर्जदार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक किसानों पर जितना कर्ज बकाया है उसमें से 60 प्रतिशत संस्थागत तथा 26 प्रतिशत साहूकारों से लिया गया।

=>मासिक आय मात्र 6,426 रुपये

सर्वे के मुताबिक आधे से अधिक किसान न सिर्फ कर्ज के बोझ में डूबे हैं बल्कि कृषक परिवारों की आय भी बहुत कम है। प्रत्येक कृषक परिवार की औसत मासिक आय मात्र 6,426 रुपये है। किसानों की 60 प्रतिशत आय कृषि से तथा 32 प्रतिशत मजदूरी से होती **है। पंजाब, हरियाणा और केरल में प्रति किसान परिवार औसत मासिक आय सर्वाधिक है जबकि बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में सबसे कम है।**

=> बेहाल खेतिहर: भारत के हर किसान परिवार पर है 50 हजार का **कर्ज"**

देश के समक्ष कुछ अहम चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं. ये हैं- सूखा और किसानों की आत्महत्या...!

★कृषि अभी भी भारतीयों की आजीविका का आधार है.साल 2011 की जनगणना के मुताबिक लगभग 56 फीसदी कामकाजी लोग देश में अभी भी कृषि व्यवसायों में लगे हुए हैं.

★दुर्भाग्य की बात यह है कि कृषि उत्पादकता कम है, सिंचाई की सुविधाएं खराब हैं और भंडारण व बिक्री का ढांचा बिखरा हुआ है.

★ आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जिनसे आपको भारतीय कृषि की मौजूदा स्थिति का एक अंदाजा मिल सकेगा.

- 1130 किसानों ने महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में साल 2015 में जान दी. साल 2016 के पहले चार महीनों में इस क्षेत्र में लगभग 400 किसानों ने खुदकुशी कर ली. इससे यह जाहिर होता है कि किसानों को बचाने के लिए सरकार की पहल नाकामयाब रही है.

★कर्ज और फसल का खराब हो जाना, किसानों की आत्महत्या की दो अहम वजहें बतायी जाती हैं.

★47,000 रुपए औसतन हर खेतिहर परिवार पर कर्ज है (नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अध्ययन के मुताबिक). इसमें से एक-चौथाई कर्ज 'कृषि/पेशेवर' साहूकारों (सूदखोरों) से लिया गया है.

★अनुमान के मुताबिक, किसानों की औसत मासिक आमदनी 6,426 रुपये और उनका औसत मासिक उपभोग खर्च 6,423 रुपये है.

★12 करोड़ हेक्टेयर जमीन कम गुणवत्ता वाली है और संभवतः इसकी वजह से उत्पादकता में कमी होती है.

★यह जर्मनी के आकार का लगभग चार गुना है.इसमें से 8.26 करोड़ हेक्टेयर जमीन की गुणवत्ता जल से होने वाले कटाव से, 2.4 करोड़ हेक्टेयर रासायनिक कारकों से, 1.2 करोड़ हेक्टेयर हवा की वजह से कटाव से और 10 लाख हेक्टेयर भौतिक गड़बड़ियों के कारण खराब हुई है.

GShindi.com

★यदि भू-क्षरण (मिट्टी का कटाव) नहीं होता, तो भारत 1.34 करोड़ टन अतिरिक्त कृषि उत्पादन करने में कामयाब होता.

★16,336 करोड़ रुपये नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से 2012-15 के दौरान राज्यों को केंद्रीय सहायता के तौर पर दिये गये.

★महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और ओडीशा जैसे राज्य पिछले कुछ वर्षों से वर्षा की भारी कमी से प्रभावित रहे हैं, जिसकी वजह से फसलें बर्बाद हुई हैं, उत्पादन कम हुआ है और किसानों की आमदनी घट गई है.

★भारत के कुल 688 जिलों में से लगभग 572 जलवायु परिवर्तन के लिहाज से संवेदनशील हैं.17% देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि और सहायक सेवाओं का अनुमानित योगदान (साल 2015-16 में).

★साल 2011-12 में जीडीपी में इसका योगदान 18.5 फीसदी था और 2014-15 में घट कर 17.4 फीसदी हो गया.

★फरवरी 2016 में राज्यसभा में दिये गये एक लिखित उत्तर के मुताबिक, "कुल जीडीपी में कृषि और सहायक क्षेत्रों के योगदान में कमी की मुख्य वजह है भारत का पारंपरिक कृषि अर्थव्यवस्था से उद्योग और सेवा-केंद्रित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ना."

★52 % साल 2012-13 के दौरान कुल बुवाई क्षेत्र में से असिंचित क्षेत्र की हिस्सेदारी (लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स 2012-13 की रिपोर्ट के मुताबिक). कुल मिला कर 73,829 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि असिंचित रहती है.

★सिंचाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य नये जल संसाधनों का निर्माण, जलाशयों का नवीनीकरण, भूजल विकास आदि है.हालांकि, साल 2015-16 के लिए पूंजी उपयोग का हाल निराशाजनक रहा. आवंटित 4,300 करोड़ रुपये में से केवल 2,094 करोड़ रुपये ही जारी हुए.

देश में 13 राज्यों में सूखे की स्थिति, हर साल कम हो रही खेती योग्य भूमि

देश में औसतन हर साल 30 हजार हेक्टेयर खेती योग्य भूमि कम होने और 13 राज्यों के गंभीर सूखे की चपेट में आने के बीच पर्यावरणविदों ने सरकार से मांग की है कि सूखे की समस्या के निपटारे के लिए दीर्घाकालीन पहल करने की जरूरत है और देशभर में जलधाराओं, पुराने जलाशयों, कुओं को जीवंत बनाये जाने की जरूरत है।

- देशभर में लाखों की संख्या में तालाबों और कुओं को जीवंत बनाने की जरूरत को रेखांकित किया है।

★इस साल हालांकि अच्छे मानसून का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने संसद में बताया है कि देश में खेती योग्य भूमि में हर साल औसतन 30 हजार हेक्टेयर की कमी हो रही है लेकिन यह स्थिति चिंताजनक नहीं है। इस मामूली गिरावट के बाद भी कुल उत्पादकता प्रभावित नहीं हुयी है।

★ भू.उपयोग सांख्यिकी की रिपोर्ट के अनुसार देश में खेती योग्य भूमि 2010.11 में 18.201 करोड़ हेक्टेयर से मामूली सा घटकर 2011.12 में 18.196 करोड़ हेक्टेयर हो गयी है।

- 2012.13 में यह 18.195 करोड़ हेक्टेयर हो गयी।

★भारत में कृषि के लिए सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की है और सिर्फ 45 प्रतिशत भूमि ही सिंचित है। देश के 13 राज्यों के 306 गांवों में सूखे की स्थिति है और इससे 4, 42, 560 लोग प्रभावित हुए हैं।

★जल क्षेत्र की संस्था सहस्त्रधारा की रिपोर्ट के मुताबिक, पृथ्वी पर जितना जल उपलब्ध है, उसमें से 97.3 प्रतिशत लवणयुक्त है और शेष 2.7 प्रतिशत ताजा जल है।

★इस 2.7 प्रतिशत ताजा जल में से 2.1 प्रतिशत बर्फ के रूप में और 0.6 प्रतिशत तरल जल के रूप में उपलब्ध हैं । इस 0.6 प्रतिशत तरल जल में 98 प्रतिशत भूजल और 2 प्रतिशत सतही जल है।

★पर्यावरणविदों का कहना है कि यह गंभीर स्थिति का संकेत कर रही है क्योंकि भूजल स्तर लगातार नीचे गिर रहा है और देश के बड़े भूभाग में सूखे की समस्या के कारण स्थिति गंभीर होती जा रही है।

★ जल को समवर्ती सूची के अंतर्गत ले लेना चाहिये ताकि केंद्र के हाथ में कुछ संवैधानिक शक्ति आ जायें। इससे देश में जल से जुड़ी समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। साथ ही राष्ट्रीय संसाधनों का राष्ट्रीय हित में उपयोग निश्चित ही लाभकारी रहेगा।

GShindi.com

Disaster Management:

1. सूखे से 33 करोड़ लोग हैं प्रभावित; देश को होता है 6,50,000 करोड़ रुपये का नुकसान: एसोचैम

★देश के 10 राज्यों में भीषण सूखे के चलते अर्थव्यवस्था को करीब 6,50,000 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।

_ एक स्टडी के मुताबिक 256 जिलों के करीब 33 करोड़ लोग सूखे से बुरी तरह प्रभावित हैं। लगातार दो साल मॉनसून खराब रहने, जलाशयों में पानी की कमी और भूजल के स्तर में लगातार जारी गिरावट के चलते देश के 10 सूखा प्रभावित राज्यों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है।

★एसोचैम की स्टडी के मुताबिक खासतौर पर महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति हो गई है।

★ एसोचैम के मुताबिक, 'एक सामान्य आंकड़ा है कि इस सूखे के चलते देश की अर्थव्यवस्था को 100 अरब डॉलर यानी करीब 6,50,000 करोड़ रुपये का नुकसान झेलना होगा।

★ एसोचैम ने कहा कि यदि इस साल मॉनसून की स्थिति सही रहती है तो भी बीते साल के सूखे का असर कम से कम आने वाले छह महीनों तक बना रहेगा।

★स्टडी के अनुसार, 'सूखा प्रभावित इलाकों में एक से दो महीने तक लोगों को पानी, भोजन और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रति व्यक्ति 3,000 रुपये का खर्च होगा।'

★एसोचैम ने कहा कि सूखे के हालात से करीब 33 करोड़ लोग बुरी तरह प्रभावित हैं और इस संकट से निपटने में हर महीने एक लाख करोड़ रुपये खर्च करना होगा।

★ इसके अलावा बिजली, फर्टिलाइजर और अन्य वस्तुओं पर दी जाने वाली सब्सिडी को जोड़ दें तो यह आंकड़ कहीं ज्यादा हो जाता है।

★स्टडी के मुताबिक सूखे के चलते आर्थिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगने वाली राशि को राहत के कार्यों पर खर्च करना होगा।

♂ इसके अलावा ग्रामीण इलाकों से पलायन में भी इजाफा होगा, जिससे शहरी ढांचे और आपूर्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका है।

---

2. सूखा प्रबंधन को नई दिशा देने की ओर : Supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने सूखे को लेकर गुजरात, हरियाणा और बिहार के रवैये पर कड़ा एतराज जताया है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

- अगर राज्य सरकारें सूखे जैसी आपदाओं के प्रति शुतुरमुर्ग जैसा रवैया अपनाती हैं तो केंद्र अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी से बच नहीं सकता।
- आपदा के प्रति केंद्र सरकार की तरफ से ज्यादा सक्रिय और सूक्ष्म प्रतिक्रिया की जरूरत होती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने सूखा और आपदा प्रबंधन के लिए ऐतिहासिक दिशाहैं। किए जारी निर्देश-
- शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार से छह माह के अंदर **राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल** करने गठन का(एनडीआरएफ) है। कहा को
- इसके साथ ही तीन माह के अंदर आपदा शमन कोष का निर्माण भी करने का निर्देश दिया है।
- सरकार बारिश की कमी को भी सूखे का मुख्य इंडिकेटर माने।

Gshindi.com

- सूखे की स्थिति घोषित करने के लिए एक समय सीमा तय हो। जल संरक्षण के लिए नई योजनाएं बनाई जाएं

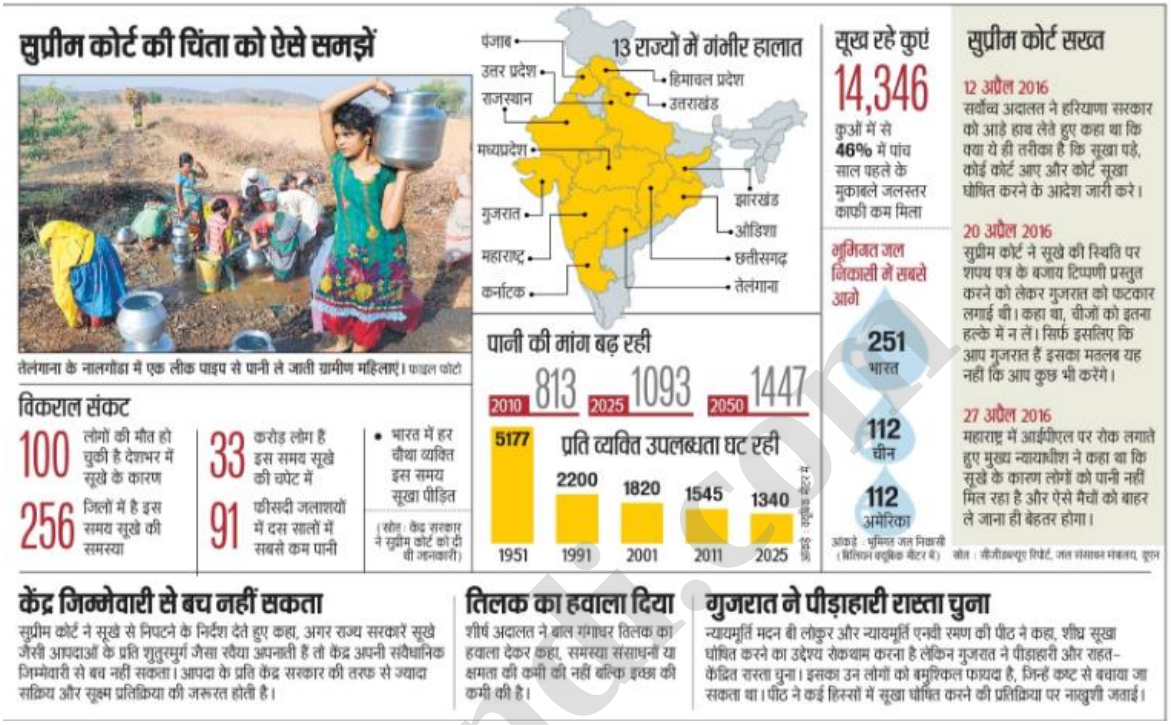

Source: livehindustan

Security & Internal Security

1. भारतीय सेना का आधुनिकीकरण : समस्याएं और समाधान

- भारत सरकार ने ले. जनरल डीबी शेखावत के नेतृत्व में एक 12-सदस्यीय समिति का गठन किया है जो थल, वायु और नौसेना के मौजूदा ताने-बाने में बदलाव लाने के लिए अपने सुझाव देगी और फालतू तंत्र की कांट-छांट करने के साथ-साथ रखरखाव के खर्चे को कम करने के उपाय सुझाएगी।
- समिति की सिफारिशों से उन पदों को समाप्त किया जा सकेगा जो तकनीकी उन्नति के चलते अब बेमानी हो चुके हैं। समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि आधुनिकीकरण करने का यह मतलब नहीं कि सुरक्षा सैनिकों की गिनती में भी इजाफा किया जाए।
- इस सोच के पीछे सरकार के पास दो मुख्य कारण थे.....

1. एक है सैनिकों की तनख्वाह और रखरखाव के खर्च में लगातार वृद्धि। इससे कुल रक्षा बजट का 20 फीसदी से भी कम हिस्सा हथियारों और उपकरणों के आधुनिकीकरण के लिए बचता है।
2. दूसरा कारण है दिसंबर 2015 में सेना के सम्मिलित कमांडर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह सुझाव, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसे वक्त में जहां दुनिया की अन्य मुख्य ताकतें अपनी सेना की संख्या में कटौती कर रही हैं और तकनीक पर ज्यादा निर्भरता ला रही हैं वहीं हम आज भी अपनी फौज की संख्या बढ़ाने पर लगातार जोर दे रहे हैं।
3. प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री और सैन्य कमांडरों से आह्वान किया था कि वे सभी स्तरों पर एक सम्मिलित रक्षा तंत्र की भांति काम करें ताकि मौजूदा सैनिक-अनुपात को कम करने के अलावा यह सुनिश्चित किया जाए कि स्टॉक जमा करने हेतु जिस भारी फंड की जरूरत पड़ती है, उसमें भी कटौती की जा सके।

GShindi.com

दरअसल उपरोक्त निर्णय लेने की वजह रक्षा बजट में उपलब्ध पैसे की कमी है। पिछले एक दशक से रक्षा बजट में कुल सकल उत्पादन का प्रतिशत घटता ही जा रहा है। हालांकि इस साल 2015-16 के वित्त वर्ष के लिए तय किए गए बजट प्रावधानों के मुकाबले रक्षा बजट में 1.16 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, लेकिन यदि इनमें रक्षा मंत्रालय द्वारा लौटाए गए 18,295 करोड़ रुपयों को भी गिन लें तो रकम में यह इजाफा लगभग 9 प्रतिशत बैठता है। यहां पर पेच यह है कि इस पैसे में मुद्रास्फीति, डॉलर के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन और हथियारों एवं उपकरणों की कीमतों में बेतहाशा वैश्विक वृद्धि शामिल नहीं है।

- 'एक रैंक-समान पेंशन' योजना पर क्रियान्वयन के चलते सेनानिवृत्त सैनिकों के पेंशन भुगतान मद में काफी इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक सैनिकों की तनख्वाह, और भत्तों का भुगतान रक्षा बजट से किए जाने से सैन्य और सिविल संस्थागत खर्चे में बहुत इजाफा हो जाएगा।

- 1990 के दशक में हमें इसी तरह के हालात का सामना करना पड़ा था। तब सेनाध्यक्ष होने के नाते मैंने तीन साल के दौरान सैनिकों की कुल संख्या में 50,000 कर्मियों (जिनमें अधिकांश गैर-लड़ाकू बल से संबंधित थे) की कटौती की थी, बशर्ते कि इसकी एवज में बचाए गए पैसे को सेना को नई खरीद के लिए आरक्षित किया जाए। हालांकि उस वक्त सेना के अंदर और बाहर इस निर्णय की काफी मुखालफत हुई थी। हम इस योजना को अमलीजामा पहनाने में सफल हुए थे परंतु इस परियोजना के तीसरे साल में हुए कारगिल युद्ध ने इस पर विराम लगा दिया था।

- आज भारतीय सेना 38,000 अधिकारियों (वैसे इनकी कुल प्रस्तावित संख्या 49,631 है) और 11.38 लाख सैनिकों के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फौज है। विभिन्न काडरों के पुन:अवलोकन और संचालन हेतु आई अजीत विक्रम सिंह रिपोर्ट लागू होने से सेना में आधार के मुकाबले ऊपरी ढांचा ज्यादा भारी हो गया और इसका हश्र यह हुआ कि धरातल पर काम करने वालों के बनिस्पत मुख्यालय में बैठने वाले अधिकारियों की संख्या में काफी इजाफा हो गया। जाहिर है ऐसी व्यवस्था त्वरित और छोटे अंतराल के युद्ध जीतने के लिए बने आधुनिक रक्षा प्रबंधन के अनुरूप नहीं है।

- पिछले एक दशक में दुनिया की सभी मुख्य ताकतों ने इस प्रकार की कवायद करने का यत्न किया है और अपने सैनिकों की संख्या में भारी कमी की है। वर्ष 2012 में ब्रिटेन ने अपने सैनिकों की कुल संख्या में 20 प्रतिशत कटौती करने की घोषणा की थी। रूस की सेना ने भी अपने बड़े डिवीजनल हेडक्वार्टर आधारित सैन्य व्यवस्था में कटौती लागू कर इन्हें त्वरित-प्रतिक्रिया और छोटे बलों में परिवर्तित कर दिया है। अमेरिका की सेना ने भी 2017 तक कुल 80,000 सैनिकों की गिनती कम करने का फैसला लिया है।

- चीन ने हाल ही में अपने सैन्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2020 तक 3,00,000 फौजियों की कमी लाने का लक्ष्य रखा है। इसके पीछे मंतव्य यह है कि पीएलए का पुनर्गठन करते हुए नवीनतम तकनीक से लैस चल-सेना में तबदील करना।

- पिछले एक दशक में भारत ने भी अपनी सैन्य क्षमता में बड़े पैमाने पर तकनीक आधारित प्रणालियों का समावेश किया है, जिसमें संचार और डिजिटलकरण भी शामिल है। अब हमारे नए सैनिक ज्यादा पढ़े-लिखे और कम्प्यूटर एवं स्मार्ट फोन जैसे आधुनिक यंत्र चलाने में माहिर हैं। इनमें अधिकांश के पास वाहन चलाने का लाइसेंस भी है।

- मगर सेना ने शायद ही कभी संस्थागत सुधारों, गैर उपयोगी विभागों और मानवीय संसाधनों पर होने वाले खर्च में कटौती करने का कोई प्रयास किया होगा। इसी बीच, वे सैन्य विभाग जो परिचालन के हिसाब से इतने जरूरी नहीं हैं, उनमें नियुक्तियों की संख्या में कटौती की जानी चाहिए ताकि खर्च में कमी लाई जा सके। इसके लिए निम्न सुझाव हैं: सेना के सभी अंगों में सम्मिलित-अभियान-तालमेल में सुधार लाना ताकि किसी मोर्चे पर दोहरे-तिहरे प्रयास से बचा जाए और प्रत्येक यूनिट के मेडिकल, राशन, स्टेशन डयूटी और अन्य सुरक्षा संबंधी खर्चों में कमी लाई जा सके। हेडक्वार्टर्स खासकर फील्ड फॉर्मेशन,

- प्रशिक्षण संस्थाएं और बेमानी पड़ चुकी संस्थाओं के मुख्यालय आकार में कमी की जाए। प्रचालन-तंत्र और प्रशिक्षण सुविधाएं जैसे कि ईएमई, ऑर्डेनेंस, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी एजूकेशन कोर इत्यादि में कई विभागों का विलय और इनके आकार में छंटाई

Gshindi.com

की जाए। गैर-जरूरी संस्थाएं जैसे आर्मी फार्म्स, आर्मी पोस्टल सर्विस का विलय या फिर इनका काम ठेके पर बाहरी क्षेत्र से करवाया जाए। सभी शांतिकालीन संस्थाओं का पुन:आकलन। भूमि या ऐसी सुविधाएं जो भले ही किसी भी यूनिट या फॉर्मेशन के अंतर्गत हों, उनका बहुउद्देशीय इस्तेमाल किया जाए।

- इन दिनों सीमा तक सटे क्षेत्रों में भी ऑटोमोबाइल और सिविलियन कार्यों का रखरखाव एवं मरम्मत तंत्र काफी विकसित और सदैव उपलब्ध है। जरूरत पड़ने पर सेना ठेके पर इनकी जिम्मेवारी निजी क्षेत्र को दे सकती है, विशेषकर माल ढुलाई में और यदि सीधे वाहन निर्माता को इस कार्य में सम्मिलित कर पाए तो भी ज्यादा बेहतर होगा।

---

2. भारत, जापान और अमेरिका का संयुक्त रूप से मालाबार नौसेना अभ्यास शुरू:

- भारत, जापान और अमेरिका ने संयुक्त रूप से अपना नौसेना युद्ध कौशल मालाबार अभ्यास शुरू कर दिया है।
- क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए तीनों देशों का ध्यान गहरे सैन्य संबंध और सेनाओं के बीच व्यापक सामंजस्य बनाने पर केंद्रित है।
- भारतीय नौसेना ने कहा है कि नौसेना अभ्यास के 20वें संस्करण में उसके पोत सतपुरा, सहयाद्री, शक्ति और किर्च हिस्सा ले रहे हैं।
- यह नौसेना अभ्यास भारत के 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और तीनों देशों के बीच गहरे होते संबंधों के तालमेल में हो रहा है।
- इससे हिन्दू- प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही वैश्विक समुद्री समुदाय को लाभ भी होगा। क्षेत्र में चीन की हठधर्मिता एक दबाव वाला मुद्दा बना हुआ है।
- चीन के विस्तारवादी रवैये को देखते हुए दक्षिण चीन सागर के समीप आयोजित हो रहा यह अभ्यास अपना अलग महत्व रखता है।

=>मालाबार युद्धाभ्यास का इतिहास :-

- भारत और अमेरिका नियमित रूप से सालाना अभ्यास 1992 से करते चले आ रहे हैं।
- वर्ष 2007 से मालाबार अभ्यास हिन्दू महासागर और प्रशांत महासागर में क्रम बदल कर आयोजित होता है।
- पिछले वर्ष इसमें जापान को भी शामिल किया गया था।

---

2. अमेरिका-भारत को एक साथ चुनौती दे रहा चीन, पेंटागन रिपोर्ट के 13 खुलासों से सामने आए ड्रैगन के खतरनाक इरादे

- अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अपनी सलाना रिपोर्ट में चीन की सैन्य तैयारियों के बारे में कई अहम खुलासे किए हैं। इससे एक बात साफ हो गई है कि वह अमेरिका और भारत दोनों के सामने कड़ी चुनौती पेश कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन दुनिया भर में अपनी सैन्य क्षमता का विस्तार कर रहा है। यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने 'चाइना मिलिट्री एक्टिविटीज इन 2015' नाम की वार्षिक रिपोर्ट कांग्रेस में पेश की है।
- 1-पेंटागन का दावा है कि चीन भारतीय सीमा के पास सैनिकों की संख्या में इजाफा किया है।
- 2-चीनी सेना की मौजूदगी पाकिस्तान में भी लगातार बढ़ रही है, जो कि भारत के लिए चिंता का सबब है।
- 3-रिपोर्ट में कहा गया है, "बहुत संभव है कि चीन उन देशों में अतिरिक्त नौसैनिक साजो-सामान केंद्र स्थापित करना चाहेगा, जिसके साथ उसके दीर्घकालीन रिश्ते और समान सामरिक हित हैं जैसे पाकिस्तान।"
- 4-पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय सीमा के निकट चीनी सैन्य निर्माण पर भी चिंता जताई है।
- 5-पेंटागन ने यह भी खुलासा किया है कि अमेरिका, रूस और भारत की रक्षा क्षमताएं उन प्रमुख कारणों में से एक हैं, जो चीन को उसकी परमाणु ताकत और हमला बोलने की रणनीतिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

GShindi.com

- 6-यूएस कांग्रेस को सौंपी गई चीन की परमाणु क्षमता से जुड़ी एक रिपोर्ट में पेंटागन ने कहा कि चीन क्षेत्र की विभिन्न ईकाइयों में नियंत्रण सुधारने के लिए अपनी परमाणु ताकतों के नियंत्रण और संचार क्षमताओं को तैनात कर रहा है।
- 7-पेंटागन की रिपोर्ट कहती है कि चीन ने साउथ चाइना सी में 3200 एकड़ जमीन पर फिर से कब्जा कर लिया है।
- 8-साउथ चाइना सी में चीन जो कृत्रिम द्वीप बनाए हैं, उन पर उसने 9,800 फीट लंबे रन-वे तैयार कर लिए हैं।
- 9-ईस्ट एशिया के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी अब्राहम डेनमार्क ने बताया, "चीन लगातार सैन्य शक्ति में इजाफा कर रहा है।
- 10-चीन ने अप्रैल 2016 में पहली बार साउथ चाइना सी के विवादित द्वीप पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लैंडिंग कराई थी।
- 11-चीन साउथ चाइना सी में 12 नॉटिकल माइल इलाके पर हक जताता है। इसी जलक्षेत्र के बीच चीन कृत्रिम द्वीप बना लिए हैं।
- 12-चीन के अलावा दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देश (ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया) भी इस इलाके पर अपना दावा जताते हैं।
- 13- साउथ चाइना सी के बारे में कहा जाता है कि यहां तेल और गैस के बड़े भंडार हैं। अमेरिका के मुताबिक, इस इलाके में 213 अरब बैरल तेल और 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का भंडार है।

---

3. प्रोजेक्ट 75

★ प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत अगली पीढ़ी के स्वदेशी पनडुब्बी का निर्माण कर रहा है. ★पनडुब्बी परियोजना के अनुसार 2028 तक 24 परंपरागत पनडुब्बी का निर्माण किया जाना है

- † जिस गति से भारत के पड़ोसी अपने पनडुब्बी कार्यक्रम का उन्नयन कर रहे थे, उसी को ध्यान में रखते हुए भारत की सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति ने 1998 के आरंभ में देसी पनडुब्बी के निर्माण के लिए 30 साल तक की एक परियोजना को मंजूरी दी थी.
- ★परियोजना के अनुसार 2028 तक 24 परंपरागत पनडुब्बी का निर्माण किया जाना है. प्रोजेक्ट 75 इसी कार्यकम का हिस्सा है और इसके तहत छह स्कॉर्पीन पनडुब्बी का निर्माण किया जा रहा है.
- ★ ये सभी छह पनडुब्बियां मौजूदा सबसे उन्नत और स्टेट ऑफ द आर्ट तकनीक से लैस हैं. इनमें नवीनतम एंटीशिप लैंड अटैक मिसाइलें लगी हुए हैं जो सीधे वर्टिकल लांच की जा सकती हैं. ★ इनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआईपी) सिस्टम जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी लगी हुई है जो यह सुनिश्चित करती है कि पनडुब्बी लंबे समय तक पानी के नीचे छिपी रहकर वार कर सके. ★इसका मतलब यह है कि यह नाभिकीय पनडुब्बी की तरह ही पानी के नीचे काफी वक्त तक बनी रह सकती है. यह बहुत कम आवाज भी करती हैं.
- ★ 'पनडुब्बी में भारतीय में निर्मित मिसाइलों को लगाने की तैयारी की जा रही है. ब्रह्मोस एयरोस्पेस जमीन से लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल का निर्माण कर रहे हैं.'

† भारत के 'प्रोजेक्ट 75' का हाल हालांकि उतना अच्छा नहीं है. यह परियोजना अपने तय समय से पीछे चल रही है. - वर्तमान में समस्या रणनीतिक साझीदारों की पहचान करने की है. डिफेन्स प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत सामरिक साझीदारों के

चयन के बाद भी इसे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (डीएसी) और रक्षा मामलों की स्थायी संसदीय समिति (सीसीएस) से मंजूरी लेनी होगी.

- ★भारतीय नौसेना फिलहाल 13 परंपरागत और पुरानी हो चुकी पनडुब्बियों के सहारे अपना काम चला रही है जिनमें दस 1990 से पहले के बैच की हैं. इसके अलावा एक नाभिकीय ऊर्जा चालित एसएसएन अकुला चक्र-2 पनडुब्बी है जो रूस से किराये पर ली गई है।

4. भारत ने किया एडवांस ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण Supersonic Missile Brahmos

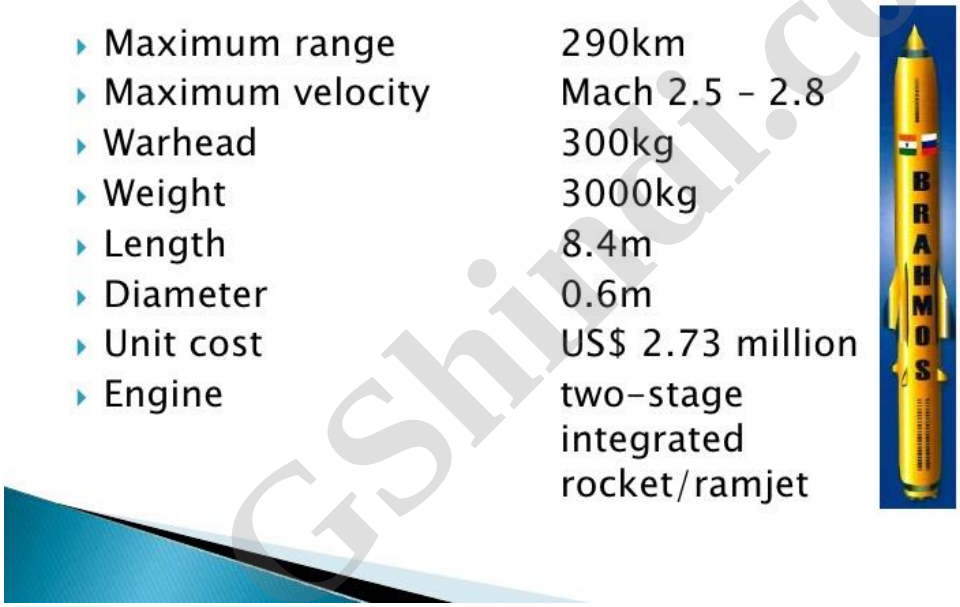

- भारतीय वायु सेना ने जैसलमेर के पोकरण फायरिंग रेंज से सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया.
- नवीनतम तकनीक से युक्त ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने अपनी क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया.

इसके पहले नबंवर 2015 में सेना ने पोकरण मोबाइल लॉन्चर से इसका टेस्ट किया था.

=>एडवांस ब्रह्मोस मिसाइल की विशेषताएं :-

1. शॉर्ट रेंज वाली यह मिसाइल 290 किलोमीटर तक मार कर सकती है.
2. यह मिसाइल डीआरडीओ और रुसी टेक्नोलॉजी के सहयोग से बनाई गई है.
3. इसका नाम दो नदियों, भारत की ब्रह्मपुत्र और रुस की मोस्क्वो के नाम पर रखा गया है.
4. इस मिसाइल की स्पीड 2.8 मैक है.
5. यह विश्व की सबसे अधिक तीव्र गति की मिसाइलों में शामिल है.
6. ब्रह्मोस मिसाइल जमीन और समुद्र से आसमान में दुश्मन पर हमला कर सकती है.
7. ब्रह्मोस मिसाइल अपने साथ 300 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकती है.

2007 में ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को सैन्य बेड़े में शामिल किया गया.

GShindi.com

Miscellaneous

1.सिंधु घाटी की सभ्यता 5500 साल नहीं बल्कि 8000 साल से अधिक पुरानी; और कई नए खुलासे"

सिंधु घाटी की सभ्यता 5500 साल नहीं बल्कि 8000 साल से अधिक पुरानी है। यह दावा आईआईटी खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों ने अपने नए शोध में किया है। इस लिहाजसे यह सभ्यता मिस्त्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से पहले विकसित हुई थी। इतना हीनहीं शोधकर्ताओं ने हडप्पा सभ्यता से 1000 वर्ष पूर्व की सभ्यता के प्रमाण भी खोज निकाले है।

★3000 साल पूर्व इस सभ्यता के विलुप्त होने के कारण मौसम में बदलाव था। आईआईटी खड़गपुर के जियोलॉजी और जियोफिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रमुख अनिंदय सरकार ने कहा कि हमने सिंधु सभ्यता की प्राचीनतम पॉटरी को खोजा है।'

★इसकी पड़ताल के लिए ऑप्टिकली स्टिम्यलैटड लूमनेसन्स तकनीक का इस्तेमाल किया और इसकी उम्र का पता लगाया। यह 6000 साल पुराने निकले है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत करीब 8000 साल पहले होने के प्रमाण मिले हैं।

★इस शोध से दुनिया भर के सभ्यताओं के उदगम को लेकर नई बहस छिड़ सकती है।

★शोधकर्ता यह पता लगाने में जुटे थे कि क्या सिंधु सभ्यता का विस्तार हरियाणा के भिर्राना और राखीगढ़ी में भी था।

★शोधकर्ताओं ने भिर्राना की एकदम नई जगह खुदाई की और वहां से हड्डियां , गायों के सींग बकरियां हिरन और चिंकारे के अवशेष मिले। ★इन सभी का कार्बन-14 के जरिए परीक्षण किया गया। इस परीक्षण में पाया गया कि किस तरह उस दौरे की सभ्यता को पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ा।

★शोधकर्ताओं के मुताबिक, 7000 साल पहले मानसून कमजोर होना शुरू हुआ था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि लोगों ने इससे हार नहीं मानी और घर में पानी को जमा करने की व्यवस्था कर ली थी।

★ अब तक इस सभ्यता केप्रमाण भारत के लोथल, धोलाविरा और कालीबंगन जबकि पाकिस्तान के हडप्पा और मोहनजोदड़ो में मिले थे।

★शोधकर्ताओं का मानना है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत के बड़े हिस्से में था, लेकिन इस बारे में बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं किया गया है, हमे अधिकतर जानकारियां अंग्रेजों की ओर से कराई गई खुदाई पर ही आधारित है।

★गौरतलब है कि मिस्त्र की सभ्यता के ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक रहने के प्रमाण मिलतेहैं जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता ईसा पूर्व से 3100 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी।

---

2. कनाडा के पीएम ने कोमागाटा मारू के लिए सिखों से मांगी माफी" (साथ ही जानेंगे क्या थी कामागाटा मारू घटना? और घटना के सम्बन्ध में सब-कुछ जो परीक्षा उपयोगी हो सकता है।)

★ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में कोमागाटा मारू जहाज पर सवार यात्रियों के वंशज और सिखों से माफी मांगी. ट्रूडो ने कहा कि जिस दर्द और पीड़ा से वो लोग गुजरे उसे कोई शब्द नहीं मिटा सकता.

=>कामागाटा मारू जहाज घटना क्या थी :-

★कोमागाटा मारू कोयला ढोने वाला, भाप-इंजन से चलने वाला पानी का जहाज था. हॉन्गकॉन्ग में रहने वाले कारोबारी गुरदीत सिंह ने इसे यात्री जहाज में बदलवाया था. उस समय भारत और हॉन्गकॉन्ग दोनों ब्रितानी शासन के अधीन थे.

★अप्रैल 1914 में ये जहाज कनाडा के लिए निकला. करीब एक महीने की यात्रा करके जहाज मई 1914 में कनाडा के वैंकूवर के एक बंदरगाह पर पहुंचा. जहाज में 376 यात्री सवार थे. जिनमें ज्यादातर सिख थे.

=>नया कानून और विवाद :-

★ कनाडा में 1908 में अप्रवासी भारतीयों की आमद को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था. इस कानून के अनुसार वही लोग कनाडा आ सकते थे जो अपने मूल देश से बीच में कहीं और रुके बिना सीधे कनाडा आए हों. उस समय समुद्री मार्ग से भारत से सीधे कनाडा जाना संभव नहीं था.

★अगर कोई भारतीय भारत से कनाडा सीधे जलमार्ग से पहुंच भी जाता तो इस कानून के अनुसार उन्हें 200 डॉलर प्रवेश शुल्क देना होता. जो उस जमाने में एक बड़ी राशि थी. ये कानून मुलतः नस्ली भेदभाव की भावना से प्रेरित था.

★कनाडा के अधिकारियों ने कोमागाटा मारू को बंदरगाह से कुछ दूर समुद्र में ही रोक दिया. जहाज़ के डॉक्टर एवं उनके परिवार और 20 कनाडाई नागरिकों समेत कुल 24 लोगों को कनाडा में प्रवेश करने की इजाज़त दी गयी.

★लगभग दो महीने के गतिरोध के बाद, जहाज़ को 23 जुलाई 1914 को कनाडाई नौसेना द्वारा बलपूर्वक वापस लौटा दिया गया.

=>भारत में अंग्रेजों की गोलाबारी

★अमेरिका और कनाडा में 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी का गठन किया था. गदर पार्टी का मकसद भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाना था. बाबा गुरदीत सिंह गदर पार्टी से जुड़े हुए थे. अंग्रेजी सरकार को आशंका थी कि जहाज से गदर पार्टी के समर्थक भारत में आएंगे.

★ लंबी समुद्री यात्रा के बाद ये जहाज तत्कालीन कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचा. 29 सितंबर 1914 को बाबा गुरदीत सिंह और अन्य नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए जहाज़ पर पुलिस भेजी गई. गिरफ्तारी का यात्रियों ने विरोध किया.

★ अंग्रेज़ी हुकमत यात्रियों पर गोली चलाने का आदेश दिया. गोलीबारी में 19 यात्री मारे गए. कइयों को बंदी बना लिया गया. हालांकि, बाबा गुरदीत सिंह कई अन्य लोगों के साथ भाग निकले.

=>क्यों मांगी माफी?

★कनाडा में करीब पांच लाख सिख रहते हैं. कनाडा की राजनीति में सिखों का प्रभाव साल-दर-साल बढ़ता जा रहा है.

★जस्टिन ट्रूडो ने पिछले साल पीएम बनने के बाद चार सिखों को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी थी. जबकि उस समय भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल में केवल दो सिख मंत्री थे.

★कनाडा के सिख लंबे समय से देश की सरकार से कोमागाटा मारू की अमानवीय हरकत के लिए माफी मांगने की मांग कर रहे थे.

★जस्टिन ट्रूडो को सिख अल्पसंख्यकों को काफी समर्थन प्राप्त है. कोमागाटा मारू के लिए माफी मांग कर उन्होंने एक बार स्थायीन सिखों समेत पूरी दुनिया का दिल जीतने की कोशिश की है.

पिछले साल एक मई को कनाडा सरकार ने कोमागाटा मारू की याद में डाक टिकट जारी किया था.

3. वैश्विक गुलामी सूचकांक : भारत पहले पायदान पर

★ऑस्ट्रेलिया की मानवाधिकार समूह 'वाक फ्री फाउंडेशन' की ओर से जारी 2016 ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स (वैश्विक गुलाामी सूचकांक) में भारत पहले पायदान पर है.

★भारत में बंधुआ मजदूरी, वैश्यावृत्ति और भीख जैसी आधुनिक गुलामी के शिकंजे में एक करोड़ 83 लाख 50 हजार लोग जकड़े हुए हैं.

★दुनियाभर में महिलाओं और बच्चों समेत 4 करोड़ 58 लाख लोग आधुनिक गुलामी के गिरफ्त में हैं. दो साल पहले 2014 में यह तादाद 3 करोड़ 58 लाख थी.

★हालांकि, आबादी के हिसाब से उत्तर कोरिया में इसकी व्यापकता सबसे ज्यादा है. वहां, आबादी का 4.37 प्रतिशत आधुनिक गुलामी की गिरफ्त में है. वर्ष 2014 की पिछली रिपोर्ट में भारत में आधुनिक गुलामी में जकड़े लोगों की तादाद 1 करोड़ 43 लाख बताई गई थी.

=>एशियाई देश गुलामी इंडेक्स में सबसे ऊपर :-

★रिपोर्ट के अनुसार आधुनिक गुलामी सभी 167 देशों में पाई गई है. इसमें शीर्ष पांच देश एशिया के हैं. भारत इसमें पहले स्थान पर है. भारत के बाद चीन (33 लाख 90 हजार), पाकिस्तान (21 लाख 30 हजार), बांग्लादेश (15 लाख 30 हजार) और उज्बेकिस्तान (12 लाख 30 हजार) का स्थान है.

★इन पांच देशों में कुल मिलाकर 2 करोड़ 66 लाख लोग गुलामी में बंधे हैं, जो दुनिया के कुल आधुनिक गुलामों का 58 फीसदी है. इंडेक्स में आबादी के अनुपात में गुलामों की तादाद के आधार पर 167 देशों का क्रम तय किया गया है.

=>गुलामी इंडेक्स में यूरोपीय देश नीचे

★आबादी के अनुपात में जिन देशों में सबसे कम आधुनिक गुलामी का आकलन किया गया है उनमें लक्जेमबर्ग, नार्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, बेल्जियम, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं.

★वहीं, आबादी के अनुपात में जिन देशों में सबसे ज्यादा आधुनिक गुलामी का आकलन किया गया है उनमें उत्तर कोरिया, उज्बेकिस्तान, कंबोडिया, भारत और कतर हैं.

★आधुनिक गुलामी में शोषण के उन हालात को रखा गया है, जिससे धमकी हिंसा, जोर-जबरदस्ती, ताकत का दुरुपयोग या छल-कपट के चलते लोग नहीं निकल सकते हैं.

---

4. हरियाणा के भिवानी जिले में पुरानी हड़प्पाकालीन सभ्यता अवशेष

- हरियाणा के भिवानी जिले के गांव तिगड़ाना में पांच हजार साल पुरानी हड़प्पाकालीन सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं
- खोदाई से पता चला है कि हड़प्पाकाल के दौरान तिगड़ाना महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्र था।
- यहां से गुजरात व अफगानिस्तान तक व्यवसाय होता था।
- खोदाई में मिले अवशेष से पता चला है कि अरावली पर्वत श्रृंखला उस समय भी मौजूद थी। इस पर्वत श्रृंखला में पत्थर व तांबे से आभूषण बनाए जाते थे
- खोदाई के दौरान चूल्हे व हारा हैं। मिले भी अवशेष के (चूल्हा बड़ा)
- यहां पर बड़ी संख्या में हड़प्पाकालीन मिट्टी के बर्तन, जिनमें मिट्टी की थालियां, कटोरे, गिलास व अन्य बर्तन मिले हैं। इसके अलावा कम कीमती पत्थरों के मनके, चूड़ियां, पशुओं की आकृति के खिलौने मिले हैं।
- अगेट और कार्लियन पत्थर के मनके भी यहां पर मिले हैं, जो कि गुजरात से यहां लाए जाते थे।
- अफगानिस्तानी लाविश लाजुली पत्थर के मनके भी मिले हैं। प्रतीत होता है कि इस व्यावसायिक केंद्र पर गुजरात व अफगानिस्तान से व्यवसाय होता था

GShindi.com